Monday, 31 March, 1969

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF

4th

## LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
17-7-92
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

[ सातवां सत्र
Seventh Session ]

सत्यमेव जयते

[ खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

# विषय-सूची/ CONTENTS

अंक—30—सोमवार, 31 मार्च, 1969/ 10 चैत्र, 1891 (शक)

No. 30—Monday, March 31, 1969/ Chaitra 10, 1891 (Saka)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.



| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 781. | मैसर्स परमानेंट मैगनेट्स लिमिटेड को दिया गया आयात लाइसेंस | Import Licence to M/s Permanent Magnets Ltd. | 1—4 |
| 782. | सलेम में छर्रे बनाने के संयंत्र | Pelletisation Plants at Salem | 4—6 |
| 783. | भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड को हानि | Loss to Bharat Aluminium Company Ltd. | 6—7 |
| 784. | सरकारी उपक्रमों में भर्ती | Recruitment in Public Undertakings | 7—14 |
| 785. | नई दिल्ली स्थिति जल तथा विद्युत् आयोग के कार्यालय में मानचित्रों की चोरी | Thefts of Maps from Office of Central Water and Power Commission, New Delhi. | 14—17 |
| 786. | आय-कर का अपवंचन करने वाले व्यक्ति | Income Tax Evaders | 17—18 |



## प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 787. | भूटान से जिप्सम का क्रय | Purchase of Gypsum from Bhutan | 19 |



* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ PAGES |
|---|---|---|---|
| 788. | भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नरों की नियुक्ति | Appointment of Governors of Reserve Bank of India | 19 |
| 789. | मंत्रालयों में वित्तीय 'सैल' | Financial Cell in Ministries | 20 |
| 790. | मैसर्स हिन्द गालवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों की सप्लाई | Supply of Barrels by M/s. Hind Galvanising and Engineering Company to I. O. C. | 20—21 |
| 791. | यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध तस्करी के आरोप | Charges of Smuggling against Administrative Officer, UNESCO Office, New Delhi. | 21 |
| 792. | तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन | Production of Crude by O. N. G. C. | 21—22 |
| 793. | ऐसे व्यक्ति तथा समवाय जिन पर एक करोड़ रुपये से अधिक कर की राशि बकाया है | Individuals and Companies whose Tax Arrears exceed Rupees One Crore | 22 |
| 794. | किसानों को बैंक सम्बन्धी सुविधायें | Banking Facilities to Farmers | 22—23 |
| 795. | मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के लिए अनुदान | Grants to Approved Private Printing Presses for Modernisation | 23 |
| 796. | कांचीपुरम में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रायोगिक परियोजना | Pilot Project for Cancer Control in Kanchipuram | 23—25 |
| 797. | पाकिस्तान द्वारा पद्मा नदी पर बाँध का निर्माण | Construction of Barrage across River Padama by Pakistan | 25 |
| 798. | रुई के कारखानों के लिए रासायनिक पदार्थों की कमी | Shortage of Chemicals for Cotton Mills | 25—26 |
| 799. | प्राकृतिक गैस का प्रयोग | Use of Natural Gas | 26 |

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 800. सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई | Synthetics and Chemicals Ltd., Bombay | 26—28 |
| 801. खम्भात की खाड़ी में तट-दूर खुदाई (ड्रिलिंग) | Off-Shore Drilling in Cambay Gulf | 28 |
| 802. तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली पर नाम-पट | Sign Boards on Tees January Marg, New Delhi | 28—29 |
| 803. बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पाँचवें वित्त आयोग की बातचीत | Fifth Finance Commission's Discussion with representatives of Bihar Government | 29 |
| 804. कुपोषण के कारण बच्चों में चर्मरोग | Skin Disease among children due to Mal-nutrition | 29—32 |
| 805. दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने की परियोजना | Project for Development of Water Supply in Delhi | 32 |
| 806. भारत में अंधापन | Blindness in India | 32—33 |
| 807. विस्थापित स्वर्णकारों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ तथा निःशुल्क शिक्षा | Scholarship and Free Education for children of Displaced Gold Smiths | 33—34 |
| 808. निर्यात का देश में वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव | Impacts of Exports on Internal Prices | 34—35 |
| 809. राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम | Family Planning Programme in Rajasthan | 35—36 |
| 810. गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी | Gujranwala House Building Co-operative Society | 37—38 |


अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | | |
|---|---|---|
| 4739. मनीपुर, नागालैंड और नेफा के लिए मैडिकल कालेज | Medical College for Manipur, Nagaland and Nefa | 38 |
| 4740. जाली डालर मुद्रा भारत भेजी जाना | Sending of Counterfeit Dollar Currency to India | 38 |
| 4741. खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना | Prevention of Food Adulteration | 39 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4742. | अधिकतम आयकर देने वाले बीस व्यक्ति, जिन्हें कर-भुगतान प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किया गया था | Top twenty Income-tax Assessees who were refused Tax clearance Certificates | 39—40 |
| 4743. | भाखड़ा/व्यास परियोजना प्रशासन का नंगल टाउनशिप में स्कूल | Bhakra/Beas Project Administrations's School at Nangal Township | 40 |
| 4744. | उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बड़ी सिंचाई योजनाएँ | Major Irrigation Schemes in Hill Districts of U. P. | 40—41 |
| 4745. | अलमोड़ा (उत्तर प्रदेश) में चिकित्सा कालेज खोला जाना | Opening of Medical College in Almora (U.P.) | 41 |
| 4746. | परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए धन का उपयोग | Utilisation of Funds for family Planning Programme | 41 |
| 4747. | भारतीय प्लास्टिक उद्योग | Plastic Industries | 42 |
| 4748. | पैट्रो-रसायन उद्योग विकास समिति का प्रतिवेदन | Report of Committee on Development of Perol-Chemicals Industries | 42 |
| 4749. | गुजरात में खनिज तेल | Mineral oil in Gujarat. | 42—43 |
| 4750. | स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना | School Health Service Scheme | 43 |
| 4751. | जी० डी० एम० ओ० की पदोन्नति | Promotion of G. D. M. Os. | 43—44 |
| 4752. | स्वाचालित मत अभिलेखन उपकरण | Automatic Vote-Recording Equipment | 44—45 |
| 4753. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिजली कक्ष के कर्मचारियों को 'निरापत्ति-पत्र' | Non-objection Certificates' to the C.P.W.D. staff of electrical wing | 45 |
| 4754. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों के पदों के लिए चयन | Selection to the post of Section officer in C. P. W. D. | 45—46 |
| 4755. | चण्डीगढ़ में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करना | Enforcement of Rent Restriction Act in Chandigarh | 46—47 |
| 4756. | कच्छ में बौक्साइट | Bauxite in Kutch | 47 |
| 4757. | हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड | Hindustan Copper Ltd. | 47—48 |
| 4758. | हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड | Hindustan Zinc Ltd. | 48 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4759. | भारत में रासायनिक उर्वरक बनाने का कारखाना | Chemical Fertilizer Factory in India. | 48—49 |
| 4760. | कोक का उत्पादन | Production of Coke | 49 |
| 4761. | चौथी योजना में एल्यूमीनियम कारखाने की स्थापना | Setting up of an Aluminium Project during Fourth Plan | 49—50 |
| 4762. | फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड | Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. | 50—51 |
| 4763. | बड़ौदा में महापौरों का सम्मेलन | Mayor's Conference at Baroda. | 51 |
| 4764. | दिल्ली में नलकूप परियोजना | Tube-well Project in Delhi | 51—52 |
| 4765. | क्षय रोग के अस्पताल और क्लिनिक | T. B. Hospitals and Clinics | 52 |
| 4766. | गंगा तथा यमुना और उनकी सहायक नदियों पर बाँध | Dams on Ganga, Yamuna and their tributaries | 53 |
| 4767. | गुजरात में प्राकृतिक गैस का जलाया जाना | Burning of Natural Gas in Gujarat | 53—54 |
| 4768. | ग्लैक्सो लबोरेटरीज (इंडिया) | Glaxo Laboratories (India) | 54 |
| 4769. | जवाहर ज्योति | Jawahar Jyoti | 54—55 |
| 4770. | आम जनता के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना | C. G. H. S. for General Public | 55 |
| 4771. | भारतीय तेल निगम द्वारा एस्सो रिफाइनरी कम्पनी को 24 गेज के इस्पात के चादरों की बिक्री | Sale of Guage Steel Sheets by I. O. C. to ESSO Refinery Company | 55—56 |
| 4772. | आयातित कच्चे तेल के मूल्य | Prices of Imported Crude Oil | 56—57 |
| 4773. | बम्बई के श्री प्रताप भोगीलाल तथा उनकी फर्मों के सम्बन्ध में आय-कर का निर्धारण | Assessment of Income-Tax in respect of Shri Pratap Bhogilal of Bombay and his Concerns | 57 |
| 4774. | अग्रिम ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियाँ | Pilot Rural Electricity Co-operatives | 57—58 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4775. | बाढ़ के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को घाटा | Losses in Oil and Natural Gas Commission due to floods | 58 |
| 4776. | उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना | Fertilizer Factory in U.P. | 58 |
| 4777. | तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में इलेक्ट्रानिक आंकड़ा प्रक्रिया यूनिट | Electronics Data Processing Unit in Oil and Natural Gas Commission | 58—59 |
| 4778. | मंडी हाउस, नई दिल्ली में क्वार्टरों की मरम्मत आदि | Maintenance of Quarters in Mandi House, New Delhi | 59 |
| 4779. | सरकारी निवास स्थानों के बारे में बेदखली के आदेश | Eviction Orders re. Government Residences | 59—61 |
| 4780. | आय-कर की बकाया धन-राशि | Income Tax Arrears | 61 |
| 4781. | दिल्ली के कटड़ों में नागरिक सुविधाएँ | Civic Amenities in Katras in Delhi | 61 |
| 4782. | दामोदर घाटी निगम | Damoar Valley Corporation | 61—63 |
| 4783. | दस रुपये के नये सिक्के | New Coin of Ten Rupees Denomination | 63 |
| 4784. | इलाहाबाद में अवैध सोना पकड़ा जाना | Recovery of Contraband Gold at Allahabad | 63 |
| 4785. | नागपुर में अवैध वस्तुएँ तथा सोना पकड़ा जाना | Seizure of Contraband Goods and Gold in Nagpur | 64 |
| 4786. | नागपुर में अवैध सोना पकड़ा जाना | Seirrre of Contraband Gold in Nagpur. | 64 |
| 4787. | राजस्थान में अकाल की स्थिति का अध्ययन | Study of Famine Situation in Rajasthan | 65—65 |
| 4788. | अधिकारियों की विदेश यात्रा | Officials going abroad | 65 |
| 4789. | उत्तर प्रदेश में आदर्श गांव | Model villages in U. P. | 65 |
| 4790. | सरकारी उपक्रमों की निर्धारित क्षमता का उपयोग | Utilisation of rated capacities of Public Undertakings | 65—66 |

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4791. | दिल्ली के होटलों द्वारा आबकारी नियमों का उल्लघंन | Excise rules violations by Delhi Hotels | 66 |
| 4792. | भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट का विस्तार | Expansion of Trombay Unit of Feritilizer Corporation of India | 66—67 |
| 4793. | शान्ति सेना (पीस कोर) के स्वयं सेवक | Peace Corps Volunteers | 67—68 |
| 4794. | जनेवा में रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति का दूसरा गोलमेज सम्मेलन | Second Round Table of International Committee of Red Cross at Geneva | 68 |
| 4795. | ढाका में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन | International Conference on Family Planning at Dacca | 69 |
| 4796. | गणराज्य दिवस समारोह पर दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी भवनों पर प्रकाश की अवस्था पर हुआ खर्च | Expenditure Incurred on illuminating various Central Government buildings in Delhi on Republic Day Celebrations | 69 |
| 4797. | जीवन बीमा निगम द्वारा समाचार-पत्रों को ऋण | L. I. C. loans to Newspapers | 69—70 |
| 4798. | कोयला खानों से रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली | Recovery of Royalty arrears from Coal Mines | 70 |
| 4799. | गवर्नमेंट कालेज, मनीपुर में प्री-मेडिकल शिक्षा की सुविधाएं | Pre-Medical Classes in Government College of Manipur | 70—71 |
| 4800. | जस्ता पिघलाने के कारखाने की स्थापना | Setting up of a Zinc Smelter | 71 |
| 4801. | गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, मनीपुर के प्रयोगशाला तकनीशन तथा प्रयोगशाला सहायक | Laboratory Technicians and Laboratory Assistants of Manipur Government General Hospital | 71—72 |
| 4802. | सिंदरी परियोजना के अन्तर्गत फासफेरिक एसिड संयन्त्र के लिए उपकरणों की सप्लाई | Supply of Equipment for Phosphric Acid Plant under the Sindri Project | 72 |

अता० प्र० संख्या

U. S.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ PAGES |
|---|---|---|---|
| 4803. | इंडिया गौस्पल मिशन, केरल | Indian Gospel Mission, Kerala. | 73 |
| 4804. | मनीपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई खरीद | Purchases made for P. W. D., Manipur | 73 |
| 4805. | सीमा-शुल्क की आय में कमी | Shortfall in Customs Returns | 73—74 |
| 4806. | चिकित्सा शिक्षा के बारे में आयोग का प्रतिवेदन | Report of Commission on Medical Education. | 74 |
| 4807. | विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों में लाभ का जाना | Remittance of Profit by Foreign Companies Abroad | 74 |
| 4808. | राजस्थान का भूतत्वीय सर्वेक्षण | Geological Survey of Rajasthan | 74—76 |
| 4809. | भाखड़ा से राजस्थान को बिजली की सप्लाई | Eletricity Supplied to Rajasthan from Bhakra | 76 |
| 4810. | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में अपने सम्बन्धियों के लिये नौकरियाँ तलाश करना | Securing of appointments by Officers of Public Sector Undertakings for their relation in the Private Sector | 76—77 |
| 4811. | मैसूर राज्य को केन्द्रीय सहायता | Central Assistance to Mysore State | 77 |
| 4812. | लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के छंटनी किए गए कर्मचारी | Retrenched Workers of Manipur P. W. D. | 77—78 |
| 4813. | सरकारी क्वॅटवारों के नियतनों को रद्द किया जाना | Cancellation of Allotments of Government Quarters | 78—79 |
| 4814. | कोलार सोना खानों में दमकल | Fire Brigade for Kolar Gold Mines | 79 |
| 4815. | कोलार सोना खानों में 'साइना' धूल | Cyna Dust at Kolar Gold-Fields | 79—80 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4816. | मनीपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा एक श्रमिक सहकारी समिति के देय भुगतान का रोक लिया जाना | Withholding of payments by P. W. D., Manipur to a labourer's Co-operative Society | 80 |
| 4817. | इनामी बॉंड | Prize Bonds | 81 |
| 4819. | मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और निमाड जिले में प्रति व्यक्ति आय | Per capita Income of Hoshangabad and East Nimad Districts of M. P. | 81 |
| 4820. | सरकारी उपक्रमों में मध्य प्रदेश के कर्मचारी | Number of Employees belonging to Madhya Pradesh in Public Undertakings | 81 |
| 4821. | मध्य प्रदेश में 'चिकित्सा शिक्षा और प्रतिशिक्षण' के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाएँ | Centre Sponsored Schemes under Medical Education and Training in Madhya Pradesh | 81—82 |
| 4822. | मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी | Shortage of Kerosene Oil in Madhya Pradesh | 82 |
| 4824. | फिल्मालय (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों द्वारा देय-कर की बकाया राशि | Tax Arrears due from Directors of Filmalya (P) Ltd. | 82—83 |
| 4825. | चिलका झील | Chilka Lake | 83 |
| 4826. | नौरोजी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में खड़े हो कर भोजन बनाने की व्यवस्था वाली रसोइयाँ | Standing Kitchens in Government Quarters at Nauroji Nagar, New Delhi | 83—84 |
| 4827. | प्रत्यक्ष कराधान प्रशासन के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशें | Recommendations of Working Group on Direct Taxation Administration | 84 |
| 4828. | बैंक ऋण उदार करने के लिए व्यापारिक कम्पनियों से अभ्यावेदन | Representation from Trade Interests to Liberalise Bank Credit | 85 |

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. Nos.


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 4829. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि के खातों से धन का निकाला जाना | Withdrawl from G. P. Fund Accounts by Central Government Employees | 85—86 |
| 4830. बिड़ला की फर्मों द्वारा उत्पादन और सीमा शुल्कों का अपवंचन | Evasion of Excise and Customs duties by Birla Concerns | 86—87 |
| 4831. कुवैत, कटार और बहरयीन द्वारा ऋण का दिया जाना | Loans given by Kuwait, Qatar and Bahrein | 87 |
| 4832. मोम का उत्पादन तथा उसका निर्यात | Production and Export of Wax | 87—88 |
| 4833. नार्वे से उर्वरकों का आयात | Import of Fertilisers from Norway | 88 |
| 4834. शाहदरा में बस्तियों का गिराया जाना | Demolition of Shahdra Colonies | 88—89 |
| 4835. कोचीन तेलशोधक कारखाने में उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव | Proposal for increasing production in Cochin Refineries | 89 |
| 4836. भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विकास | Growth of Indian Economy | 89—90 |
| 4837. राज्यों द्वारा निगम करों के राजस्व में हिस्से की माँग | Demand for share in Corporation Tax Revenues by States | 90 |
| 4838. मध्य प्रदेश के मंत्रियों द्वारा आयातित राइफलें | Rifles imported by Ministers of Madhya Pradesh | 90—91 |
| 4839. इन्फा, इन्फा पब्लिकेशन्स और दुर्गादास ऐसोशिएट्स को दी गई विदेशी मुद्रा | Foreign Exchange given to INFA, INFA Publications and Durgadas Associates | 91 |
| 4840. सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी | Sarvapriya Co-operative Housing Building Society | 91—92 |
| 4841. लद्दाख में बिजली की दर | Power Rates in Ladakh | 92 |
| 4842. सरकारी उपक्रमों के लिये अधिगृहीत भूमि | Land Acquired for Public Undertakings | 92 |
| 4843. चिकित्सा स्नातक | Medical Graduates | 92—93 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4844. | चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में संचारी रोगों का नियन्त्रण करने के सम्बन्ध में कार्यक्रम | Communicable diseases Control Programme during Fourth Plan period | 93 |
| 4845. | पश्चिम बंगाल सरकार को बाढ़ सहायता कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता स्थगित करना | Suspension of Aid to West Bengal Government for Flood relief Measures | 94 |
| 4846. | पश्चिम बंगाल में बाढ़ों की रोकथाम के लिये अपेक्षित राशि के अनुमान के लिए विशेषज्ञों का दल | Expert Team to Assess flood requirements of West Bengal | 94—95 |
| 4847. | कोयना बाँध | Koyna Dam | 95—96 |
| 4848. | दिल्ली में कारखानों का वर्गीकरण | Classification of Factories in Delhi | 96—97 |
| 4849. | मेडिकल कालेजों में स्थान | Seats in Medical College | 97 |
| 4850. | मैसूर को केन्द्रीय सहायता | Central Assistance to Mysore | 97 |
| 4851. | मध्य प्रदेश में प्रयोग के रूप में ग्रामीण विद्युत् सहकारी समिति | Pilot Rural Electric Cooperative in Madhya Pradesh | 97—98 |
| 4852. | बिहार सरकार द्वारा लिये गये ऋण | Loans taken by Bihar Government | 98 |
| 4853. | खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले | Food Adulteration Cases | 98—99 |
| 4854. | विदेशी ऋण | Foreign Debt | 99—100 |
| 4855. | पेनिसिलिन के मूल्य | Prices of Penicilin | 100—101 |
| 4856. | बिहार में प्रतिव्यक्ति बिजली की उपलब्धता | Per Capita Availabilty of Power in Bihar | 101 |
| 4857. | बिहार में बाँध और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएँ | Dams and Irrigation and Power Projects in Bihar | 101 |
| 4858. | तट-दूर ड्रिलिंग | Off-Shore Drilling | 101—102 |
| 4859. | तट-दूर ड्रिलिंग में बाधाएँ | Hindrances in Off-Shore Drilling | 102 |
| 4860. | देश में कुपोषण | Malnutrition in the Country | 102—103 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4861. | रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर बाँध | Dam on Subarnarekha river near Ranchi | 103—104 |
| 4862. | उड़ीसा में बैतरनी नदी बाँध परियोजना | Baitarni River Barrage Project in Orrisa | 104 |
| 4863. | कर प्रस्तावों के बारे में सरकार को रचनात्मक सुझाव देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार | Rewarding of Persons giving Constructive Suggestion to Government on Tax Proposals | 104—105 |
| 4864. | डेक्सट्रोज पाउडर का आयात | Import of Dextrose Powder | 105—106 |
| 4865. | लखपतियों तथा करोड़पतियों के हाथों में देश की पूंजी | Country's Capital in Hands of Millionaires Billionaries | 106—107 |
| 4866. | दिल्ली में बेला रोड स्थित बर्फ के कारखानों की पट्टे की शर्तें | Terms of Lease of Bela Road Ice Factory in Delhi | 107 |
| 4867. | बिजनौर सिंचाई परियोजना | Bijnaur Irrigation Project | 107 |
| 4868. | 10, जनपथ, नई दिल्ली | 10, Janpath, New Delhi | 108—109 |
| 4869. | पोस्ते की खेती वाली भूमि | Acreage of Poppy Cultivation | 109—111 |
| 4870. | अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली | All India Institute of Medical Sciences, New Delhi | 111 |
| 4871. | कानपुर नगर का दर्जा | Status of Kanpur City | 111—112 |
| 4872. | रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सरकारी फ्लैटों में पानी के गैर-सरकारी मीटर लगाना | Installing of Private Water Meters in Government Flats in R. K. Puram, New Delhi | 112 |
| 4873. | पूंजी निर्माण | Capital Formation | 113 |
| 4874. | उत्पादन-शुल्क | Excise Duties | 113—114 |
| 4875. | एशियाई विकास बैंक सम्मेलन | Asian Development Bank Conference | 114 |
| 4876. | देश में दस सर्वोच्च कर-अपवंचक | Ten Top Tax Evaders in Country | 114—115 |
| 4877. | खनिज उत्पादन | Mineral Production | 115—116 |
| 4878. | नई सब्जी मण्डी, आजादपुर (दिल्ली) में दुकानें | Shop at New Subzimandi, Azadpur (Delhi) | 116 |

अता० प्र० संख्य
U. S. Q. No


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4879. | आजादपुर सब्जी मण्डी, दिल्ली | Azadpur Sabzimandi, Delhi | 116—117 |
| 4880. | 1969-70 में राज्यों द्वारा घाटे के बजट पेश किये जाना | Deficit Budgets presented by States during 1969-70. | 117 |
| 4881. | अन्तर्राष्ट्रीय तेल समवायों द्वारा आकस्मिक रूप से गिर जाने वाले तेल की सफाई के लिए योजना | Plan for Clearing up Accidental Spills by Interrnational Companies | 117—118 |
| 4882. | आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी में तेल की खोज | Oil Exploration in Bramhaputra Valley in Assam | 118 |
| 4883. | बम्बई में स्नेहक तेल शोधक कारखाना | Lubricating oil Refinery in Bombay | 118 |
| 4884. | केरल में वसूल किया गया राजस्व | Revenue Realised in Kerala. | 119 |
| 4885. | सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन और आयकर विभागों में बनाये गये नए पद | Posts Created in Customs, Central Excise and Income Tax Departments | 119 |
| 4886. | दक्षिण कोरिया से 'निरोध' का आयात | Import of 'Nirodh' from South Korea | 119—120 |
| 4887. | एक बैंक द्वारा कांग्रेस दल को उसके हिसाब से 10 लाख रुपये अधिक दिये जाना | Overdraft of Rs. 10 lakhs given by a Bank to Congress Party | 120 |
| 4888. | कोटला मुबारकपुर ( नई दिल्ली ) में रेहड़ीवाले शरणार्थियों को आवंटित खोखे | Khokhas Allotted to Refugee Rehriwalas in Kotla Mubarakpur, New Delhi | 121 |
| 4889. | केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग संबंधी भगवन्तम समिति | Bhagwantham Committee on Central Water and Power Commission | 121—122 |
| 4890. | गुजरात में सूरत के निकट समुद्र तल में तेल का पाया जाना | Oil-Finds at sea-bed Surat in Gujarat | 122 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Noa.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 4891. | कनाट प्लेस, नई दिल्ली में रेडियल सड़कों का बन्द किया जाना | Closure of Badial Roads in Connaught Place, New Delhi | 122 |
| 4892. | तिब्बिया कालेज के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं का बहिष्कार | Boycott of Examination by Tibbia College Students | 123 |
| 4893. | गोल मार्केट क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर | Government Quarters in Golc Market area, New Delh | 123—124 |
| 4894. | रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में नर्सरी स्कूल के लिए नियत स्थान | Areas earmarked for Nursery School in Ramakrishnapuram, New Delhi. | 124 |
| 4895. | तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में इंजीनियरी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण | Training to Engineering Trainees at Technical Training Centre, Kotah | 124—125 |
| 4896. | हौज खास, नई दिल्ली में पूर्व-निर्मित मकान बनाना | Pre-Fabricated Flats near Houz Khas, New Delhi | 125 |
| 4897. | दक्षिण दिल्ली में पूर्व-निर्मित मकान | Pre fabricated Flats in South Delhi | 125—126 |
| | अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 126—127 |
| | रूस के विमानों की भारत से होकर हनोई के लिये उड़ान | Flight of Russian Planes to Hanoi over India | 126—127 |
| | श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | 126 |
| | श्री दिनेश सिंह | Shri Dinesh Singh | 126 |
| | सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | 128—129 |
| | पेटेंट विधेयक | Patents Bill | 129 |
| | सभा का कार्य | Business of the House | 130 |
| | सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया गया | Estate Duty (Distribution) Amdment Bill—Introduced | 131 |
| | अनुदानों की माँगें | Demands for Grants | 131—149 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| गृह-कार्य मंत्रालय | Ministry of Home Affairs | |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | 131 |
| श्री नीतिराज सिंह चौधरी | Shri Nitiraj Singh Chaudhury | 133 |
| श्री प० मु० सईद | Shri P. M. Sayeed | 134 |
| श्री प० गोपालन | Shri P. Gopalan | 135 |
| श्री पाओकाई हाओकिप | Shri Paokai Haokip | 138 |
| डा० एम० संतोषम | Dr. M. Santosham | 138 |
| श्री नारायण रेड्डी | Shri M. N. Reddy | 140 |
| श्री शिव नारायण | Shri Sheo Narain | 142 |
| श्री यशवन्तराव चव्हाण | Shri Y. B. Chavan | 143 |
| आयात व्यापार नियंत्रण नीति के बारे में वक्तव्य | Statement re. import trade control policy | |
| श्री ब० रा० भगत | Shri B. R. Bhagat | 150 |
| सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय | Ministry of Irrigation and Power | 150—166 |
| श्री नंजा गौडर | Shri Nanja Gowder | 156 |
| श्री मनुभाई पटेल | Shri Manubhai Patel | 157 |
| श्री धीरेन्द्र नाथ देव | Shri D. N. Deb | 158 |
| श्री नि० रं० लास्कर | Shri N. R. Laskar | 159 |
| श्री महाराज सिंह भारती | Shri Maharaj Singh Bharati | 160 |
| श्री देवराज पाटिल | Shri Deorao Patil | 160 |
| श्री बि० कु० मोडक | Shri B. K. Modak | 161 |
| श्री दुरायरासु | Shri Durairasu | 163 |
| श्री सिद्धेश्वर प्रसाद | Shri Sinddeshwar Prasad | 166 |
| श्री गंगा रेड्डी | Shri Ganga Reddy | 166 |
| कार्य-मंत्रणा समिति | Business Advisory Committee | 166 |
| तैंतीसवां प्रतिवेदन | Thirty-third Report | 166 |
| आधे घंटे की चर्चा | Half-an-hour discussion | 166—170 |
| हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड | Hindustan Zinc Limited | 166 |
| श्री ओंकार लाल बोहरा | Shri Onkar Lal Bohra | 166 |
| श्री जगन्नाथ राव | Shri Jaganath Rao | 167 |


———

# लोक-सभा

# LOK SABHA

सोमबार, 31 मार्च, 1969/ 10 चैत्र, 1891 (शक)

**Monday, March 31, 1969 / Chaitra 10, 1891 (Saka)**

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**मैसर्स परमानेंट मेगनेट्स लिमिटेड को दिया गया आयात लाइसेंस**

\+
*781 **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** **श्री रवि राय :**

**क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1968 के "ब्लिट्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें उनके उस समय के तथा वर्तमान विशेष सहायक श्री तोंपे द्वारा लिखे गये कथित पत्र की एक प्रति उद्धत की गयी है जिसमें उन्होंने मैसर्स परमानेंट मेगनेट्स लिमिटेड को, जिसके उस समय उनके पुत्र प्रबन्ध निदेशक थे, आयात लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) क्या उनके विचार में इस मामले में, जहाँ तक इस सार्थ के बारे में उनके पुत्र तथा श्री तोंपे जो इस सार्थ में अंशधारी हैं, की गतिविधियों का सम्बन्ध है कोई अनौचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) :

(क) जी, हाँ। लेकिन उस पत्र में पुनरुद्धरित पत्र श्री तोंपे का नोट था और "वित्त मंत्री का नोट संख्या सी० जी० आई / 46 (352) 2-60" का जो हवाला दिया गया था वह ठीक नहीं था। इसके अतिरिक्त नोट में मेसर्स परमानेंट मैगनेट्स लिमिटेड को लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की गई थी। कम्पनी को पहले ही अप्रैल, 1961 में लाइसेंस दिया जा चुका था।

(ख) जी, नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन् प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है :

"क्या उनके विचार में इस मामले में, जहाँ तक इस सार्थ के बारे में उनके पुत्र तथा श्री तोंपे, जो इस सार्थ में अंशधारी हैं, की गतिविधियों का सम्बन्ध है, कोई अनौचित्य नहीं है?"

श्रीमन्, इससे श्री सेठी के लड़के का कोई सम्बन्ध नहीं है।

**Shri Yajna Datt Sharma** : Sir, my question is directly connected with Shri Morarji Desai or with his Private Secretary. It can be replied to only by Shri Desai or by some other person who is stll in higher position. Shri Sethi cannot take a decision in this regard.

Shri Tonpe purchased some shares of the Permanent Magnets Ltd., in 1961. I would like to know whether prior permission of the Government was obtained by him ? He, in the capacity of Private Secretary to Finance Minister wrote, letters to various authorities the record of which is available in the Rajya Sabha. I would like to know whether any definite action would be taken against this high official who misused his position and worked against the conduct rules ?

**Shri P. C. Sethi** : The shares purchased by Shri Tonpe were fully paid by him. Rs. 625 in 1961, Rs. 625......

**Shri Yajna Datt Sharma** : I wanted to know whether or not prior permission was obtained by him ?

**Shri P. C. Sethi** : I am not aware of this.

**Shri Yajna Dutt Sharma** : I do not want details. They are available in Rajya Sabha. I only want to know whether, in accordance with the Service rules, it is necessary or not to obtain prior permission in such cases and whether he obtained such permission ?

**Shri P. C. Sethi** : When the Honourable Member is aware of the proceedings of Rajya Sabha, there was no need to ask this question. I can tell about whatever information I have in this regard.

**Shri Yajna Dutt Sharma** : Then , this question may be put off :

**Shri P. C. Sethi** : Shri Tonpe did not write a letter for arranging for a licence. The letter dated 23rd June, 1961 related to this change of the country and the alteration. This could be done under the then existing rules. It could be any country in the general currency Area instead of Italy. The second note which he wrote related to increase in the machinery. This was also done according to the prescribed procedure. The third letter related to revalidation of licenses. It was also written as per rules. The intention behind writing these letters has already been explained by the Deputy Prime Minister in the House. Everything

was done to expedite the process. There was no impropriety in the action taken.

**Shri Yajna Dutt Sharma** : The same reply was also given by the Deputy Prime Minister in the Rajya Sabha. The Minister, on behalf of the Government wants to tell that whatever was done was a routine. But the language used in the letters indicates that the person concerned had some personal interest in the firm. I would like to know whether officers are in the habit of writing of letters of thanks in official routine to expedite certain cases and whether to have a meeting arranged also comes in the routine ? The fact is that the bureaucrats alway stand in the way of quick disposal. Whether the Honourable Minister would continue an enquiry to go into details whether those letters were written with personal motives or they were written as a routine.

**Shri P. C. Sethi** : I have certain information about the point raised first by the Honourable Member. The money was paid in instalments of Rs.625 each. It is not necessary to obtain permission of Government if the amount paid is less than Rs.1,000.

**Shri Yajna Datt Sharma** : The amount comes to Rs.2,500 by paying an instalment of Rs.625.

**Shri P. C. Sethi** : The total value of share is Rs.2,500 and Rs.625 was spent on each occasion. The letter of thanks is generally written by all after the work is completed as a matter of courtesy.

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : श्रीमन् , यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती यदि माननीय मंत्री यह बतला देते कि विशेष सहायक ने न केवल इस फर्म के मामलों को शीघ्रता से निपटाया है अपितु दूसरी फर्मों के मामले भी उतनी ही शीघ्रता से निपटाये गये । अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या विशेष सहायक ने केवल इस फर्म के मामले को ही शीघ्रता से निपटाया अथवा दूसरी फर्मों की भी इस संबंध में सहायता की ।

**श्री प्र० चं० सेठी** : इस सवाल को दूसरे सदन में भी उठाया गया था और उप प्रधान मंत्री ने बताया था कि इस प्रकार के और भी मामले आये थे और उन पर विचार किया गया । मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये समय-समय पर कार्यवाही की गई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या केवल यही फर्म थी अथवा और भी कोई फर्में थीं ।

**श्री प्र० चं० सेठी** : मैंने कहा है कि इस प्रकार के अनेक पत्र प्राप्त हुये और वह अन्य मत्रालयों को इस विषय में लिखते रहे ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रीमन्, जब इस सवाल का जवाब उप प्रधान मंत्री द्वारा दूसरे सदन में दिया गया था तो सदस्यगणों को आम तौर पर उनके पुत्र के आशय के बारे में विश्वास नहीं हुआ । मुझे खेद है कि मैं इस सवाल को उस समय पूछ रहा हूँ जब कि उप प्रधान मंत्री देश से बाहर किसी शव-यात्रा में भाग लेने गये हैं । फिर भी मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान हाल ही में श्री चन्द्रशेखर और श्री मोरारजी देसाई के बीच हुये विवाद की ओर आकृष्ट किया गया है । यह मामला अगर एक घरेलू मामला होता तो मैं यह प्रश्न नहीं पूछता । लेकिन यह प्रश्न एक सार्वजनिक विवाद का प्रश्न बन गया है । आज हमें श्री देसाई के विरुद्ध इस सम्बन्ध में और अधिक प्रमाण मिले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पिलु मोडी : इसका सम्बन्ध उनकी विचारधारा से है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बीच (व्यवधान), मैं माननीय सदस्यों से उत्तेजित न होने की प्रार्थना करूँगा। मैं उनसे श्री मोरारजी देसाई का अधिक सम्मान करता हूँ। मैं समाचार-पत्रों से उद्धरण पढ़ता हूँ :

"इस बीच श्री चन्द्रशेखर ने उनके द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कुछ और प्रमाण प्रधान मंत्री को भेजे हैं।"

इनमें से एक आरोप मेसर्स परमानेंट मेगनेट्स लिमिटेड के बारे में लगाया गया है। क्या प्रधान मंत्री इन कागजातों के मिलने के पश्चात्, चाहे वे आरोप श्री मोरारजी के विरुद्ध हों अथवा उनके पुत्र के विरुद्ध जाँच करवायेंगी क्योंकि अब यह एक सार्वजनिक विवाद बन चुका है और वे लोगों की नजरों में गिर चुके हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : इस प्रश्न का सम्बन्ध प्रधान मंत्री से है न कि मुझसे।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले प्रश्न पर चर्चा आरम्भ करवाऊँ मैं श्री यज्ञ दत्त शर्मा को यह बता दूँ कि यदि वे आधे घन्टे की चर्चा करवाना चाहते हैं तो उनको इसकी पहले सूचना देनी चाहिये तथा उनको यह नहीं मान लेना चाहिये कि मैंने उस चर्चा के लिये अनुमति दे दी है।

### सलेम में छर्रे बनाने के संयंत्र

*782. श्री सीताराम केसरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मद्रास में सलेम के निकट लोह अयस्क का लाभ उठाने के लिये छर्रा बनाने के संयंत्रों की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी हैं;

(ख) क्या ऐसी परियोजनाएँ बिहार राज्य में भी शुरू की जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) जी, नहीं।

(ख) बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र में पेलेटाइजेशन संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

**Shri Sita Ram Kesri** : Iron ore is an exportable conmodity in our country. In reply to my question the Minister had stated that there is no proposal under consideration in regard to establishment of a Plant in Madras. May I know whether any proposal for setting up a Pellatization Plant in Orissa is under consideration ?

श्री जगन्नाथ राव : जी नहीं।

**Shri Sita Ram Kesri** : There has been a considerable fall in the export of iron-ore. Japan imports a lot from this country. In view of this, is there any scheme to establish a plant either in Orissa or in Bihar or in Goa so as to increase export of iron ore ?

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमन्, पेलेटाइजेशन संयंत्र वहीं लगाया जाता है जहाँ खनिज में 30 प्रतिशत लोहे के तत्व उपलब्ध होते हैं। परिष्करण तथा गोले बनाने से खनिज में लोह तत्व की 60 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है। जापान को 65 से 67 प्रतिशत तक निर्यात किया जा रहा है। अतः इसके पेलेटाइजेशन का प्रश्न ही नहीं उठता। बेलाडिला में, जहाँ से जापान को लोह खनिज का निर्यात किया जाता है, वहाँ काफ़ी मात्रा में उत्तम लोहा उपलब्ध है और पेलेटाइजेशन के सम्बन्ध में एक योजना विचाराधीन है।

श्री एस० कन्डप्पन : श्रीमन् , मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह मेरी समझ में नहीं आता। यह खेद की बात है कि सलेम में लगाये जाने वाले इस संयंत्र की लागत को 100 करोड़ रुपये से कम करके 10 करोड़ रुपये करने के बावजूद भी इसे वहाँ लगाया नहीं जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि वे इस संयंत्र को वहाँ नहीं लगाना चाहते हैं तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भूमि क्यों प्राप्त कर रही है ? आज सबको यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि यह संयंत्र वहाँ लगाया जायेगा। मन्त्री महोदय इस विषय में स्पष्टीकरण दें।

श्री जगन्नाथ राव : इसमें कोई शक नहीं कि तमिलनाडु सरकार सलेम में इस्पात का कारखाना लगाए जाने के लिये आन्दोलन कर रही है। इस विषय पर योजना आयोग में एक बैठक में विचार किया गया जहाँ मद्रास के मन्त्री भी उपस्थित थे। वहाँ यह निश्चय किया गया कि यदि तमिलनाडु की हिस्से की चौथी योजना की राशि 500 करोड़ रुपये से अधिक होगी और यदि वहाँ से लोहे का निर्यात किया जा सके तो यह कारखाना वहाँ लगा दिया जाये। इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई है और उसके प्रति-वेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

**Shri Shinkre** : Many difficulties have come up recently in the expert of iron ore and maganese. The ore found here is of low grade and as such the exporters here cannot compete with the Brazilians or Australians. The producers of low grade suffer loss. In Goa many pelletization plants have been set up in private sector. I would like to know whether any steps would be taken to establish a Pelletisation Plant in the Public Sector so as to make use of low grade iron ore and maganese ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा मैंने कहा है, इस बारे में एक कार्यचालन दल द्वारा जाँच की जा रही है।

**Shri Maharaj Singh Bharati** : The consumption of steel has increased in the country. You have given directions to your firms that they should export lesser quantity of steel than they actually want to export. In view of the fact that the steel plant of Ranchi will have no work after 1972 because it has no advance booking and that there is great agitation in Salem for setting up a steel Plant because of the fact that there is good percentage of steel content in the iron ore there, what are the reasons for not establishing a heavy Plant there ?

श्री जगन्नाथ राव : पाँचवें इस्पात के कारखाने की स्थापना के बारे में योजना आयोग विचार कर रहा है। हो सकता है कि इसको चौथी योजना में नहीं लगाया जा सके।

अतः इस कारखाने को सलेम में अथवा किन्हीं अन्य स्थानों पर लगाने के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा विचार किया जायेगा ।

भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड को हानि

+
*783. श्री क० लकप्पा : डॉ० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड को इसकी स्थापना के समय से अनियमितताओं, चोरियों, स्टाक में कमी और आग लगने के कारण कितनी राशि की हानि हुई ;

(ख) क्या इन मामलों की जाँच की गई थी और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) इसके कार्यकरण में त्रुटियों का पता लगाने और उसमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) भारत अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड को मार्च, 1968 में एक बिजली की मोटर और पम्प की चोरी के कारण 1,100 रुपये की हानि हुई और कोरबा परियोजना में एक शीशे की चोरी के कारण 20 रुपये की हानि हुई ।

(ख) बिजली की मोटर और पम्प की चोरी का मामला पुलिस को सौंपा गया था जो मामले की जाँच कर रही है ।

(ग) कोरबा में सुरक्षा अधिकारी के, जो पुलिस अधीक्षक के रैंक के हैं, अधीन एक सुरक्षा विभाग खोला गया है और सुरक्षा सम्बन्धी उपाय सुदृढ़ किये जा रहे हैं ।

श्री क० लकप्पा : मैं प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर से संतुष्ट नहीं । भारत सरकार की गलत योजना तथा अनियमित नीतियों से सरकारी क्षेत्र की आस्तियाँ भारी हानि में परिवर्तित हो गई हैं । इस सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगन्नाथ राव : भाग (ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) से सम्बद्ध है । मुख्य प्रश्न चोरी, अनियमितताओं के कारण इस कम्पनी को हुई हानि के बारे में है । अतः भाग (ग) के उत्तर में हमने कहा है कि हमने पुलिस अधीक्षक के समान सुरक्षा अधिकारी के अधीन सुरक्षा विभाग स्थापित कर सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ किया है।

श्री क० लकप्पा : मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी गलत है । जिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है उसने सभी तथ्यों और जानकारी को छिपाया है और मंत्री महोदय ने अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर को तोते की तरह पढ़ दिया है । इस कारखाने के साथ अधिकारियों का एक गुट है जो उस प्रकार कार्य कर रहा है जो सरकारी क्षेत्र के उस उपक्रम के ठीक ढग

से कार्य करने के लिए लाभदायक नहीं। क्या सरकार उन अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों और अनियमितताओं की जाँच करायेगी ?

**श्री जगन्नाथ राव** : मेरे विचार में सदस्य सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध हैं। परन्तु इस कम्पनी द्वारा उठाई गई हानि केवल 1,100 रुपये है।

**श्री क० लकप्पा** : महोदय, उन्होंने प्रश्न को नहीं समझा। मैं उन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चाहता हूँ जो गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता करना चाहते हैं। वे सरकारी क्षेत्र में जानबूझ कर गलतियाँ कर रहे हैं जिससे यह बदनाम हो जाये। इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**श्री जगन्नाथ राव** : जो कदम उठाये गये हैं मैंने उनका पहले ही उल्लेख कर दिया है।

**Recuritment in Public Undertakings**

+
*784. **Shri Om Prakash Tyagi** : **Shri Molahu Prasad**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to stop all fresh recuritment in new public undertakings except five to seven per cent of the total posts by recruitment of local people, as also to transfer surplus employees in the existing undertakings to new ones in order to make good the heavy losses being incurred by the Public Undertakings ; and

(b) if so, whether any scheme is being prepared for this purpose ?

**The Minister in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi)** : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

It is not possible to lay down any uniform rules in this regard and transfer of surplus employees from an existing undertaking to a new one can be carried out only when practicable.

The Administrative Reforms Commission has made certain recommendations, however, regarding the question of surplus staff and these have been accepted by Government and communicated to all public sector undertakings. These are as follows :

Rec. No. **Recommendation of the Administrative Reforms Commission.**

51 (1) Proper work standards and other control techniques should be adopted from the very beginning to avoid over-staffing.

(2) In the undertakings where over-staffing has become chronic, work studies should be undertaken by industrial engineers to find out the extent and area of over-staffing.

(3) The normal vacancies occuring in the over-staffed departments may be left unfilled : employees who are found surplus may be allowed to freely apply for jobs outside. Skilled workmen should be persuaded with the help of incentives, if necessary, to do without the assistance of helpers. The practice of having helpers should not be allowed in the new projects.

(4) Greater use should be made of construction corporations in the public sector and non-departmental agencies wherever such a course is feasible,

**Shri Om Prakash Tyagi** : The statement laid by the hon. Minister does not furnish the reply to my question. I had asked in my question that the surplus employees in public sector which are to be retrenched should be transferred to the new undertakings being installed in the public sector. You have stated that this recommendation has been made by the Administrative Reforms Commission also that surplus employees should be allowed to apply in other places freely. My question is that whether they apply or they do not apply, why should not the Gövernment transfer them to such places ? What is happening to-day is that the officers there are recruiting their own relatives and the retrenched persons are unemployed. Thererfore I want to know from the Government whether they would absorb the retrenched employees in their new undertakings, which would also ensure continued service for them ?

Secondly , you have stated, "studies should be undertaken by industrial engineers to find out the extent and area of over-staffing". Have you collected any statistics regarding the number of unemployed persons and the number of persons, out of them, who can be transferred ?

**Shri P. C. Sethi** : Mr. Speaker, in answer to the first question I have stated that transfers would be carried out only when possible and practicable. There are certain difficulties before us in regard to carrying out transfers *e.g.* when the question of transferring the surplus employees of Hindustan Steel to Bokaro arose, at that time Bihar raised a question that the people of Bihar only should be employed there. Therefore wherever transfer is practicable, we have no objection.

As far as the other question is concerned according to the information provided by the Public Bureau of Enterprises, 15 thousands persons are surplus in Hindustan Steel, Indian Oil Corporation, Heavy Engineering Corporation and Indian Drugs and Pharmaceuticals as on 30. 9. 67.

**Shri Om Prakash Tyagi** : The cause of unsuccessfulness, indiscipline and mismanagement in most of the public undertakings is that political personalities are being appointed as Managing Directors. There is a rule that no Government employee would have any connection with political parties, I want to know whether such rule would be made applicable to the public undertakings that no employee, particularly the Managing Director, should have any connection with any political party, so that discipline and efficiency are maintained ?

**Shri P. C. Sethi** : The persons appointed to such posts are appointed on the basis of their General Knowledge and their outstanding efficiency. The Deputy Prime Minister has already replied to a question regarding the desirability of appointing such persons.

**Shri Om Prakash Tyagi**: My question has not been replied to. I want a clarification to the fact that while appointing a Government employee it is checked that he is not connected with any political party—why not apply the same criterion to the Public Undertakings?

**Shri P. C. Sethi** : The suggestion made by the hon. Member would be considered.

**Shri Molahu Prasad**: Before asking the question I want to make a request to you. We daily receive three or four chits from your office—our supplementary questions would not be put down as they relate to State Governments, but several questions relating to State Governments, by certain Members have been put down. Ours is only a supplementary question, while several original questions have been replied to. I have a complaint against your office......

**अध्यक्ष महोदय :** यदि आपने इस सम्बन्ध में मुझे लिखा होता तो मैं इसकी जाँच कर सकता था। इस प्रकार इसे उठाने का कोई लाभ नहीं।

**Shri Molahu Prasad** : I have written several times. I do not know whether some of your messenger gives the reply.

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा मैं किसी और को बुलाऊँ ?

**Shri Molahu Prasad** : This is not my question. I do not know how this question has been put against my name. 12 question against the name of each member have been admitted.

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी जाँच करूँगा।

**Shri Molahu Prasad** : Don't you want to listen to complaint against your office ? You have not done anything about diglot-printing of Parliamentary Committees..

**अध्यक्ष महोदय :** आप कृपया बैठ जायें।

**Shri Molahu Prasad** : Please inform us as to why the proceedings of Parliamentary Committees are not being translated into Hindi ?

**अध्यक्ष महोदय :** शांति-शांति। मैं बोल रहा हूँ। मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। यह प्रश्न-काल है और मैं चाहता हूँ कि सभा को इससे लाभ हो न कि इसे केवल विवाद उठाने के लिये प्रयोग किया जाये।

**Shri Molahu Prasad** : I want to know as to what has been done on our behalf ? Mr. Speaker, the questions I want to ask are not admitted by your office, they club useless questions with it. Please caution your office.

**Mr. Speaker** : Shri Rajendra Barua :

**श्री राजेन्द्र बरुआ :** जब कभी भी कोई सरकारी उपक्रम आरम्भ किया जाता है तो यह स्थानीय जनता के निष्कासन से आरम्भ होता है। और फिर उन लोगों के मन में आशा उत्पन्न होती है कि रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं परन्तु वास्तव में मैंने यह देखा है कि विभिन्न राज्यों अथवा क्षेत्रों में सरकारी उपक्रमों की स्थापना से यह माँग की जा रही है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। दूसरी ओर पुराने उपक्रमों में फालतू लोग हैं। क्या सरकार कोई सकारात्मक नीति अपनायेगी जिससे उन दो स्थितियों में मेल हो और क्षेत्रीय तनाव कम हो जो सरकारी उपक्रमों में रोजगार के कारण उभर रहा है।

**Shri Molahu Prasad** : Mr. Speaker, you are not giving your ruling in the matter.

**Shri Shiv Chandra Jha**: He may be allowed to ask a question.

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठेंगे अथवा नहीं ?

**Shri Molahu Prasad** : I am taking my seat, but let the Government give reply to my question.

**अध्यक्ष महोदय :** आपको पहले बैठना होगा। मैं इस पर विचार करूँगा कि क्या यह आवश्यक है ? आप इस प्रकार आदेश नहीं दे सकते।

श्री प्र० च० सेठी : भर्ती की वर्तमान नीति के अनुसार, 1960 का उद्योग मंत्रालय का एक सक्यूंलर है और उसी का अनुसरण किया जा रहा है । जहाँ तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भर्ती का सम्बन्ध है, उन्हें स्थानीय रोज़गार कार्यालय से लिया जाना चाहिये और जब स्थानीय रोजगार कार्यालय उन पदों के लिये नाम नहीं देता तो फिर बाहर से व्यक्तियों को बुलाया जाता हैं । अन्य तकनीकी पदों पर अखिल भारतीय आधार पर विचार किया जाता है; अतः विज्ञापन दिये जाते हैं और उन पर अखिल भारतीय आधार पर न कि क्षेत्रीय आधार पर विचार किया जाता है ।

**Shri Molahu Prasad :** I want to know the conditions of service. On the one hand there are students with English medium on the other hand there are students who receive instructions through their mother tongues, whether Government propose to frame any such rule whereby students with regional languages should receive preference over students with English medium ?

**Shri P. C. Sethi :** This question does not relate to Government services only. This question relates to services in public undertakings. As far as services in public undertakings is concerned, as already stated by me local persons are recruited for Class III and Class IV posts. Being local people, naturally they get the benefit of regional language.

**Shri Molahu Prasad :** I want to know what arrangements have been made to ensure that students with medium as regional languages should get preference over students with English medium.

**Shri P. C. Sethi :** As already stated by me, no such discrimination is made for Class III and Class IV posts, only local persons are taken there..........(**Interruptions**)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोलहू प्रसाद का कहना है कि उन्होंने प्रश्न की सूचना नहीं दी । वह कृपया कार्यालय में जा कर अपने हस्ताक्षर का प्रश्न देख लें । वह अवश्य भूल गये होंगे ।

**Shri Bishwanath Roy :** In view of the fact that recruitment of labourers is limited to the manifest needs at the time of setting up industries in the public sector, may I know as to why the number of labourers in the public sector industries has increased to such an extent that they are being transferred to other places ?

श्री प्र० च० सेठी : प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका पूरी तौर पर अध्ययन किया है । उन्होंने तीन चार कारण बताये हैं । उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाऊँ :

(i) प्रारम्भिक अवस्थाओं में वैज्ञानिक आधार पर मानव-शक्ति की आयोजना का अभाव ।

(ii) प्रारम्भिक अवस्थाओं में भर्ती को आवश्यकता के आधार पर सीमित करने में असफलता और स्वीकृत संख्या तक दस्तूरी ढंग से भर्ती करते रहने की प्रवृत्ति ।

अब हम सभी सरकारी उपक्रमों से कह रहे हैं कि वे मानव-शक्ति तथा कार्य-मूल्यांकन के सम्बन्ध में औद्योगिक इंजीनियरी यूनिट से या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से अध्ययन करायें । उनके अध्ययन कर लेने के बाद ही फालतू कर्मचारियों के बारे में वास्तविक स्थिति का पता चलेगा ।

**श्री कृ० मा० कौशिक :** प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि फालतू कर्मचारियों को सरकारी उपक्रम से निकाल कर दूसरे सरकारी उपक्रम में भर्ती करने के बारे में कुछ सिफारिशें की गई हैं। क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और यदि हाँ, तो क्या प्रत्येक उपक्रम को आदेश दे दिये गये हैं कि वे सरकार को समय-समय पर सूचना दें कि ये सिफारिशें उचित ढंग से कार्यान्वित हो रही हैं या नहीं ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ कार्यवाही करने की सिफारीश की है। सरकार ने इन सिफारिशों को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया है और उसने विभिन्न सरकारी उपक्रमों से उन सिफारिशों का पालन करने के लिये कहा है।

**श्री रंगा :** पूछा यह गया है कि क्या आपको विभिन्न उपक्रमों से वहाँ के श्रमिकों की स्थिति के बारे में जानकारी समय-समय पर मिलती रहती है ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** हाँ, श्रीमन्। यह उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर ही कहा जा रहा है।

**श्री कृ० मा० कौशिक :** मैं समय-समय पर मिलने वाली जानकारी के बारे में जानना चाहता था।

**श्री प्र० चं० सेठी :** जहाँ तक जानकारी का सम्बन्ध है, मैंने 1967 में आँकड़े दे दिये थे। ब्यूरो ने जानकारी माँगी थी और इन चार कम्पनियों ने अतिरिक्त कर्मचारियों के बारे में बता दिया था। ब्यूरो उनसे त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त कर रहा है। अब उनसे कुछ औद्योगिक इंजीनियरी यूनिटों द्वारा इस सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिये कहा गया है ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके और ज्यूंही सभी सरकारी उपक्रमों के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त होगा, हम उसे सभा-पटल पर रख देंगे।

**Shri Onkarlal Bohra :** Ever since Government started setting up new industries in the public sector, these industries are becoming *Jagirs* of the Government Officials. Appointments in those industries are being made on the basis of nepotism, provincialism and casteism. I wish to know the extent to which Government succeeded in checking such appointments in these industries, and what is the reaction of Government in regard to such unnecessary and undersirable appointments?

**Shri P. C. Sethi :** I have not got the full details with me about the steps being taken in the public sector undertakings in this regard but I wish to state that Naveli Lignite Corporation has taken some action in this connection *e.g.* they retrenched certain persons after making ex-gratia payment or after paying their wages. Similarly, National Mineral Corporation also reduced the number of their personnel by 450. Both the schemes are being followed to retrenching thosse persons who accept it without any objection and transferring certain persons from one undertaking to the other. Thirdly, we are absorbing certain persons in the current expansion programmes also.

**श्री हेम बरुआ :** सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति के मामले में प्रादेशिक असन्तुलन हैं जिनकी वजह से राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार में परस्पर झगड़ा रहता है। गौहाटी में सरकारी क्षेत्र में एक तेल शोधनशाला है। वार्ड लड़कों, क्लब लड़कों, अस्पताल लड़कों और

चपरासियों की कुल संख्या में एक प्रतिशत तो आसाम के रहने वाले लोग हैं और बाकी लोग आसाम के बाहर से आये हुए हैं। इस सन्दर्भ में मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने ऐसा कोई सामान्य आदेश जारी किया है कि 500 रुपए या इससे कम वेतन वाला कोई पद उसी क्षेत्र के व्यक्ति को दिया जाना चाहिये जहाँ कि सरकारी उपक्रम स्थित है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह अनुदेश जारी किया जा चुका है। इस अनुदेश के अनुसार, 500 रुपये प्रति मास वेतन वाले पदों के लिए भर्ती सरकारी उपक्रम राष्ट्रीय रोजगार सेवा के जरिये की जानी चाहिए और दूसरी जगह से भर्ती उसी अवस्था में की जानी चाहिये जब कि वहाँ के काम दिलाऊ कार्यालय ने यह कह दिया हो कि उसके पास उस पद के लिये कोई भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

श्री हेम बरुआ : गौहाटी की तेल शोधनशाला में दुर्भाग्यवश यह नहीं किया गया।

**Srimati Jayaben Shah** : I wish to know whether even the petty employees in the big public undertakings or refineries are recruited from outside. I have no objection to the persons being called from outside but the local people do object. Therefore, I wish to know what steps Government purpose to take to appoint only local people against the small posts in such industries or refineries.

**Shri P. C. Sethi** : About policy I have already stated but it may not be possible to adhere to this policy strictly at certain places.

**Shri Yashpal Singh** : Scores of villages where uprooted to set up these undertakings and lands of the farmers were acquired but those farmers have not been rehabilitated so far. Those farmers had been assured that the children would be given preference in making appointments in those undertakings but it has not been done. I wish to know whether Government have framed any rule whereunder in the matter of appointments preference would be given to the children of those villagers whose land had been acquired and whose villages have been uprooted for setting up such undertakings ?

**Shri P. C. Sathi** : Adequate compensation has been given to the persons whose land has been acquired. Besides we had instructed to give preference to these persons or the members of their families in making appointments against class III and class IV posts. Besides, training is also being imparted to these persons in various undertakings.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : बहुत से सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक संख्या का कारण मुख्यतः यह है कि निर्माण-कार्य समाप्त होने के पश्चात् भी, कर्मचारियों को उनके स्थानों पर रखा हुआ है। निर्माण-कार्य की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त कर्मचारियों को काम देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और दुर्गापुर जैसी जगहों में फालतू कर्मचारियों की छंटनी अथवा उन्हें रोजगार दिलाने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस्पात कारखानों में फालतू कर्मचारियों की छंटनी करना सम्भव नहीं है इसलिये यह नीति अपनाई गई है कि उन्हें विस्तार कार्यक्रमों में लगाया जाये। फालतू कर्मचारियों की संख्या जानने के लिये हैदराबाद स्टाफ कालेज द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात, वे इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही कर सकेंगे।

**Shri Jagannath Rao Joshi** : There is great resentment among the employees of the Heavy Electricals, Bhopal because the Head of this Factory appointed one of his relatives in the Factory. Secondly, I wish to know whether 400 engineer- empolyees had demanded some days back that they should be given the sme scales of pay which are being given in other public undertakings as Government have accepted to give equal pay for equal work and if it is a fact, then what action is being taken by Government in this regard ?

**श्री प्र० चं० सेठी** : यह प्रश्न औद्योगिक विकास मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है।

**श्री बसुमतारी** : क्या अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये स्थान आरक्षित करने के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों को हिदायतें दे दी गई हैं ?

**श्री प्र० चं० सेठी** : ऐसे कोई स्थान आरक्षित नहीं किये गये। किन्तु भर्ती के समय अनुसूचित जातियों अथवा आदिम जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या 1968 में सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 1967 की तुलना में अधिक थी ? यदि हाँ तो इन अतिरिक्त कर्मचारियों पर कितना व्यय किया गया और जब एक ओर मन्दी के हालात हैं और दूसरी ओर कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं तो ऐसी स्थिति में मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इन अतिरिक्त कर्मचारियों के रखने का औचित्य क्या है ?

**श्री प्र० चं० सेठी** : मेरे पास 1967 और 1968 के तुलनात्मक आँकड़े नहीं हैं। मैं जानकारी प्राप्त कर सभा-पटल पर रख दूँगा।

**Shri Prem Chand Verma** : According to the previous year's figures, 28 companies sustained a loss of Rs.84 crores. I wish to know whether Government propose to conduct any. survey of the unemployed people in Engineering, Chemicals and Petroleum Factories and would take steps to transfer them to other Factories ?

Besides, we have an investment of Rs.833 crores in Engineering Factories. I wish to know the number of those surplus employees in these Factories whose monthly pay is is more than Rs. 500 ?

**श्री प्र० चं० सेठी** : पहली बात कार्यवाही करने के लिये अच्छा सुझाव है। हम उस दृष्टिकोण से इस पर विचार करेंगे। 500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में आंकड़े अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

**Shri Bhogendra Jha** : Persons who do not have any faith in public sector undertakings orwho were previously in the employment of the private companies, are appointed on higher posts in the public undertakings, as a result of which loss is sustained in those undertakings and their further progress is hampered. Keeping this in view, do the Government take care to ensure that persons having faith in public sector undertakings are appointed in these under takings on higher posts or on managerial posts ?

Do the Government propose to issue instructions to ensure workers' participation in the administration of the public sector undertakings ?

**श्री प्र० चं० सेठी**: जहाँ तक सरकारी उपक्रमों के मूल संवर्ग का सम्बन्ध है, उन्हें सभी स्थानों से बुलाया जाता है और यह सर्वविदित है कि हमने गैर-सरकारी क्षेत्र से बहुत कम लोग लिये हैं और इसलिये यह कहना सही नहीं है कि उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है जिनका सरकारी क्षेत्र में विश्वास नहीं है।

जहाँ तक निदेशक-बोर्ड में श्रमिकों को शामिल करने का सम्बन्ध है इस बोर्ड में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि रखा जाता है किन्तु इसके अलावा जैसा कि उप-प्रधान मंत्री ने बताया, उन्हें प्रबन्ध में रखने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

**Sri Nitiraj Singh Choudhary** : The Hon'ble Minister stated that circular has been issued to the effect that local people should be given preference in the matter of appointments. There are three public sector undertakings in Madhya Pradesh. I wish to know whether the appointments made in these have been made in accordance with that circular.

**Shri P. C. Sethi** : Sir, the circular has mostly been adhered to. However there may be one or two cases in which the circular might not have been adhered to.

**Shri Kameshwar Singh** : About 600 officers of various States are working in public sector undertaskings. I wish to know whether Government propose to send these officer back to their respective States and recruit emergency commissioned officers in their places after imparting necessary training to these emergency commissioned officers ?

**Shri P. C. Sethi** : If it is done, it is feared that there may be substantial losses on the plants. However, Government have issued instructions to give preference to the emergency Commissioned Officers as and when vacancies in these undertakings occur.

**नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कार्यालय से मानचित्रों की चोरी**

\+
*785 श्री श्रीगोपाल साबू : श्री ओंकार सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम (नई दिल्ली) में स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के नहर निदेशालय से कुछ दस्तावेज गुम हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मानचित्र पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं;

(ग) यादि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिन लोगों पर संदेह है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अधिकारियों को परियोजनाओं के आयोजन और उनके अधिकल्प के संबंध में समय-समय पर भू-आकृति सम्बन्धी नक्शे दिये जाते हैं और कार्यों के पूरा हो जाने पर उन्हें वापिस ले लिया जाता है। पिछले छः वर्षों के दौरान तीन ऐसे मामले नोटिस में आए हैं जिनमें अधिकारियों के दिये गए भू-आकृति के नक्शों का कोई हिसाब नहीं दिया गया है। यह नक्शे उड़ीसा के टिक्करपारा बान्ध स्थल, आंध्र प्रदेश के मुनेरू और असम के बरक बांध स्थल के क्षेत्र को कवर करते हैं। अभी तक जो पूछताछ की गई है, उससे पता चलता है कि पहले दो मामलों में यह नक्शे शायद रिकार्ड के साथ मिल गए हैं और इस बारे में आगे खोज की जा रही है। जहाँ तक तीसरे मामले का

संबंध है, ऐसा लगता है कि भू-आकृति के नक्शे केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के कार्यालय से मत्रालय को भेजते हुए गुम हो गए हैं। बहरहाल अभी तक जो पूछताछ हुई है, उससे किसी भी मामलों में बेईमानी हुई दिखाई नहीं देती।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** The statement laid on the Table contains figures for 6 years only. I wanted to know whether the Director of the Department has written to the Government or the higher officers that many maps are missing and they have been sent to Pakistan and other countries with the connivance of the staff of the Department ? Whether it is a fact that he has made various allegations as a result of which many people have been transferred. Finally, the details of the letter and the action taken by the Government in this regard ?

**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री कृ० ल० राव)** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सही नही है। तथ्य यह है कि भारत के सर्वेक्षण ने कुछ भू-आकार सम्बन्धी पृष्ठ सप्लाई किये जिनका केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।

कभी 4,000 पृष्ठों का विभिन्न अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। 1968 में वार्षिक सत्यापन के दौरान मालूम हुआ कि तीन मामलों में लगभग 25 पृष्ठ गुम हैं। इसके बाद विभागीय जाँच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और यह रिपोर्ट दी गई है कि किसी मामले में कोई बेईमानी नहीं की गई और साधारण नुकसान हुआ है। मानचित्र मिसलों में कहीं रखे गये हैं और वे दो मामलों में नहीं मिले। तीसरे मामले में अधिकारी रामाकृष्णपुरम कार्यालय से मंत्रालय की ओर आ रहा था और उससे वे रास्ते में गुम हो गये। इसकी पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस ने जाँच की और कुछ नहीं मिला। यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि अधिकारियों ने किसी के साथ सांठ-गांठ की है या उनको पाकिस्तान भेजा है। अब तक की जाँच से यह मालूम हुआ है कि इसमें असद् भावना की कोई बात नहीं है।

**Shri Kunwar Lal Gupta** : My specific question is whether the Director of the Department had written two or three months ago that several maps are missing for the last 10-12 years and whether some people have been transferred from the Department as a result thereof ?

**डा० कु० ल० राव** : किसी अधिकारी को स्थानान्तरित करने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके कारण किसी अधिकारी का तबादला नहीं किया गया है। ऐसा एक अधिकारी है जो निदेशक (नहर) है। दुर्भाग्यवश मैं स्वीकार करता हूँ कि उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। उसे छुट्टी पर जाने की सलाह दी गई और इस समय वह छुट्टी पर है।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने पत्र लिखा है कि उन की मानसिक अवस्था ठीक है अथवा नहीं—मैं नहीं जानता।

**अध्यक्ष महोदय** : उनके अनुसार वह मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ हैं।

**Shri Kanwar Lal Gupta** : He has written that several hundred maps have been lost since 1954. These have been sent abroad with the connivance of the staff, according to him. I wanted to know whether the hon. Minister would hold an enquiry through C. B.I. if he is of the view that only 3 maps have been lost since 1950 so that responsiblility could be fixed.

What action has been taken against the parson who lost the maps and what the man, who is mentally unsound according to you, has written to you ?

श्री कु० ल० राव : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में 75,000 से अधिक मानचित्र हैं। ये मानचित्र इन तीन आधिकारियों को टिकरपारा बाँध के अध्ययन के लिए दिये गये थे। प्रतिरक्षा नियमों के अनुसार, इन 75,000 मानचित्रों में से कुछ को प्रतिबन्धित समझा जाता है। तटीय तथा सीमा क्षेत्रों सम्बन्धी मानचित्र प्रतिबन्धित हैं। गुमशुदा मानचित्र कृष्णा जिला तथा वरक में टिकरपारा तथा मुनेरु के क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। एक बार इनमें से 4,000 मानचित्र अधिकारी के पास थे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन तीनों मामलों में गुम पृष्ठों की संख्या 25 है। गुम मानचित्रों के बारे में कुछ नियम हैं। पहले एक विभागीय जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। वह अपना प्रदिवेदन सैनिक अधिकारियों को भेजता है और इसके बाद वट्टा-खाता किया जाता है। तीनों मामलों में विभागीय जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। वे जाँच कर रहे हैं। पता चला है कि एक मामले में बट्टे-खाते में डालने की सिफारिश की गई है।

अध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न यह है कि उस व्यक्ति ने क्या लिखा जिसे मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ समझा जाता है।

श्री कु० ल० राव : मैं भी नहीं जानता कि उन्हों ने क्या लिखा है? हुआ यह है कि हर वर्ष जांच के दौरान कार्यभारी अधिकारी को, जो नहर निदेशक के आधीन काम करता है यह स्पष्ट करना पड़ता है कि सभी प्रतिबन्धित मानचित्र सुरक्षित हैं और जाँच के दौरान उसे मालूम हुआ कि 25 मानचित्र गुम हैं।

श्री रंगा : इन 25 मानचित्रों में से कितने सुरक्षा सम्बन्धी मानचित्र हैं जिन्हें आप ताले में बन्द करके सुरक्षित रखना चाहते हैं।

डा० कु० ल० राव : ये 25 मानचित्र सुरक्षा सम्बन्धी मानचित्र हैं। ये प्रतिबन्धित मानचित्र हैं। इन 25 मानचित्रों में से 10 टिकरपारा बाँध स्थल के बारे में हैं। 4 मुनेरु के बारे में हैं और 11 आसाम में बरक के बारे में है। इन तीन क्षेत्रों में इन तीन बांधों का डिज़ाइन बनाया जा रहा था।

**Shri Tulshidas Jadhav** : Whether proper inspection is made every year to check the record ; if so, the number of inspections made after the maps were lost ; the reasons for not recovering the missing maps etc. and reasons for not taking necessary action in regard thereto ?

श्री कु० ल० राव : अभी तक किसी नुकसान की सूचना नहीं दी गई है। हमें नुकसान का पहली बार पता तब चला जब कि प्रमाणपत्र देने पड़े और जाँच-पड़ताल हुई। जहां तक इन गुमशुदा मानचित्रों का सम्बन्ध है, दो मामलों में अधिकारियों को अपनी टिप्पणी के साथ मिसिल में इन मानचित्रों को रखना पड़ा। इस तरह मानचित्र मिसिल में रखे गये। वे मिल नहीं रहे हैं। उन्हें तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है।

**Shri Ram Charan** : Incidents involving loss of files and maps etc. occur quite frequently here. 350 top secret files pertaining to Bhakra, Nangal, Beas project were lost 12 years ago.

The process of stealing top secret documents is continuing and I understand that Government have not taken any concrete steps to prevent theft of secret documents in future. I wanted to know the action taken against such officials so far, the number of officials suspended, the number of those against whom disciplinary action has been taken and the number of those who have been reverted or the number of those against whom Government is going to take action ?

डा० कु० ल० राव : यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले का ब्योरा दे तो मैं पूछताछ करूंगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, केवल इन तीन मामलों की रिपोर्ट मिली है। इन तीन मामलों में कोई व्यक्ति अपराधी नहीं पाया गया। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : Loss of maps from the office of the Central Water and Power Commission is a serious matter. It is all the more serious that the missing maps relate to restricted areas. Hon. Minister has said that nobody has been found guilty. In view of this, who is responsible for the loss of maps ? Whether it is not a fact that this matter was enquired into and action was taken against some persons. In this regard Hon. Minister has said that that one officer concerned was mentally unsound. This is a serious matter. Whether the officer concerned has been medically examined and it has been found that he is mentally unsound ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने पहले कहा है, तीन मामले थे। नियमों के अनुसार इन तीन ममालों की जाँच करने के लिए तीन विभागीय अधिकारी नियुक्त किये गये। प्रतिवेदन अभी प्राप्त होने हैं। अभी तक किसी व्यक्ति पर दोष लगाना संभव नहीं हो सका।

तीसरे मामले में जाँच प्रतिवेदन आ गया है और उसे पृष्ठों को बट्टे-खाते में डालने के लिए सेना के सम्बन्धित आधिकारियों को भेज दिया गया है।

जहाँ तक सम्बन्धित निदेशक का सम्बन्ध है उसे छुट्टी पर जाने की सलाह दे दी गई है। हमें आशा है कि कुछ समय में उनका स्वास्थ ठीक हो जायेगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : ये मानचित्र बाहर प्रकाशित किये गये हैं

आय-कर का अपवंचन करने वाले

*786. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 के दौरान आय-कर विभाग ने आय-कर का अपवंचन करने वाले कितने व्यक्तियो के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति दी थी

(ख) उनमें से कितने मामलों में दण्ड दिया गया, कितने मामलों में समझौता कर लिया गया और कितने मामलों को बिना किसी दण्ड के खारिज कर दिया गया ; और

(ग) इन मामलों में जिन पर मुकदमे चलाये गये, उन पर आय-कर की कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आयकर विभाग ने कर-अपवंचन के सम्बन्ध में 1966-67 में चार व्यक्तियों के विरुद्ध तथा 1967-68 में सात व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही की। बहुत से अन्य मामलों में सरकार ने, इस्तगासे

की कार्यवाही की स्वीकृति दे दी थी किन्तु शिकायतें वस्तुतः वित्तीय वर्ष 1968-69 में दायर की गईं ।

(ख) दो मामलों में अभियुक्तों को दोषी पाया गया तथा उन्हें जुर्माने की सजा दी गयी। अन्य दो मामलों में निवारक समझौता शुल्क की अदायगी किये जाने पर अपराध क्षमा कर दिये गये। शेष सात मामले अभी भी न्यायालयों में चल रहे हैं ।

(ग) इन ग्यारह मामलों में आयकर की कुल बकाया रकम 73,11,806 रुपये है।

श्री गार्डिलिंगन गौड : मैसर्स एम० जी० ब्रदर्ज, मेमीगानार, आन्ध्र प्रदेश द्वारा कर-अपवंचन के बारे में दिसम्बर, 1967 में सूचना दी गई थी। एक वर्ष और तीन माह गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक जाँच पूरी नहीं हुई। मुझे बताया गया है कि जाँच पूरी करने में एक महीना और लगेगा। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय द्वार सूचना प्राप्त होने पर जाँच पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा होती है ?

श्री प्र० च० सेठी : माननीय सदस्य ने उन मुकदमों के बारे में पूछा है जो 1966-67 और 1967-68 के दौरान चलाये गये हैं। इस के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन व्यक्तियों के नाम बता सकता हूँ जिन पर मुकदमा चलाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक विशेष मामले के बारे में पूछा है। यदि मंत्री महोदय के पास जानकारी है तो वह दें अन्यथा वह नोटिस के लिए कह सकते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : वह विशेष मामला इस सूची में नहीं है।

श्री गार्डिलिंगन गौड : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय ने कर-अपवंचन के बारे में खोज करने के लिए कोई संके दिये है और यदि हाँ, तो जाँच अधिकारियों को क्या संकेत दिये गये हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमारा राजस्व आसूचना विभाग जाँच करता है। इसके अलावा सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी भी ऐसे व्यक्तियों को खोज में रहते हैं और उनका पता लग जाने पर उनके विरुद्ध अभियोग चलाये जाते हैं।

श्री रंगा : उन्होंने हिदायतों के बारे में पूछा है। क्या अधिकारियों को कोई हिदायत नहीं दी गई ? क्या उनको उस समय कोई हिदायत दी जाती है जब वे जांच-पड़ताल करते हैं या वे जो चाहें कर सकते हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : आय-कर तफतीश केवल किसी हिदायत के अनुसार नहीं होती बल्कि यह एक अधिनियम के अधीन होती है। अधिकारियों को अधिनियम तथा कानून के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ती है ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : अधिनियम में किसी मार्गदर्शन सिद्धान्त का उल्लेख नहीं किया गया है।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Purchase of Gypsum from Bhutan

*787. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the details of the report submitted by the Study Team which was sent to Bhutan for examining the feasibility of utilising Bhutanese gypsum ; and

(b) the steps being taken by Government for purchasing gypsum from Bhutan ; and

(c) whether Government propose to establish any fertilizer plant in West Bengal by bringing gas from Assam through pipelines and gypsum from Bhutan ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan)** :

(a) The Study Team on the exploration of Gypsum deposits in Bhutan has not yet submitted its final report.

(b) and (c) A decision on the question of purchasing gypsum from Bhutan and of establishing a fertilizer plant or any other plant based on Bhutan Gypsum can be taken only after the Study Team submits its final report and the same is examined.

### भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नरों की नियुक्ति

*788. **श्री रा० की० अमीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना के समय से अब तक उसके गवर्नर के पद पर केवल सिविल सेवा के अधिकारियों की ही नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार की यही नीति है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सिविल सेवाओं के अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की भी ऐसे पदों पर नियुक्त करने के बारे में विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी)** :

(क) रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर को छोड़ कर बाकी सभी गवर्नर सिविल सेवा के अधिकारियों में से नियुक्त किये गये थे।

(ख), (ग) और (घ) सरकार की नीति ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने की है जिन्हें वित्तीय मामलों की जानकारी तथा अनुभव हो, चाहे वे जीवन के किसी भी क्षेत्र के क्यों न हों। सरकार इस काम के लिए कोई समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती।

### मंत्रालयों में वित्तीय 'सैल'

*789. श्री स चं सामन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों में कार्य कर रहे वित्तीय 'सैलों' के प्रति सम्बन्धित मंत्रालयों के रवैये के बारे में पता है क्योंकि इन 'सैलों' का दृष्टिकोण संकुचित हैं तथा इनके कारण मंत्रालयों के प्रस्तावों तथा योजनाओं की क्रियान्विति में बाधा पड़ती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इनके कार्यसंचालन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) :

(क) जिस प्रकार के आरोप का उल्लेख किया गया है वैसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

### मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा भारतीय तेल निगम को ढोलों की सप्लाई

*790. श्री स० मो० बनर्जी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2017 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्द गालवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने टेंडर संख्या ओ० पी० / टेन / 7 / 65 के अनुसार सब ढोल भारतीय तेल निगम लिमिटेड को इस बीच सप्लाई कर दिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन्होंने भारतीय तेल निगम को अभी और कितने ढोल सप्लाई करने हैं और क्या इस ठेके को पूरा न करने के कारण भारतीय तेल निगम ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने उनसे अतिरिक्त खर्च के रूप में 1,34 000 रुपये वसूल कर लिये हैं जो उन्हें मैसर्स सप्लायर्स कारपोरेशन से 48 रुपये प्रति ढोल खरीदने पर खर्च करने पड़े थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी नहीं।

(ख) अभी 21,263 ढोलों की सप्लाई होनी है क्योंकि भारतीय तेल निगम को इन ढोलों की आवश्यकता है और पार्टी ने सप्लाई की वचन-बद्धता को पूरा करने से इन्कार नहीं किया है ; इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ग) और (घ) भारतीय तेल निगम के इस फर्म को दिये गये आदेश के अनुसार हिन्द गालवेनाइजिग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी ( प्राइवेट ) लि० से 2 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से पैसे वसूल किये जा सकते हैं यदि उक्त पार्टी ढोलों की सप्लाई में असफल रहती है। इस आधार पर भारतीय तेल निगम हिन्द गालवेनाईजिग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लि० से अधिकतम 42,000 रुपये का दावा कर सकती है। दण्ड आरोपित नहीं किया गया था क्योंकि इससे फर्म आदेश में उल्लिखित दर पर 21,000 ढोलों की सप्लाई के बन्धन से विमुक्त हो जाती।

### यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध तस्करी के आरोप

*791 श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 में सीमा-शुल्क ने अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्री एस० पी० दीवान के मकान की तलाशी ली थी :

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मकान से "शुल्क-मुक्त" शराब की 20 बोतलें और अन्य किस्मों की आयातित शराब की 4 बोतलें तथा 1,80,000 रुपये (एक लाख अस्सी हजार रुपये) के नोट मिले थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री दीवान को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर तस्कर व्यापार करने का आरोप लगाया गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) :

(क) जी हाँ।

(ख) उसके घर से, विदेशी शराब की 'शुल्क-मुक्त' अंकित 22 बोतलें तथा कानिएक की 'शुल्क-मुक्त' अंकित एक बोतल बरामद की गई थी। इनके अतिरिक्त उसके घर से 'शुल्क-मुक्त' अंकित शराब की चार खाली बोतलें तथा 1,80,000 रुपये (एक लाख अस्सी हजार रुपये) के करेन्सी नोट भी बरामद किये गये थे।

(ग) तथा (घ) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा श्री एस० पी० दीवान को गिरफ्तार किया गया था और एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने 25,000 रुपये की जमानत तथा एक मुचलके पर उन्हें रिहा किया है। उन पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के सम्बन्धित उपबन्ध के अन्तर्गत अभियोग लगाया गया है। समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली द्वारा श्री एस० पी० दीवान को एक "कारण बताओ नोटिस" 19-2-1969 को जारी किया गया है।

### तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

*792. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने, वर्ष 1968–69 के लिए ड्रिलिंग और खोज का कार्य अनुसूची के अनुसार किया है ;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम तथा गुजरात क्षेत्रों में अब तक अलग-अलग कितने कच्चे तेल का उत्पादन किया है; और

(ग) क्या देश में कच्चे तेल की आवश्यकता और उसके उत्पादन का अन्तर बढ़ रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी हाँ।

(ख) 28 फरवरी, 1969 तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के आसाम तथा गुजरात के तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का संचित उत्पादन निम्न प्रकार हैं :-

| | |
|---|---|
| आसाम | 0.137 मिलियन मीटरी टन |
| गुजरात | 11.484 मिलियन मीटरी टन |

(ग) जी हाँ।

**Individuals and Companies Whose Tax Arrears Exceed Rupees one Crore**

*793. **Shri Brij Bhushan Lal :**
**Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shri Suraj Bhan :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Ranjit Singh :**
**Shri Mrityunjay Prasad :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the individuals and companies which have to pay more than one crore of rupees by way of various taxes ; and

(b) the steps taken so far to realise taxes, and proposed to be taken in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P C. Sethi ) :**

(a) and (b) The requisite information is placed on the Table of the House. **[Placed in Liberary. See L.T. No. 558/69].**

**किसानों को बैंक सम्बन्धी सुविधायें**

*794. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बैंकों को निर्देश दिये हैं कि किसानों की सेवा के लिये अपनी शाखायें खोलें ;

(ख) यदि हाँ, तो गत छः महीनों में बैंकों की कितनी शाखाएँ खोली गई है ; और

(ग) बिहार, विशेष कर खगरिया और बेगूसराय सब-डिवीजनों में कितनी शाखाएँ खोली गई हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी):**

(क) सरकार ने कोई हिदायत जारी नहीं की है, पर बैंक नयी शाखाएँ खोलने के

अपने कार्यक्रमों को रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में, आयोजित और समन्वित ढंग से, कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि शाखाएँ ऐसे केन्द्रों में खोली जाँय जहाँ बैंक न हों।

(ख) और (ग) 1 अगस्त, 1968 से 31 जनवरी, 1969 तक की छः महीने की अवधि में देहाती और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 283 शाखाए खोली गयी हैं, जिनमें से 206 शाखाएँ ऐसे केन्द्रों में खोली गई हैं जहाँ बैंक नहीं थे। खगरिया और बेगूसराय सब-डिवीजनों में कोई शाखा नहीं खोली गयी है।

**Grants to Approved Private Printing Presses for Modernisation**

*795. **Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether grants are given by Government to those private printing presses for modernisation which are included in the approved list of the Controller of Printing ;

(b) whether Sat-Sahitya Prakashan is included in the approved list of the Controller of Printing; and

(c) if so, whether any grant has been given to it ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development : (Shri B . S. Murthy ):**

(a) No, Sir.
(b) No, Sir.
(c) Does not arise.

**कांचोपुरम में कैंसर की रोकथाम के लिये प्रायोगिक परियोजना**

*796. श्री बाबूराव पटेल : स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्वे की सहायता से कांचीपुरम में कैंसर की रोकथाम के लिये स्थापित की जाने वाली प्रायोगिक परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी और उसमें से कितनी लागत भारत द्वारा वहन की जायेगी और इस परियोजना का काम कब आरम्भ हो जायेगा ;

(ख) इसको चलाने के लिए कितने विदेशी तथा भारती कैंसर विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी ;

(ग) क्या ऐसी परियोजनाएं अन्य राज्यों में भी आरम्भ की जाने की सम्भावना है ;

(घ) इस केन्द्र में किस प्रकार का अनुसंधान कार्य किया जाएगा ; और

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्य देशों में अनेक वर्षों से बड़े पैमाने पर कैंसर अनुसंधान कार्य किए जाने पर भी कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकले है; भारत में एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करना क्यों आवश्यक समझा गया ?

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री के० के० शाह)**

(क) भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य सगठन द्वारा नवम्बर 1968 में हस्ताक्षरित कैंसर नियन्त्रण मार्गदर्शी परियोजना, कांचीपुरम (मद्रास) के प्लान आव आपरेशन के अनुसार :

I विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यतः निम्नलिखित सामग्री प्रदान करेगा :—

(i) पाँच साल के लिए प्रति वर्ष 20,000 डालर का सहाय्यानुदान;

(ii) परियोजना के कम से कम पहले 12 महीनों के लिए एक कार्यक्रम-निदेशक;

(iii) परियोजना के लिए जहाँ आवश्यक हो, अतिरिक्त सहायता (परामर्श-दाताओं और सामग्रियों तथा उपस्करणों सहित) की व्यवस्था करना;

(iv) जहाँ आवश्यक हो, शिक्षावृत्ति देना;

(v) नार्वे की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की भेंट के अनुसार तथा धन उपलब्ध हो जाने पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जहाँ आवश्यक हो, भवनो, चिकित्सा उपस्करण एवं वाहनों सहित सामग्रियों पर होने वाले पूँजीगत खर्च को पूरा करने के लिए आगे और अंशदान देगा जो कि 1,000,000 एन० केआर० से अधिक न हो और पाँच साल की अवधि में इस उपस्करण के रख-रखाव के लिए प्रथम वर्ष 70,000 एन० के आर० के समकक्ष तथा इसके बाद प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में इस रकम को 20 प्रतिशत के हिसाब से घटा कर अतिरिक्त राशि भी देगा।

11 भारत सरकार मुख्यतः निम्नलिखित सामग्री प्रदान करेगी :—

(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त सहायता के अतिरिक्त इस परियोजना के लिए, जहाँ आवश्यक हो, मुख्य जिम्मेवार अधिकारी तथा क्षेत्रीय पर्यवेक्षक के रूप में काम करने के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (ऐसे अन्य कर्मचारी) सामग्री तथा उपस्करण देना (जो कि 5000 रुपये से अधिक न हो)

(ii) इस परियोजना के लिए काँचीपुरम में जिला अस्पताल के अहाते में एक उपयुक्त भवन निर्माण हेतु स्थान देना।

(क) इस परियोजना के संचालन क्षेत्र में सामुदाय के एक छोटे सेक्शन का पूर्व-अध्ययन कार्य शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

(ख) अन्य तकनीकी तथा सहायक नेशनल स्टाफ के अतिरिक्त इस समय इस परियोजना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक कार्यक्रम-निदेशक तथा एक मुख्य जिम्मेवार अधिकारी, जो कि विशेषज्ञ होंगे, के नियुक्त किए जाने का विचार है।

(ग) इस समय अन्य राज्यों में इस प्रकार की परियोजनाएँ चलाने का कोई विचार नहीं है।

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत काँचीपुरम की अनुमानतः एक लाख आबादी का तथा बाद में काँचीपुरम पंचायत यूनियन के ग्राम क्षेत्र के एक भाग का सर्वेक्षण किया जायेगा। इस क्षेत्र के सभी निवासी साक्षात्कार के लिए तथा मुख कोटरिका और ग्रीवा में कैंसर तथा कैंसर-पूर्व स्थितियों के सम्बन्ध में क्लीनिकल जाँच-पड़ताल करने के लिए बुलाये जायेंगे।

आवश्यक कोशिकी परीक्षण भी किये जायेंगे । कैंसर से पीड़ित रोगियों का आवश्यक उपचार किया जायेगा और कैंसर पूर्व की अवस्था वाले अन्य रोगियों में कैंसर के विकास की रोकथाम करने के लिए उपचार व्यवस्था की जायेगी।

(ङ) कैंसर के कार्य-कारण अथवा उपचार में कांचीपुरम अनुसंधान परियोजना महंगी नहीं है । किसी खास सोसाइटी में कैंसर नियन्त्रण की प्रक्रिया विषयक अध्ययन व्यवहार्य तथा स्वीकार्य है । बड़े पैमाने पर नियन्त्रण कायक्रम चलाने से पहले इस प्रकार के मार्गदर्शी अध्ययन करना वांछनीय तथा आवश्यक है।

पाकिस्तान द्वारा पदमा नदी पर बाँध का निर्माण

*797. श्री समर गुह : श्री एम० एम० कृष्ण : श्री श्रीनिवास मिश्र : श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान पदमा नदी पर बाँध बना रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वह पदमा के प्राकृतिक जल से वंचित हो जायेगा और इसके फलस्वरूप बड़े क्षेत्र में खेती योग्य भूमि ऊसर हो जायेगी; और

(ग) भारतीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव)

(क) से (ग) इस समय पाकिस्तान में पदमा पर कोई बराज नहीं बन रहा । पाकिस्तान ने एक स्कीम प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत पदमा नदी पर पूर्वी पाकिस्तान में हार्डिंज ब्रिज के अनुस्रोत बराज का निर्माण किया जाना है । यदि यह बराज बन जाता है तो इससे जल-भग्नता और कटाव के रूप में भारत के विशाल भू भाग को हानि पहुँचेगी । भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक कड़ा विरोध-पत्र दिया है और यह कहा है कि पदमा नदी पर ऐसा कोई निर्माण-कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भारत में पड़ने वाले प्रतिस्रोत क्षेत्र को कोई हानि हो। पदमा नदी पर अनुस्रोत में पड़ने वाली बराज से भारत में होने वाली सिंचाई पर प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

रुई के कारखानों के लिये रासायनिक पदार्थ की कमी

*798. श्री जे० कृ० दासचौधरी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के कारखानों के लिये अपेक्षित कुछ रासायनिक पदार्थों का अभाव है; और

(ख) क्या कपास के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिये रुई के कारखानों को ये रासायनिक पदार्थ सप्लाई करने के लिये सरकार का इनका आयात करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण ) :

(क) हाइड्रोसल्फाइट सोडा, सोडियम सल्फोयलेट सोडियम नाइट्रेट आदि कुछ रसायनिक पदार्थों की रुई के कारखानों के लिए, कमी की हाल ही में रिपोर्ट मिली है ।

(ख) कमी को दूर करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) राज्य व्यापार निगम की मार्फत 1,000 मीटरी टन हाइड्रोसल्फाइट सोडा और 200 मीटरी टन सोडियम सल्फोयलेट के तदर्थ आयात की अनुमति दी जी रही है ।

(2) सोडियम नाइट्रेट की आयात के लिये वास्ताविक प्रयोगकर्ता व्यवस्था की गई है ।

इसके अतिरिक्त, हाथ करघा कपड़े को शामिल करते हुये सूती कपडे के निर्यातकर्त्ताओं को रंजक एवं रसायनिक पदार्थों, जिनकी उन्हें जरूरत होती है, के आयात अधिकार संपूर्ति की अनुमति दी गई है । यह आशा है कि किये गये प्रबन्ध पर्याप्त होंगे ।

**Use of Natural Gas**

*799. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of the States in which natural gas is available ;

(b) the purposes for which the gas is being used along with the percentage of gas used in each State ; and

(c) the percentage of gas unutilised in each State ?

**The Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Dr. Trigun Sen):**

(a) Assam and Gujarat.

(b) During 1968, the natural gas was being used in the country for the following purposes

1. Power Generation.
2. Fertilizer production
3. Fuel (in industry and domestic sector)
4. Repressuring the producing oil sands for pressure maintenance.

Assam utilized 39.7% and Gujarat 55.5 % for these purposes.

(c) The percentages of unutilized gas during 1968 in Assam and Gujarat was 60.3 % and 44.5 % respectively.

**Synthetics and Chemicals Ltd., Bombay**

*800. **Shri Sharda Nand** : **Shri Bansh Narain Singh** :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the date on which the Synthetics and Chemicals Ltd., Bombay applied for a licence and when it started functioning ;

(b) the conditions on which this concern was to function and the type of production work being done by it ; and

(c) the quantum of production of the concern since its inception ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) :**

(a) The licence was applied for on 10th September, 1959. It was granted on 20th October, 1959. Production commenced in May, 1963.

(b) A statement containing the conditions appended to the licence is laid on the table of the House. The following products are being manufactured :

(i) SBR General Purpose Rubber ;
(ii) Styrene monomer ; and
(iii) Butadiene.

(c) About 96,000 tonnes of synthetic rubber during the period from 1963 to 1968.

**Statement**

**Conditions given in Licence No. L/19(6)/N-1/59, dated 20th October, 1959.**

1. "Effective steps" as defined in Rule 2(ii) o the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, shall be taken for the establishment of this new industrial undertaking within a period of 6 months from the date of issue of the licence.
2. The new industrial undertaking shall be established within a period of twelve months from the date of issue of the licence.
3. The new industrial undertaking shall be located at Tehsil-Fatehgunj, District—Bareilly, State Uttar Pradesh ; or any other site approved by the Government of India.
4. The new industrial undertaking shall have installed capacity (on continuous working) for the manufacture of the following as indicated against each :

| | |
|---|---|
| (i) General-Purpose Synthetic Rubber-GRS (cold, hot, oil-extended latices). | 20,000 (Twenty thousand) tons per annum, to be raised to 30,000 (Thirty thousand) tons per annum. |
| (ii) Styrene Monomer. | 9,000 (Nine thousand) tons per annum. |
| (iii) Butadiene | 16,800 (sixteen thousand and eight hundred) tons to be raised to 25,200 (Twenty-five thousand two hundred) tons per annum. |

The question as to whether the expansion of capacity from 20,000 tons to 30,000 tons per annum of synthetic rubber would be in terms of GRS rubber or the new polybutadine (diene) rubber should be settled to the satisfaction of the Government at the appropriate time. No section of the industrial undertaking should have, except with the prior approval of the Government of India, capacity substantially in excess of that specified in the licence.

5. The import of plant and machinery shall be subject to import control regulations from time to time.
6. The import of raw materials will be regulated by the general policy that may be in force from time to time having regard to the foreign exchange position and other exigencies. If the industrial undertaking or any of its associate concerns is entitled to an established importers' quota licences for the items covered by the licence the question as to whether, and if so to what extent, such established importers' quotas should be utilised for, or diverted to, the import of raw materials will be considered separately on the merits of the case.

7. The industrial undertaking shall obtain prior permission from the Government of India before effecting a substantial expansion of its capacity for the manufacture of these articles or before establishing capacity for the manufacture of any other "article" falling under the first Schedule to the Act.

8. No guarantee can be given in regard to the allocation of pig iron/scrap/steel from sources controlled by the Government of India. Imports of such materials will be governed by the general policy applicable to raw materials as explained above.

9. Any prospectus or other document by which the public is invited to subscribe capital for this industrial undertaking shall contain the following statement :—

"A licence has been obtained from the Central Government for the establishment of this new industrial undertaking of which a copy is open to public inspection at the Head Office of the Company. It must be distinctly understood that in granting this licence the Government of India do not take any responsibility for the financial soundness of this undertaking or for the correctness of any of the statements made or opinions expressed in regard to it."

### खम्भात की खाड़ी में तट-दूर खुदाई (ड्रिलिंग)

*801. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री नि० रं० लास्कर :

श्री रा० बरुआ : श्री चेंगलराया नायडू :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात की खाड़ी के कम गहरे क्षेत्रों में खुदाई (ड्रिलिंग) करने की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की योजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम से कम से कम 15 महीने पिछड़ गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :

(क) जी नहीं । वर्तमान संकेतों के आधार पर छः महीनों का विलम्ब हो सकता है ।

(ख) विलम्ब के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) ड्रिलिंग के लिये नये स्थान का चयन किया गया था क्योंकि बाद के सर्वेक्षणों से उच्च ज्वार के समय समुद्री जल से मूल स्थान में बाढ़ आने की संभावना के संकेत मिले; और

(2) स्थिर प्लेटफार्म बनाने के लिये अपेक्षित चल-क्रेन की अनुपलब्धि ।

(ग) चल-क्रेन प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

### Sign Boards on Tees January Marg, New Delhi

*802. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the New Delhi Municipal Committee has created 8 electric boards on the Tees January Marg on which the words "Birla House is here" have been written ;

(b) whether Government have a proposal instead to put up stones bearing the name of Mahatma Gandhi at the place of his sacrifice and to put up boards on the said Marg that "Gandhiji was sacrificed here" ; and

(c) if so, the details thereof ?

**The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) :**

(a) No Sir. The New Delhi Municipal Committee have erected seven illuminated sign boards in the Tees January Marg area with the words "Gandhi Balidan Sthal".

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

### बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ पाँचवे वित्त आयोग की बातचीत

*803. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाँचवे वित्त आयोग ने बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बातचीत पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने कपड़े पर पुनः बिक्री कर लगाये जाने, बिहार को अपने हिस्से के रूप में 50 प्रतिशत उत्पादन शुल्कों की राशि दी जाने तथा केन्द्रीय राजस्व में राज्यों के हिस्से जनसंख्या के आधार पर नियत किये जाने की माँग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :**

(क), (ख) और (ग) ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने आयोग के पास जो ज्ञापन, अनुमान सम्बन्धी पत्र और अन्य कागजात भेजे थे उनके आधार पर आयोग ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से बात-चीत की है। आयोग द्वारा अपनायी गयी कार्यप्रणाली के नियमों के अनुसार, आयोग के पास ऐसे विषयों के सम्बन्ध में भेजे गये सभी पत्र आदि गोपनीय समझे जाते हैं जिन पर आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

(घ) ऊपर बतायी गयी स्थिति को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

### कुपोषण के कारण बच्चों में चर्मरोग

*804. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ प्रमुख बंगाली दैनिक पत्रों में बच्चों में चर्म रोगों के बारे में हाल ही में प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या बी० सी० राय पोलियो क्लीनिक, कलकत्ता के डा० दीप्ति सूर राय चौधरी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कुपोषण के कारण बच्चों में चर्म रोग बढ़ गये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त डाक्टर द्वारा किये गये सर्वेक्षण का क्या ब्यौरा है; और

(घ) यदि इस बढ़ते हुए रोग को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है, तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मंत्री ( श्री के० के० शाह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं । बी० सी० राय मेमोरियल बाल अस्पताल, कलकत्ता के डा० दीप्ति सूर राय चौधरी द्वारा चर्म रोग के 1000 रोगियों पर किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुपोषण के कारण केवल तीन प्रतिशत रोगी चर्म रोग से ग्रस्त हैं । सर्वेक्षण यह नहीं बतलाता है कि कुपोषण के कारण चर्मरोग के प्रकोप में वृद्धि हुई है ।

(ग) बी० सी० राय मेमोरियल बाल अस्पताल, कलकत्ता के, चर्मरोग शास्त्री, डा० डी० सूर राय चौधरी ने कलकत्ता मेडिकल जर्नल के दिसम्बर 1968 के अंक 65 संख्या 12 में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने बी० सी० राय मेयोरियल बाल अस्पताल, कलकत्ता के क्लीनिक में आने वाले 1000 रोगियों के विश्लेषण के निष्कर्षों का उल्लेख किया है । उन्होंने व्यक्त किया है कि हाल के वर्षों में खुजली जैसे अनेक चर्म रोगों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है । तथापि, उनके अध्ययन से पता चलता है कि कुल चर्म रोगियों का तीन प्रतिशत ही कुपोषण के कारण ग्रस्त है । बच्चों में चर्म रोग होने के अन्य प्रमुखतया जीवाणु संक्रमण, पशु-परजीवी, एलर्जिक चर्मी आदि कारण बतलाये हैं ।

कुपोषण के कारण बच्चों में चर्मरोग के प्रकोप की वृद्धि हो रही है, इसका डा० चौधरी ने कोई उल्लेख नहीं किया है ।

10 जून, 1968 से 25 नवम्बर, 1968 की अवधि में क्लीनिक में आने वाले 1000 रोगियों के विश्लेषण का ब्यौरा —

| सामने आये रोग | रोगियों की संख्या | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1. सामान्य जीवाणु संक्रमण के कारण रोग का प्रकोप | 247 | 24·7 प्रतिशत |
| 2. विशिष्ट जीवाणु के कारण रोग हुआ । | 13 | 1·3 प्रतिशत |
| 3· विषाणु के कारण रोग का प्रकोप | 15 | 1·5 प्रतिशत |
| 4. फफूंदी के कारण रोग का प्रकोप | 18 | 1·8 प्रतिशत |
| 5. पशु परजीवी के कारण रोग | 216 | 21·6 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| 6. एलर्जिक चर्मी | 135 | 13·5 प्रतिशत |
| 7. पित्ती | 8 | 0.8 प्रतिशत |
| 8. विषालु | 15 | 1·5 प्रतिशत |
| 9. न्यूरांडरमैटाइटिस | 4 | 0·4 प्रतिशत |
| 10. कुपोषण के कारण हुए रोग | 30 | 3 प्रतिशत |
| 11. जन्म जात रोग | 14 | 1·4 प्रतिशत |
| 12. पिगमेण्टरी एनोमलीज | 8 | 0·8 प्रतिशत |
| 13. सेवोरिहिक एफेक्शन ग्राफ स्किन | 203 | 20·3 प्रतिशत |
| 14. अज्ञात बेतुकी के कारण | 9 | 0 9 प्रतिशत |
| 15. विविध | 65 | 6·5 प्रतिशत |

(घ) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुपोषण सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये समन्वित रूप से प्रयास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत रोगानुकूल व्यक्तियों को अनुपूरक खाद्य देने का कार्यक्रम, पौष्टिक खाद्य तैयार करना और उसका वितरण, हर सम्भव तरीके से खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना और उनका विस्तार, व्यावहारिक पोषण कार्यक्रमों तथा कुपोषण के प्रारम्भिक रोगियों का पता लगाना तथा उपचार करना जैसे कार्य सम्मिलित हैं। बच्चों में पोषण के स्तर को सुधारने के लिये नीचे लिखे उपाय बरते जाते हैं :—

1. विभिन्न एजेन्सियों की सहायता से चलाए जा रहे नीचे लिखे कार्यक्रमों के माध्यम से अनुपूरक खाद्य दिए जाते हैं :—
   (क) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन देना;
   (ख) बाल बाड़ियों के माध्यम से भोजन बाँटना;
   (ग) स्कूल आहार कार्यक्रम; और
   (घ) प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य दुग्धाहार कार्यक्रम।
2. माताओं को पोषण विषयक शिक्षा देना ताकि वे आमतौर पर उपलब्ध सस्ते भोजनों में से अपने बच्चों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकें।
3. प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा कुपोषण के प्रारम्भिक रोगियों का उपचार करना।
4. खाद्य विभाग ने बाल आहार, बहुद्देश्यीय खाद्य (मल्टी-परपज फूड), माँ का दूध छुड़ाने वाला खाद्य (वीनिंग फूड) आदि जैसे उच्च प्रोटीनयुक्त आहार तैयार करने की परियोजनाएँ चला कर बच्चों तथा अन्य रोगानुकूल वर्गों में प्रोटीन विषयक कुपोषण को रोकने के लिये कदम उठाए हैं।

5. पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म के खाद्य पदार्थों का यथासम्भव उत्पादन।
6. जनसंख्या के सभी वर्गों को प्रर्याप्त मात्रा में भोजन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए वितरण की पर्याप्त मशीनरी की व्यवस्था करना।
7. कुपोषण को हमेशा भड़काने वाले संक्रमण को कम करने के लिए पर्यावरणिक सफाई का नियंत्रण; और
8. रक्त क्षीणता, गलगण्ड, केरेथोमैलेशिया आदि जैसी कुपोषण की कतिपय स्थितियों के विरुद्ध विशेष सुधारक उपाय।

दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने की परियोजना

*805. श्री हरदयाल देवगण : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिये एक परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना पर कब कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है;

(ग) इस परियोजना पर कितना धन व्यय किया जायेगा; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी हाँ। मुख्य परियोजना घोज और कोट (गुड़गाँव जिला) में कच्चे पानी का संचयन, उसका शोधन तथा वितरण की है।

(ख) बांध वाले स्थल पर विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है।

(ग) इस परियोजना पर अनुमानतः लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

(घ) यह परियोजना चौथी पँचवर्षीय योजना अवधि में पूरी हो सकती है बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो जाय।

भारत में अंधापन

*806 श्री डा० कर्णी सिंह : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अंधे व्यक्तियों की बढ़ती जा रही संख्या का हाल ही में पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो रूस और इंगलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरीका की तुलना में भारत में एक लाख व्यक्तियों में औसतन कितने व्यक्ति अंधे हैं;

(ग) भारत में अंधे व्यक्तियों की इस गैर-अनुपातिक वृद्धि के क्या मूल कारण है; और

(घ) क्या सरकार का विचार विशेषकर बच्चों में इस रोग के उपचार के लिए कोई विशेष कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) भारत में अन्धेपन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :—

रोहे, चेचक, पोषण तत्वों की कमी, मोतियाबिन्द, ग्लॉकोमा और नासूर ।

(घ) सरकार ने बच्चों में रोहे और चेचक के प्रकोप रोकने तथा पोषण तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पहले ही कदम उठा लिये हैं ।

**विवरण**

(क) और (ख) हाल में भारत में अन्धेपन के सम्बन्ध में कोई जनगणना नहीं की गई है । वैसे, मई से अगस्त 1968 में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने आन्ध्र प्रदेश के 85,000 की कुल आबादी वाले तीस ग्रामों में तथा 106,000 की आबादी वाले 140 नगर खंडों में नमूना गणना, 1968 के रूप में एक नमूना सर्वेक्षण किया था । इस सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि ग्राम क्षेत्र में प्रति लाख व्यक्तियों में 32·7, नगर क्षेत्रों में 34·0 तथा समूचे राज्य में 33.7 व्यक्ति अनुमानतः अन्धेपन से पीड़ित हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने 1958 से 1963 तक देश भर में रोहे के भौगोलिक कारणों पर किये गये सर्वेक्षण-अध्ययन के दौरान लोगों के दर्शनांग सम्बन्धी आँकड़े एकत्र किये । इस प्रकार से एकत्र किये गये आंकड़ों से पता चला कि आर्थिक दृष्टि से देश में लगभग 45 लाख अन्धे व्यक्ति हैं । औसतन अनुमान एक लाख की आबादी के पीछे 1000 व्यक्तियों का अन्धा होना है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्रिटेन और अमरीका में प्रति लाख व्यक्तियों के पीछे क्रमशः 205 (इंगलैंड एण्ड वेल्स 1963) और 214 व्यक्ति अन्धेपन से ग्रस्त हैं ।

**विस्थापित स्वर्णकारों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ तथा निशुल्क शिक्षा**

*807. श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित स्वर्णकारों के बच्चों को छात्रवृतियाँ तथा शिक्षा शुल्क सम्बन्धी रियायतें देने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) स्वर्णकारों के बच्चों को, उनके माता-पिता की जीविका के साधनों की कुछ जाँच करने की शर्त के अधीन रहते हुए, शिक्षण शुल्क की माफी, वजीफे/शिक्षण-वृत्तियाँ,

पुस्तक-अनुदान आदि वे सब सुविधाएँ दी जाती हैं, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इस सम्बन्धी योजना के अधीन पिछड़ी जातियों को दी जाती हैं और इसी प्रकार श्रम एवं नियोजन मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा परिचालित योजना के अनुसार वजीफे आदि के साथ तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएँ दी जाती हैं । स्वर्णकारों के जिन बच्चों ने 31 मार्च 1966 से पहले शिक्षा सम्बन्धी सहायता अथवा तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा के लिये आवेदन-पत्र दिये थे उन सब को शिक्षा सम्बन्धी यह सहायता उनके निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के पूरा होने तक मिलती रहेगी ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

निर्यात का देश में वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव

*808. श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न, उद्योगों के कच्चे माल, कपड़ा, चीनी, सीमेंट, पटसन, लोहा तथा इस्पात, उर्वरक और औषधियों के उत्पादन के गत वर्ष के और नवीनतम आँकड़े क्या-क्या हैं ;

(ख) उत्पादन में हुई वृद्धि का देश में वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव न पड़ने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारत का इस वर्ष बढ़ा निर्यात इसके लिए जिम्मेदार है ;

(घ) यदि हाँ, तो निर्धन वर्गों के उपभोक्ताओं के हितों का निर्यात करने के इच्छुक लोगों के पक्ष में बलिदान करने के क्या कारण हैं;

(ङ) कितने माल का निर्यात उधार किया गया और उसका मूल्य कितना है; और

(च) क्या हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति और आन्तरिक मुद्रा स्फीति पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर विचार किया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) उत्पादन में वृद्धि होने और मूल्यों को स्थिर बनाये रखने के लिए अपनाये गये नीति-सम्बन्धी उपायों के कारण थोक मूल्यों का सूचक अंक 1·0 प्रतिशत घट गया अर्थात् यह सूचक अंक, जो 1967 में 211·7 था, घट कर 1968 में 209·5 हो गया।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

(ङ) विलम्बित अदायगी के आधार पर किया जाने वाला निर्यात, भारत द्वारा किये जाने वाले कुल निर्यात के एक प्रतिशत से भी कम है ।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कारगर ढंग से प्रतियोगिता करने के लिए यह आवश्यक है कि पूँजीगत उपकरणों जैसी वस्तुओं का निर्यात विलम्बित अदायगी के आधार पर किया जाय । चूँकि विलम्बित अदायगी के आधार पर इस प्रकार का निर्यात बहुत कम किया

जाता है, इसलिए इस निर्यात के कारण देश में, इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होगी।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक
(1960=100)

| समूह/वस्तुएँ | जनवरी-अक्तूबर | |
|---|---|---|
| | 1967 | 1968* |
| कपड़ा (मिल का) | 89·6 | 97·5 |
| चीनी | 69·2 | 73·3 |
| सीमेण्ट | 143·3 | 149 2 |
| जूट | 103·9 | 99·6 |
| लोहा और इस्पात | 178·2 | 180 2 |
| रासायनिक खाद्य | 332·3 | 421·7 |
| औषधि और भेषज | 140·0 | 147·7 |

*अनन्तिम

खेती की पैदावार के सूचक अंक
(1949-50=100)

| | *1966—67 | 1967—68** |
|---|---|---|
| अन्न | 125·8 | 159·9 |
| तेलहन | 125·7 | 159·6 |
| कपास | 191.1 | 213·1 |
| जूट | 162·4 | 193·1 |
| गन्ना (गुड़) | 158·1 | 165·7 |

*अंशतः संशोधित अनुमान
**अन्तिम अनुमान

राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम

*809. श्री नन्दकुमार सोमानी : श्री मीठा लाल मीना :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि दी है;

(ख) क्या उसका पूर्ण उपभोग किया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम ने राजस्थान राज्य में यथोचित प्रगति नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) और (ख) परिवार नियोजन कार्य के लिए राजस्थान सरकार को 1966-67 और 1967-68 के अस्थायी अदायगी, और राजस्थान के महालेखाकार से प्राप्त जाँचा हुआ लेखा-विवरण, सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। विवरण में देखा जा सकता है कि 1966-67 की अस्थायी अदायगी पूर्णतः उपयोग में लाई गई, लेकिन 1967-68 के खर्च के जांचे गए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1966-67 और 1967-68 के दौरान राजस्थान को स्वीकृत की गई अस्थायी अदायगी और परिवार नियोजन कार्यक्रम पर हुआ खर्च इस प्रकार है :—

| वर्ष | स्वीकृत अस्थायी अदायगी | लेखा-परीक्षण प्रमाण-पत्र के अनुसार खर्च |
|---|---|---|
| 1966-67 | 43·00 लाख रुपये | 50 89 लाख रुपये |
| 1967-68 | 127·28 लाख रुपये | अभी उपलब्ध नहीं है। |

विवरण

राजस्थान में परिवार नियोजन कार्यक्रम मुख्यतः निम्नलिखित कारणों के परिणामस्वरूप संतोषजनक प्रगति नहीं कर रहा है :—

(1) सभी स्तर पर उचित संगठनों का अभाव और, विशेषकर, गांवों में उचित केन्द्रों की कमी।

(2) ग्रामीण परिवार नियोजन उप केन्द्रों की आवश्यकताओं और निर्माण में भारी अन्तर।

(3) महिला डाक्टरों की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

(4) राज्य में अकाल और सूखे की स्थिति। कुछ जिलों में रोग फैलने के कारण इस स्थिति का और बिगड़ जाना।

कार्यक्रम की प्रगति के लिए विभिन्न उपाय किये गए हैं।

गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी

*810. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरांवाला हाउस बिल्डिंग कोआपरेटिव सोसाइटी ने अपने सदस्यों को शेष प्लाट अलाट करने के लिए पर्चियाँ निकालने की तिथि निर्धारित कर दी है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सोसइटी द्वारा दिये गये भूमि के मूल्य, विकास की लागत तथा प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी गई प्रीमियम की दर का हिसाब लगाया गया है और क्या फलों/लकड़ी तथा खड़े वृक्षों की बिक्री से तथा पिछले कई वर्षों में ब्याज से सोसाइटी को होने वाली आय का भी हिसाब लगाया गया है और यदि हाँ, तो दोनों मामलों में प्रति वर्ग गज की क्या दर आयी है ; और

(ग) क्या सरकार सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों से 32 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मूल्य लेना उचित समझती है और यदि नहीं, तो इस मामले में तथा सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क) सोसाइटी से अगली पर्ची निकालने की किसी तारीख की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह मालूम हुआ है, कि इस उद्देश्य से सोसाइटी द्वारा कार्य-क्रम बनाया जा रहा है। सोसाइटी को आवंटित की गई भूमि से गुजर रही वजीरपुर छोटी नहर (माइनर कैनाल) से कुछ प्लाट प्रभावित होते हैं। इस नहर को बन्द करने के प्रश्न पर हरियाणा सरकार के नहर विभाग को लिखा गया है। सोसाइटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक पुनरीक्षित लेआउट प्लान भी भेजा है, जो कि अभी विचाराधीन है।

(ख) 'दिल्ली में' 'भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान' की योजना के अधीन भूमि, प्रीमियम की अदायगी पर सहकारी भवन-निर्माण समितियों को आवंटित की गई है / की जा रही है, जिसमें उस क्षेत्र के लिए निश्चित पूल दर के आधार पर निकाली गई भूमि की लागत शामिल है, जहाँ भूमि आवंटित की जानी है, और कुल बनाए जाने वाले प्लाटों की संख्या को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त प्रभार की गणना की जानी है। प्रीमियम आवंटन के समय लिया जाता है, और अन्तिम समायोजन भूमि का विकास पूरा हो जाने और भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने के पश्चात् चिरस्थाई पट्टे पर हस्ताक्षर करने के समय पर किया जाता है। इस सोसाइटी के मामले में अभी विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जहाँ तक विकास की लागत का सम्बन्ध है, यह मामला मूलतः सोसाइटी से सम्बन्ध रखता है।

फल, लकड़ी तथा खड़े हुए वृक्षों की बिक्री से सोसाइटी को होने वाले लाभ के प्रश्न

के बारे में सोसाइटी ने सूचित किया है, कि इस स्रोत से बिक्री से प्राप्त हुई रकम, सोसाइटी की जनरल बॉडी के अनुमोदन से भूमि के विकास लेखा में जमा कर दी गई थी, और इस रकम का लाभ सदस्यों को स्वयमेव प्राप्त होगा। सोसाइटी ने आगे यह सूचना दी है, कि प्राप्त हो रहा ब्याज प्रति वर्ष लाभ तथा हानि लेखा में डाला जा रहा है। उनके हिसाब-किताब की परीक्षा रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा की जानी है।

(ग) आजकल के भूमि के मूल्यों को देखते हुये, सोसाइटी द्वारा निश्चित की गई 32 रुपये प्रति वर्ग गज की अन्तरिम दर (प्रोविज़नल रेट) अनुचित नहीं समझी जाती।

**मनीपुर, नागलैण्ड और नेफा के लिए मेडिकल कालेज**

4739. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास, एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मनीपुर, नागालैण्ड तथा नेफा के लोगों की सुविधा के लिए एक मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय किया है जिसमें सब उपकरणों तथा अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था होगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कालेज कब और कहाँ खोला जायेगा ?

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह):**

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**जाली डालर मुद्रा भारत भेजी जाना**

4740. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के पाँच व्यक्तियों ने लाखों जाली डालर नोट परिचालित करके भारत के बैंकों को धोखा देने की कोशिश की थी और यदि हाँ, तो कितनी राशि के जाली नोट भारत में आये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दोषी व्यक्तियों ने एक करोड़ डालर के मूल्य के नोट छापे थे जिनमें से 40 लाख डालर के नोट अमरीकी संघीय अधिकारियों द्वारा 29 दिसम्बर, 1967 को कैनेडी हवाई अड्डे पर पकड़ लिये गये थे ; और

(ग) क्या इस कथित अपराध में किन्हीं भारतीय नागरिकों का हाथ है और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं और उसमें उनका कितना हाथ है ?

**उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

(क) यह प्रश्न संभवतः कुछ अखबारों में छपी एक खबर के संदर्भ में है। सरकार के पास इस आशय का कोई संकेत नहीं है कि कथित जाली मुद्रा का कोई भाग भारत में आया हो।

(ख) तथा (ग) कथित घटनाएँ विदेशी राष्ट्र में हुई थीं। ऐसी सूचना इकट्ठी करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसमें इस देश को दिलचस्पी हो सकती है।

**खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना**

4741. **श्री बाबू राव पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राज्य-वार कितने खाद्य निरीक्षक हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता निगम ने सरसों के तेल में अपमिश्रण और तदनुसार बढ़ते हुए बेरीबेरी रोग के कारण दिसम्बर, 1968 में जनता से कहा था कि वह दस दिन तक बाजार से सरसों का तेल न खरीदे ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यापारी गिरफ्तार किये गये थे और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ;

(घ) केन्द्रीय खाद्य निरीक्षक संस्था सम्बन्धी प्रस्ताव अभी तक स्थगित किए रखने के क्या कारण है; और

(ङ) खाद्य विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये क्या सुझाव दिये हैं तथा इन्हें कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या कलकत्ता निगम ने लोगों को दिसम्बर, 1968 में 10 दिन तक बाजार से सरसों का तेल न खरीदने को कहा था। कलकत्ता से बेरीबेरी की किसी किस्म का समाचार नहीं मिला है।

दिसम्बर 1968 से फरवरी, 1969 के तीसरे सप्ताह तक सरसों के एकत्र किये गये 139 नमूनों में से 22 नमूनों में मिलावट का पता लगा है और 20 मामलों में मुकदमे चलाये गये थे ;

(घ) खाद्य में मिलावट के अन्तर्राज्यीय मामलों की रोकथाम के लिए केन्द्रीय संगठन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) खाद्य में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

**अधिकतम आयकर देने वाले बीस व्यक्ति, जिन्हें कर-भुगतान प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किया गया था**

4742. **श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) अधिकतम आयकर देने वाले उन बीस व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत वर्ष देश से जाने के लिये कर-भुगतान प्रमाण-पत्र दिये जाने से इन्कार किया गया था और वे किन-किन देशों का भ्रमण करना चाहते थे और प्रत्येक मामले में आयकर की बकाया धनराशि कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय मुसलमान आयकर की बकाया रकम छोड़ कर चुपचाप पाकिस्तान चले गये ; और

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने मुसलमान पाकिस्तान गये और उनके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितने आयकर की हानि हुई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ग) माँगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

भाखड़ा/व्यास परियोजना प्रशासन का नंगल टाउनशिप में स्कूल

4743. श्री बृजराज सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा/व्यास परियोजना प्रशासन नंगल टाउनशिप में, तलवाड़ा टाउनशिप में चल रहे गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल की तरह का एक स्कूल चलाने में असफल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि व्यास परियोजना प्रशासन और व्यास कंसट्रक्शन बोर्ड को तलवाड़ा टाउनशिप के निवासियों से उक्त स्कूल को पंजाब शिक्षा विभाग को सौंपने के विरुद्ध बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**Major Irrigation Schemes in Hill District of U.P.**

4744. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have implemented any major irrigation scheme in the hill districts of Uttar Pradesh since taking up first Five Year Plan till date ;

(b) if so, the number and names thereof ;

(c) whether any of these schemes have been implemented with the aid of Central Government ;

(d) if so, the names thereof and the expenditure incurred on each of them ; and

(e) whether Government propose to implement any major irrigation scheme in Almora District and if so, the details thereof and the nature of Central assistance proposed to be given for the same ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddhesnwar Prasad)** :

(a) No ; Sir.

(b) to (d) Do not arise.

(c) No major irrigation scheme has been proposed for the Almora district by the Uttar Pradesh Government in their draft Fourth Plan.

**Opening of Medical college in Almora (U.P.)**

4745. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Medical College has so far been established in the hill districts of Uttar Pradesh :

(b) if so, whether Government propose to establish a medical college in Almora during the Fourth Five Year Plan period ; and

(c) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor ?

**The Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K.K. Shah)** :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) On account of the limitation of resources, the State Government do not propose to start a Medical College at Almora during the Fourth Five Year Plan.

**परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए धन का उपयोग**

4746. **श्री अकिंचन** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए नियत किये गए धन, जिसमें केन्द्रीय सहायता भी शामिल है का उपयोग न करने तथा कम उपयोग करने के बारे में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आँकड़े एकत्र कर लिये हैं ;

(ख) इस बारे में व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में मुख्य रूप से चूककर्ता राज्यों के नाम क्या हैं ?

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास, और नगर विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर)** :

(क) और (ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के विषय में सम्बन्धित राज्यों के महालेखाकार के लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्रों से ही व्यय में कमी/अधिकता का पता लगता है। एक विवरण संलग्न है जिसमें (1) राज्यों को मंजूर की गई धनराशि और खर्च के जाँचे हुए आँकड़े, जहाँ-जहाँ अब तक उपलब्ध हैं, तथा (2) संघ क्षेत्रों के लिए की गई बजट व्यवस्था और 1965-66 से 1967-68 के दौरान किये गए व्यय के अभी तक न जाँचे गये आँकड़े दिए गए हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 559/69]

(ग) अब तक प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाणपत्रों के आधार पर यह प्रश्न नहीं उठता है।

## भारतीय प्लास्टिक उद्योग

4747. श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्लास्टिक उद्योग कहाँ-कहाँ स्थित हैं और 1969-70 में नये प्लास्टिक उद्योगों के लिए कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

एक विवरण-पत्र संलग्न है। [ पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 560/69 ] आशय-पत्रों तथा जारी किये लाइसेन्सों के अलावा, 1969-70 में नए प्लास्टिक उद्योगों की स्थापना के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों पर गुणों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

## पैट्रो-रसायन उद्योग विकास समिति का प्रतिवेदन

4748. श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में पैट्रो-रसायन उद्योगों के विकास तथा आयोजन के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति का नवीनतम प्रतिवेदन क्या है ; और

(ख) इस उद्योग को उन क्षेत्रों में स्थापित करने के बारे में, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध है, सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) इस मन्त्रालय द्वारा पैट्रो-रसायन के लिए स्थापित एक आयोजन ग्रुप ने, 1 अप्रैल, 1969 से शुरू होने वाली चौथी योजना की अवधि के दौरान, पैट्रो-रसायन निर्माण के कार्यक्रम के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजी है। योजना आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे अंतिम चौथी योजना प्रलेख में इसे शामिल किया जायेगा।

(ख) सरकार, सरकारी क्षेत्र में, गुजरात शोधन-शाला से प्राप्त नेफथा पर आधारित एक एरोमैटिक परियोजना तथा एक नेफथा-भंजक सन्यन्त्र की स्थापना करेगी। इसी प्रकार बरौनी शोधनशाला से प्राप्त नेफथा पर आधारित, बरौनी (बिहार) में, एरोमैटिक परियोजना की, कई चरणों में, स्थापना किए जाने की योजना है।

## गुजरात में खनिज तेल

4749. श्री सोम चन्द सोलंकी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 के अन्त में गुजरात राज्य में खनिज तेल का उत्पादन तथा खपत कितनी थी ;

(ख) तेल के जिन विभिन्न हाईड्रोकार्बन घटकों का विश्लेषण किया गया है वे किस किस्म के हैं ; और

(ग) गुजरात राज्य की खनिज तेल की आवश्यकता कितनी है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):**

(क) यह अनुमान है कि 'खनिज तेल' से सदस्य महोदय का आशय 'शोधित पैट्रोलियम उत्पाद' से है। 1968 में कोयाली शोधनशाला से शोधित पैट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 2,507,962 मीटरी टन था। राज्यवार खपत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विभिन्न हाइड्रोकार्बन घटकों का निर्धारण करने के लिये पैट्रोलियम पदार्थों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।

(ग) गुजरात राज्य की आवश्यकताओं का अलग से अनुमान नहीं लगाया गया है।

### स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना

4750. **श्री दे० सिं० सिंह :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना दिल्ली में कुल कितने स्कूलों पर लागू है ;

(ख) इस योजना को दिल्ली में सभी स्कूलों पर लागू करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1967—68 में इस योजना से कुल कितने विद्यार्थियों ने लाभ उठाया ?

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :**

(क) 345 स्कूल।

(ख) सीमित साधनों के कारण।

(ग) 1,23,412 छात्र।

### जी० डी० एम० ओ० की पदोन्नति

4751. **श्री तुका राम गेविट :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 5 और 26 अगस्त, 1968 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 2739 तथा 5766 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 2 के अधिकारियों की जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 1 में पदोन्नति की सूची कब प्रकाशित करने का है जब कि इस सेवा का प्रारंभिक गठन हो चुका है ;

(ख) क्या इस प्रकार पदोन्नत अधिकारी जी० डी० एम० ओ० ग्रेड 2 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद बढ़े वेतन तथा भत्तों के अधिकारी हो जाते हैं ; और

(ग) क्या यह सच है उक्त पदोन्नति सूची के प्रकाशन में विलम्ब के कारण भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा योजना के सम्बन्धित अधिकारियों की वरिष्ठता और वेतन आदि के निर्धारण से वित्तीय हानि हुई है, क्योंकि यह ( योजना ) 1 फरवरी, 1969 से बन गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के के० शाह):

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड एक का प्रारम्भिक गठन अभी पूरा नहीं हुआ है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी ओ० ग्रेड दो के उन अधिकारियों को जिन्होंने 1 फरवरी, 1969 को पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी० डी० ओ० ग्रेड एक में पदोन्नत करने के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ख) अधिकारियों को वास्तव में जिस तारीख से पदोन्नत किया जायेगा उसी दिन से जी० डी० ओ० ग्रेड एक का वेतन दिया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

## स्वचालित मत-अभिलेखन उपकरण

4752. श्री सूरज भान : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में स्वचालित मत-अभिलेखन उपकरण नियंत्रण कमरे के लिये एक नया वातानुकूलन संयन्त्र स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो उस पर कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) मतदान व्यवस्था ठीक तरह से काम कर रही है इसकी जाँच कराने के लिए जर्मनी के इंजीनियरों को कितनी बार बुलाया गया तथा इस उपकरण की स्थापना के पश्चात् उन पर कितना व्यय किया गया ;

(ग) क्या इस उपकरण की देखभाल करने वाले कार्य भारित कर्मचारियों (इलैक्ट्रीशन तथा चार्जमैन) को फोटो लेने का कार्य भी सौंपा गया है, जो उनके सामान्य कार्य के अलावा है और यदि हाँ, तो क्या इस अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें उचित प्रतिकर दिया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त कार्य भारित कर्मचारियों को वर्ष 1963 से 1966 की अवधि में समयोपरि कार्य करना पड़ता था परन्तु उन्हें अभी तक कोई समयोपरि भत्ता नहीं दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) क्या समयोपरि भत्ता अब नियमित रूप से दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) जी, हाँ। ऐयर कन्डीशनिंग प्लांट पर 28 फरवरी 1969 तक 66,576 रुपये का खर्च किया गया और मार्च, 1969 में 2,278 रुपये की और रकम खर्च किए जाने की संभावना है।

(ख) दो बार, एक बार जनवरी, 1964 में और दूसरी बार सितम्बर, 1967 में। इन दोनों अवसरों पर क्रमशः 5,000 रुपये और 8,144 रुपये का व्यय किया गया।

(ग) जी, हाँ। तथापि यह उनकी सामान्य ड्यूटी के अलावा नहीं है, क्योंकि उनका मुख्य कार्य ए. वी. आर. इक्युपमेंट के परिचालन से सम्बद्ध फोटो के काम को देखना है और विशेषज्ञ टेली-कम्यूनिकेशन स्टाफ की सहायता करना है। उनके कार्य की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, 1968 में प्रत्येक को 100 रुपये की राशि मानदेय (ग्रानरेरियम के रूप में स्वीकृत की गई है।

(घ) जी, हाँ। समयोपरान्त भत्ता नहीं दिया जा सका, क्योंकि वायरमेन और बिजली वाले अनुरक्षण में काम करते हैं, और वर्तमान आदेशों के अनुसार, अनुरक्षण में लगे कार्य-प्रभारित कर्मचारी, समयोपरान्त भत्ते के पात्र नहीं हैं।

(ङ) अनुरक्षण में लगे कार्यप्रभारित कर्मचारियों को समयोपरान्त भत्ते के देने का प्रश्न पृथक रूप से विचाराधीन है।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिजली कक्ष के कर्मचारियों को "निरापत्ति-पत्र'**

4753. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1505 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊँचे पदों के लिए नाम दर्ज कराने के लिए रोजगार दिलाऊ कार्यालय के समक्ष स्थायी सेवा/नियुक्ति जारी रहने का प्रमाण-पत्र पेश करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऊँचे पदों के लिए रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने के लिये अर्ध-स्थायी रूप में तकनीकी पदों पर कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 'निरापत्ति-पत्र' पेश करना पड़ता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आवेदन कर्त्ताओं को ऐसे प्रमाण-पत्र नहीं दिये जाते ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :**

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) तथा (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों के पदों के लिए चयन**

4754. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1503 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस समय केवल काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से भेजे गये प्रार्थना-पत्र ही स्वीकार कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभाग ने काम दिलाऊ दफ्तरों को अनुभाग अधिकारी के पद के चयन के लिए केवल स्नातकों के ही प्रार्थना-पत्र भेजने को कहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभाग ने अधीनस्थ अधिकारियों की डिप्लोमा-धारियों की भर्ती बन्द करने के लिए हिदायतें दी हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त डिग्रीधारी अन्य विभाग में अच्छे अवसर प्राप्त होने पर इस विभाग को शीघ्र छोड़ देते हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो विभाग में नियुक्त डिग्री तथा डिप्लोमा धारियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, अच्छे अवसरों के प्राप्त होने पर इस विभाग को छोड़ गये है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) जी हाँ। सिवाय विभागीय उम्मीदवारों के मामले में।

(ख) ओवरसीयर (सैकशनल ऑफीसर्स) के रूप में चुनाव के लिए, विचार करने के लिए स्नातक इन्जीनियरों की बहुत बड़ी संख्या की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, अभी हाल ही में रोजगार कार्यालय से कहा गया है कि केवल स्नातक (ग्रेजुएट) इन्जीनियरों का ही नाम भेजें (स्पोन्यर)।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित उत्तर में भर्ती के सम्बन्ध में अधीक्षक इन्जीनियर (समन्वय) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली को, अन्य अधीक्षक इन्जीनियरों (समन्वय) को प्रतिलिपि के साथ यदि संभव हो तो प्रथम श्रेणी के स्नातक इन्जीनियरों तथा यदि प्रथम श्रेणी के स्नातक इन्जीनियर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो द्वतीय श्रेणी के स्नातक इन्जीनियरों तक भर्ती सीमित करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे।

(घ) यह सच है कि उनमें से कुछ अन्यत्र अच्छे भविष्य के लिए विभाग को छोड़ देते हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

### चण्डीगढ़ में किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करना

4755. श्री श्रीचन्द गोयल : श्री हेमराज :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किरायों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुये चण्डीगढ़ के किरायेदार सरकार से चण्डीगढ़ में किराया नियन्त्रण अधिनियम लागू करने के लिये अभ्यावेदन करते रहे हैं ; और

(ख) स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) और (ख) चण्डीगढ़ के लिए गृह मन्त्री-परामर्शदात्री समिति की 24 दिसम्बर, 1968 की बैठक में चण्डीगढ़ के प्रतिनिधियों के द्वारा यह मामला उठाया गया था। नगर के विकास के हित में यह समझा गया था कि फिलहाल कोई किराया नियन्त्रण कानून बनाना उचित नहीं होगा।

**कच्छ में बौक्साइट**

4756. श्री० रा० को० अमीन : श्री द० रा० परमार :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कच्छ में बहुत अधिक मात्रा में बौक्साइट का पता लगा है।

(ख) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र में भी बहुत अधिक मात्रा में बौक्साइट उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हाँ, तो गुजरात राज्य में एल्यूमिनियम का एक कारखाना लगाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव):

(क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1960-61 के दौरान किये गए प्रारम्भिक अन्वेषणों के परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया गया था कि कच्छ क्षेत्र में लगभग 60 लाख मैट्रिक टन बाक्साइट अयस्क है।

(ख) अयस्क की सभी श्रेणियों की सम्भावित उपलब्ध राशियों के 100 लाख मैट्रिक टन तक के अनुमान हैं, जिसमें से 67 लाख मैट्रिक टन उच्च श्रेणी के होने की सम्भावना है।

(ग) गुजरात में एक निर्यात-अनुस्थापित एल्यूमिना संयन्त्र की स्थापना का प्रश्न राज्य सरकार के परामर्श के साथ केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। शीघ्र ही प्रायोजना के एक तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन करने का विचार है।

**हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड**

4757. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद, ठेकों तथा बिक्री के लिए कर्मचारियों की (500 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले पदों पर) नियुक्त के बारे में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के न्यायसंगत नियम हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ये नियम बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने कर्मचारियों की भर्ती (500 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन वाले पदों के लिए) तथा खरीद-ठेकों के लिए समुचित नियम बनाए हुए हैं। क्योंकि कम्पनी को सौंपी गई प्रायोजनाएँ अभी निर्माणावस्था में हैं, अत बिक्रियों के सम्बन्ध में अभी नियम नहीं बनाये गये हैं।

### हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

4758. डा० सुशीला नैयर : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कार्यसंचालन का मूल्यांकन किया है ;

(ख यदि हाँ, तो उक्त अवधि में उसमें किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क), (ख) और (ग) सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के कार्यकरण का अभी तक कोई व्यापक मूल्यांकन नहीं किया है यद्यपि इसके विभिन्न एककों के कार्यचालन की लगातार जाँच की जा रही है। कम्पनी के अन्तिम लेखे अभी तैयार नहीं है, जिसका कारण यह है कि मैटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रम के अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति का मामला उनके साथ निपटाया नहीं गया है। कम्पनी अब अधिग्रहण के दिन की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के अपने मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार करने में संलग्न है। कम्पनी ने 1966-67 वर्ष के लिए 2.50 लाख रुपये के लाभ के तथा 1967-68 वर्ष के लिए लगभग एक लाख रुपये की हानि के अन्तिम अनुमान लगाए हैं।

तथापि, 856.01 रुपये के स्टोर की कमी हुई है। राक-फास्फेट के उठाने-धरने तथा कांडला पत्तन पर संग्रह करने तथा जस्ता प्रद्रावक में इसके सुपरफास्फेट के रूप में रूपान्तरित किए जाने तक की अवस्थाओं में राक-फास्फेट के 3191 मैट्रिक टनों की कमी भी हुई है। उन परिस्थितियों की जाँच की जा रही है जिनके अन्तर्गत यह कमी हुई है।

### Chemical Fertilizer Factory in India

4759. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Molahu Prashad :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a chemical fertilizer factory in India after importing ammonia from Iran ;

(b) if so, the steps proposed by Government to make raw material available in the country for the said factory within the next three or four years ;

(c) whether the chemical fertilizer produced with the help of ammonia is cheaper than the chemical fertilizer produced with the help of naphtha and other raw materials available in India ; and

(d) whether certain changes are proposed to be made in the set up of the said factory to make it naptha-based in the event of non- supply of ammonia from Iran ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan ) :**

(a) to (d) The question of setting up a feritlizer plant based on ammonia imported from Iran is still under consideration. It is not therefore possible to provide definitive answers to parts (b), (c) and (d).

**Production of Coke**

4760. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total quantity of coke produced in the country during the last year ; and

(b) the percentage utilisation of gases produced there from the manufacture of other items ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) :**

(a) The total quantity of hard coke produced in the country during the year 1967-68 was 7.757 million tonnes.

(b) The coke oven gas at the steel plants is mainly used as fuel in various units. It also serves as a feed stock for the manufacture of fertilizer. At Sindri, the gas is utilised for the manufacture of fertilizer. The surplus gas from Durgapur Projects Ltd., is piped for demestic and industrial use. In some smaller coke ovens, micellaneous by-products like Tar, Benzol, Sulphate of ammonia, naphthalene etc. are recovered. The surplus gas is wasted.

**चौथी योजना में एलूमिनियम कारखाने की स्थापना**

4761. **श्री एम सुदर्शनम : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या चतुर्थ योजना में एक नया एल्युमीनियम कारखाना स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव):**

(क) और (ख) विस्तार योजनाओं सहित, एल्यूमिनियम की उन प्रायोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं, जिन्हें इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है या जिनके चौथी योजना के दौरान स्थापित किए जाने की आशा है :—

| क्रम सं० | प्रद्रावक का स्थापना स्थल | क्या नया है या विस्तार | क्षमता (मैट्रिक टन प्रति वर्ष) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| (क) गैर-सरकारी क्षेत्र | | | | |
| 1— | बेलगाम (मैसूर) | नया | 30,000 | कार्य प्रगति पर है तथा प्रायोजना |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | के 1969 के अंत तक चालू किये जाने की संभावना है। |
| 2— | रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) | विस्तार | 60,000 | इसमें से, 20,000 मैट्रिक टन के 1970 के दौरान प्राप्त किये जाने की तथा शेष चौथी/पाँचवी योजना की अवधि में प्राप्त किये जाने की आशा है। |
| 3— | मैत्तूर (मद्रास) | विस्तार | 12,500 | चौथी योजना के दौरान प्राप्त किए जाने की आशा है। |
| (ख) | सरकारी क्षेत्र | | | |
| 1— | कोरबा (मध्य प्रदेश) | नया | 100,000 | प्रायोजना के मई 1973 तक चालू किए जाने के लिए तैयार हो जाने की तथा लक्षित क्षमता पाँचवीं योजना के दौरान प्राप्त कर लेने की संभावना है। |
| 2— | कोयना (महाराष्ट्र) | नया | 50,000 | प्रायोजना चौथी योजना में सम्मिलित कर ली गई है। प्रायोजना के चौथी योजना के अन्त तक चालू किये जाने के लिए तैयार हो जाने तथा पाँचवी योजना के दौरान पूरा उत्पादन प्राप्त कर लेने की सम्भावना है। |
| | | कुल | 252,500 | |

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त, बेलगाम (मैसूर) एल्यूमिनियम प्रद्रावक के 70,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष विस्तार, आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के वर्तमान प्रद्रावक के 3,800 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष विस्तार के लिये तथा उड़ीसा राज्य में 30,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता के एक नए प्रद्रावक की स्थापना के लिए "अभिप्राय पत्र" जारी किए गए हैं। इन प्रायोजनाओं के उत्पादन को प्रावस्थानुसार करने के सम्बन्ध में, विचार उचित समय पर अनुज्ञप्त योजनाओं द्वारा प्राप्त की गयी प्रगति, मांग की प्रवृत्ति आदि के आधार पर किया जायेगा।

### फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड

4762. श्री कामेश्वर सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के युवक अधिकारियों के हितों की सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जैसा 11 नवम्बर, 1968 को पूछे गये प्रश्न संख्या 136 के भाग (ग) और भाग (घ) के उत्तर के अंश (4) में बताया गया है, कम्पनी के युवक अधिकारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, सेवा-निवृत अधिकारियों की पुनः नियुक्ति तथा अफसरों की प्रति नियुक्तियां की गई हैं।

### बड़ौदा में महापौरों का सम्मेलन

4763. श्री द० रा० परमार : श्री रा० की० अमीन :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा में दिसम्बर, 1968 में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गईं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी हां।

(ख) भारत सरकार को दिये गए सुझाव संकल्प संख्या 9, 12, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 28, 29 और 30 में निहित है, जिसकी प्रतियां संलग्न हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 561]

(ग) ये संकल्प केवल हाल ही में प्राप्त हुए तथा इनकी जांच की जा रही है।

### दिल्ली में नलकूप परियोजना

4764. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1480 के उत्तर के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासन की पूर्ति के लिए सभा-पटल पर रखे गए वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में खोदे गए नलकूपों को सक्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उसमें कितनी सफलता हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) :

(क) तथा (ख) पानी निकालने की सामर्थ्य (डिप चार्ज कैपेसिटी) में सुधार करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक उपाय के रूप में 110 ट्यूब वैल कम्प्रेसर से साफ किए गये। फलस्वरूप इससे केवल अस्थाई सुधार हुआ। जियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इन्डिया से यह अनुरोध किया गया है कि इस समस्या का विस्तार से अध्ययन करें तथा पानी के स्तर को कम करने के लिए स्थाई उपाय सुझावें। उन्होंने यह कार्य आरम्भ कर दिया है।

## क्षयरोग के अस्पताल और क्लिनिक

4765. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता तथा कानपुर में क्षय रोग के अस्पतालों/क्लिनिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन नगरों में क्षय रोग के रोगियों की संख्या बढ़ रही है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क)

| | क्षयरोग के अस्पताल सेनेटोरियम सहित | क्षय रोग के क्लीनिक |
|---|---|---|
| बम्बई | 8 | 11 |
| मद्रास | 5 | 8 |
| दिल्ली | 2 | 7 |
| कलकत्ता | 5 | 33 |
| कानपुर | 1 | 3 |

(ख) और (ग) इस बात के कोई संकेत नहीं मिलते कि इन नगरों में क्षय रोग के रोगियों की संख्या बढ़ रही है।

(घ) नवीनतम स्थिति के बारे में हाल में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ङ) एसा कोइ प्रस्ताव नहीं है।

**Dams on Ganga , Yamuna and their tributaries**

4766. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state whether any final decision has been taken in regard to construction of dams in Uttar Pradesh on the Ganga, the Yamuna and their tributaries during the Fourth Five Year Plan period, alongwith their estimated cost capacity and locations ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power ( Shri Siddeshwar Prasad ) :**

The Fourth Plan has not yet been finalised.

**गुजरात में प्राकृतिक गैस का जलाया जाना**

4767. **श्री रा० कौ० अमीन : श्री व० रा० परमार :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में कुछ तेल के कुओं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस काफी समय से जलायी जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो गुजरात राज्य में प्रत्येक तेल क्षेत्र में तेल के ऐसे कितने कुएँ हैं ;

(ग) प्रत्येक तेल क्षेत्र में कितनी प्राकृतिक गैस जलायी जा रही है ; और

(घ) इसका घरेलू अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :**

(क) जी हाँ ।

(ख) गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में कुओं की संख्या निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| 1. अंकलेश्वर | 159 |
| 2. कलोल | 15 |
| 3. नवागांव | 12 |
| 4. धोलका | 1 |
| 5. काडी | 1 |
| 6. कथाना | 1 |
| 7. कोसम्बा | 3 |

(ग) प्रत्येक तेल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की निम्नलिखित मात्राएँ प्रतिदिन जलायी जाती हैं:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. अंकलेश्वर | 200 000 | घन मीटर प्रतिदिन |
| 2. कलोल | 24,000 | घन मीटर प्रतिदिन |
| 3. नवागाँव | 51,750 | –वही– |
| 4. धोलका | 3,000 | –वही– |
| 5. काडी | 7,700 | –वही– |
| 6. कथाना | 400 | –वही– |
| 7. कोसम्बा | | |

(घ) अंकलेश्वर में अन्तिम अवस्था की गैस कम दाब पर उपलब्ध है और इसको इस्तेमाल तथा उपभोक्ताओं को सप्लाई करने से पहले संपीडन की जरूरत होती है। इस कम दाब की गैस के संपीडन के लिए, विदेश से कम्प्रैसर्स प्राप्त करने के लिए पहले से ही कार्यवाही की जा रही है।

कलोल, नवागाँव, धोलका, काडी तथा कथाना क्षेत्र परीक्षण उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हैं तथा इन क्षेत्रों से केवल सम्मिलित गैस कम दाब पर उपलब्ध है। उत्पादन की दर अभी तक स्थिर नहीं हुई है और इसलिए सम्मिलित गैस के निपटान को योजना बनाना कठिन है। अतः इस अवस्था में गैस जलाई जा रही है।

## ग्लैक्सो लबोरेटरीज (इंडिया)

4768. श्री रा० की० अमीन : श्री द० रा० परमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लैक्सो लबोरेटरीज (इंडिया) के अंशों की पूंजी जनता के लिये निश्चित किये गये अंशों की पूंजी से $14\frac{1}{2}$ गुना अधिक थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

(क) जी हाँ। ग्लैक्सो लेबरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड, ने, जिस पर पहले पूर्णरूप से अनिवासियों का स्वामित्व था, पहली बार अपनी आधारभूत पूँजी बढ़ा कर भारतीय पूँजी प्राप्त की थी। उसने जनता द्वारा खरीदे जाने के लिये दिसम्बर, 1968 में अपने सामान्य शेयर प्रस्तुत किये। इनके लिये 14 गुना से भी कुछ अधिक अंशदान प्राप्त हुये। 10-10 रुपये के 14,62,760 सामान्य शेयरों के मुकाबले, जो 15·50 रुपये प्रति शेयर के निर्गम-मूल्य पर प्रस्तुत किये गये थे, जनता द्वारा 2,05,14,650 शेयरों के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) निवेष-सम्बन्धी वातावरण में पिछले कुछ महीनों से सुधार हुआ है। ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लिमिटेड के अलावा कुछ दूसरी कम्पनियों के शेयरों के लिये भी कई गुना अधिक अंशदान प्राप्त हुए हैं। ये सभी शेयर सुस्थापित कम्पनियों के थे, जिनके पिछले कार्य के परिणाम अच्छे थे तथा जिन्हें भविष्य में लाभ होने की आशा है।

## जवाहर ज्योति

4769. श्री० रा० की अमीन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर ज्योति को "आर्क डी ट्रायम्फ" के रूप में पेरिस में रखने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; अ

(ग) यदि नहीं, तो उसे किन अन्य तरीकों से रखने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य एव परिवार नियोजन तथा निर्माण, अवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, ज्योति पीतल के पात्र में 24 घंटे प्रज्ज्वलित रहती है तथा इसमें सरसों का तेल, कपूर और बिनौले कर्मचारियों द्वारा (मैन्युअली) डाले जाते हैं। ज्योति को वर्षों में जलती रहने के लिए एक अस्थाई टीन शेड खड़ा कर दिया गया है। तेल द्वारा जलने वाली ज्योति को स्थाई गैस की ज्योति में परिवर्तित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

### आम जनता के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

4770 श्री स० च० सामन्त : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना से धीरे-धीरे आम जनता को भी लाभ पहुँचाने के लिये उसमें विस्तार करने के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ख) ब्रिटेन अथवा विश्व के अन्य देशों, जहाँ सामान्य स्वास्थ्य योजनायें लागू हैं, के समान कानूनी उपबन्ध बनाने की दिशा में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) दिल्ली में औषधालयों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार कर दिया गया है। इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों पर करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसा वित्त तथा जनशक्ति के साधनों के कारण है।

जहाँ तक इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों की तरह स्वास्थ्य सेवा की व्यारूया करने का सम्बन्ध है चिकित्सा सेवा राज्य विषय है। वर्तमान वित्तीय स्थिति तथा जनशक्ति के साधनों को देखते हुए इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के समान स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था करना राज्यों के लिए कठिन है।

### भारतीय तेल निगम द्वारा एस्सो रिफाइनरी कम्पनी को 24 गेज के इस्पात की चादरों की बिक्री

4771 श्री स० मो० बनर्जी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने तारकोल के ढोल बनाने के लिये एस्सो रिफाइनरी कम्पनी को 24 गेज के इस्पात की चादरें बेची हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये इस्पात की चादरें किन दरों पर और उन्हें इनकी कुल कितनी मात्रा बेची गई;

(ग) अन्य फर्मों को चादरें बेचने की बजाय तारकोल के ढोल बनाने के लिये एस्सो रिफाइनरी कम्पनी तथा अन्य शोधन-शालाओं को सभी चादरें न बेचने के क्या कारण हैं; और

(घ) मेसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैनूफैक्चरिंग कम्पनी तथा हिन्द गल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय तेल निगम से खरीदी गई 24 गेज के इस्पात की चादरों का कैसे उपयोग किया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय म राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय तेल निगम ने अन्य पार्टियों को 2000 मीटरी टन 24 गेज के इस्पात की चादरें बेचने से पहले कोचीन तथा दूसरी गैर सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं, जिनमें एस्सो भी शामिल है से सितम्बर, 1967 में बात-चीत की थी। कोचीन शोधनशाला तथा बर्मा-शैल ने ऐसे मूल्यों की पेशकश की जो भारतीय तेल निगम को स्वीकार नहीं थे और एस्सो को शामिल करते हुये दूसरी शोधनशालाएँ उस समय इसे खरीद करने की इच्छुक नहीं थीं। बाद में एस्सो ने बकाया 1000 मीटर टन इस्पात की चादरों की बिक्री के लिए भारतीय तेल निगम से बात-चीत की। क्योंकि भारतीय तेल निगम का अनुमान था कि उसे मद्रास शोधनशाला में उत्पादित होने वाले एस्फाल्ट की पेकिंग के लिये, इस इस्पात की जरूरत पड़ेगी इसलिये इसे एक्सो को नहीं दिया गया। इस बीच इस इस्पात के 500 मीटरी टन कोचीन स्थित सरकारी क्षेत्र की शोधशाला को ऋण के रूप में दिये गये हैं।

(घ) इस मन्त्रालय के पास इस विषय से सम्बन्धित कोई सूचना नहीं है ।

### आयातित कच्चे तेल के मूल्य

4772. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत अपनी शोधन शालाओं के लिये कच्चे तेल का आयात किस कीमत पर करता है ;

(ख) इस कच्चे तेल का आयात किन कम्पनियों से किया जाता है ;

(ग) तेल का आयात किस आधार पर किया जाता है ; और

(घ) प्रति वर्ष कितने कच्चे तेल का आयात किया जाता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण ) :

(क) इस देश की शोधनशालाओं द्वारा आयातित कच्चे तेल का भाड़ा-बीमा-लागत सहित मूल्य प्रतिटन 85 रुपये से 100 रुपये तक है, जो मुख्यतः सप्लाई के संसाधन तथा पश्चिमी या पूर्वी तट पर शोधनशाला के स्थल पर निर्भर है।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाएँ अपने-अपने विदेशी सहयोगियों से, और

कोचीन तथा मद्रास स्थित सरकारी क्षेत्रीय शोधनशालाएँ, अपने-अपने प्रदायकों, जिनके साथ उनके संविदा-प्रबन्ध हैं, से कच्चे तेल का आयात करती हैं।

(ग) शोधन शालाएँ अपनी-अपनी जरूरतें, ये अपनी-अपनी थरूपुट की चालू दरों के आधार पर आयात करती हैं।

(घ) प्रत्येक वर्ष की मात्रा अलग-अलग है। 1968 के दौरान, लगभग 10·45 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल आयात किया गया।

**बम्बई के श्री प्रताप भोगीलाल तथा उनकी फर्मों के सम्बन्ध में आय-कर का निर्धारण**

4773 **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या श्री प्रताप भोगीलाल तथा उसकी फर्मों के समूह के आय-कर सम्बन्धी मामलों की जाँच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिसाब-किताब रखने तथा भुगतान में कितनी अनियमितताओं का पता लगा है;

(ग) यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अपराधी व्यक्तियों तथा फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

**उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

(क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) इस समूह की एक कम्पनी, मेसर्स बाम्बे काटन प्राइवेट लिमिटेड के इतिशेष माल के मूल्यांकन में कुछ असंगतियाँ पाई गईं। इन्हें कबूल कर लिया गया तथा निर्धारिती ने समझौते का प्रस्ताव पेश किया।

(घ) जो आय कर-निर्धारण से छूट गयी थी, उसका कर-निर्धारण किया गया है तथा उसके सम्बन्ध में लगाया गया कर तथा दण्ड वसूल हो चुके हैं।

**आग्रिम ग्रामीण विद्युत् सहकारी समितियाँ**

4774. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री रा० की० अमीन** :
**श्री भारत सिंह चौहान**

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 228 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में अग्रिम ग्रामीण विद्युत् सहकारी समितियाँ स्थापित की जानी हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितना धन लगाया जायेगा; और

(ग) इसके लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा अपेक्षित है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पाइलट ग्राम बिजली सहकारिताएँ स्थापित करने का विचार है ।

(ख) पाँच परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 1043 लाख रुपये है ।

(ग) कुछ नहीं ।

**बाढ़ के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को घाटा**

4775. श्री सीताराम केसरी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में पूर्वी तथा पश्चिमी प्रदेश में बाढ़ें आने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को काफी घाटा हुआ ;

(ख) यदि हाँ, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कुल कितना घाटा हुआ; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क), (ख) और (ग) पश्चिमी प्रदेश में अगस्त, 1968 के लगभग तथा पूर्वी प्रदेश में अक्तूबर, 1968 के लगभग बाढ़ों के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ड्रिलिंग में कई रिग दिवसों के रूप में, कार्य न कर सकने के कारण और शोधनशालाओं को, कई दिनों तक कच्चा तेल न भेज सकने से, उत्पादन में हानियाँ हुई । दोनों क्षेत्रों में ड्रिलिंग तथा उत्पादन में कुल 23·72 लाख रुपये का घाटा हुआ ।

**उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना**

4776. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में एक और उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और कहाँ ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में इलैक्ट्रानिक आँकड़ा प्रक्रिया यूनिट**

4777. श्री कामेश्वर सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 18 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक आँकड़ा प्रक्रिया यूनिट चालू हो जाने के पश्चात् तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में वस्तुओं की सूची तैयार करने का जो अत्यधिक कार्य जमा हो गया था उसकी स्थिति में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समय क्या स्थिति है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)

(क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने केवल कुछ वस्तुओं के लिये सितम्बर, 1968 से नई दिल्ली के संगणक केन्द्र की सुविधाओं का लाभ उठाया है। देहरादून में 6 मार्च, 1969 से संगणक प्रणाली का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया और इस प्रणाली पर लाई गई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। तथापि, स्पष्ट परिणामों के बारे में इतना पहले नहीं बताया जा सकता।

### मंडी हाउस, नई दिल्ली में क्वार्टरों की मरम्मत आदि

4778. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में मंडी हाउस, नई दिल्ली में क्वार्टरों की मरम्मत आदि की व्यवस्था करने पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि गन्दे पाने के निकास की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण सफ़ाई की दशा बहुत खराब हो गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन क्वार्टरों की मरम्मत आदि ठीक तरह से नहीं की जाती है ; और

(घ) इन क्वार्टरों के निवासियों के स्वास्थ्य तथा सुविधा की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवही की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :

(क) जनवरी, 1969 तक 13,128 रुपये।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बनाई गई अस्थाई बैरेक टाईप बिल्डिंगें हैं, इनका अनुरक्षण संतोषजनक समझा गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### सरकारी निवास स्थानों के बारे में बेदखली के आदेश

4779. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पदा निदेशालय द्वारा प्रायः बेदखली के आदेश दे कर

और क्वार्टरों के नियतन को रद्द कर के काफी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया जाता है ;

(ख) यदि हाँ तो 1966 तथा 1967 में कितने आदेश जारी किये गये तथा 1966 और 1967 में प्रत्येक टाइप (1, 2, 3 और 4) के क्वार्टरों के कितने अलाटियों को सरकारी निवास स्थानों से बेदखल किया गया ;

(ग) क्या कोई मामला न्यायालय में चल रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर कितना सरकारी धन व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण ,आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) ।

(क) सामान्य पूल का आवंटन, आवंटन नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है । नियमाधीन ग्राह्य रियायती अवधि के समाप्त होने के बाद, उपबन्धों के किसी भी उल्लघन के लिए अथवा त्याग-पत्र, सेवा से बर्खास्तगी अथवा हटाया जाना, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, बाहर अथवा अपात्र कार्यालय में स्थानान्तरण आदि जैसे कतिपय आकस्मिक घटनाओं में, आवंटियों के नाम से निवास स्थान रद्द कर दिए जाते हैं अथवा रद्द समझ लिए जाते हैं ।

(ख) पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन आफ अनआथराइज्ड अक्यूपैन्टस) एक्ट, 1958 की धारा 5 के अतर्गत बेदखली के आदेश जारी किये जाते हैं । टाईप I , II, III तथा IV के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्वार्टरों के संबंध में संपदा निदेशालय के द्वारा 1966 में 140 तथा 1967 में 178 बेदखली के आदेश जारी किये गये थे । टाईप I से IV तक के सामान्य पूल के निवास स्थानों में 1966 तथा 1967 में वास्तव में शारीरिक तौर पर बेदखल हुए कर्मचारियों की सख्या निम्नांकित है :—

| टाईप | 1966 | 1967 |
|---|---|---|
| I | 11 | 21 |
| II | 6 | 9 |
| III | 5 | 4 |
| IV | 5 | 2 |
| जोड़ : | 27 | 36 |

(ग) संपदा अधिकारियों के द्वारा पारित किये गये बेदखली के आदेशों के विरुद्ध 1966 में डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में अपीलों के 7 मुकदमें थे, जबकि 1967 में इस प्रकार के 12 मुकद्मे थे।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित मुकदमों के संबंध में बिलों की अदायगी का सरकारी खर्चा निम्न प्रकार है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1966 | — | 386. 50 रुपये |
| 1967 | — | 276. 50 रुपये (केवल 5 मुकदमों के संबंध में) । |

**Income Tax Arrears**

4780. **Shri Kanwar Lal Gupta**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names and addresses of those assessees against whom the arrears of Income-tax and wealth- tax amounting to Rupees 10 lakhs and more as on the 31st March, 1968 are outstanding ;

(b) the action taken by Government to recover the arrears ; and

(c) the names of those assessees against whom these arrears are outstanding for the last three or more years ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai)** :

(a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

**Civic Amenities in Katras in Delhi**

4781. **Shri Kanwar Lal Gupta**: Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state the amount made available to the Delhi Municipal Corporation by Government for providing civic amenities in private and Government Katras in Delhi so far and also the amount which will be made available to it during the next two years ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B . S. Murthy)** :

A sum of Rs.56,52,500 has so far been made available to Delhi Municipal Corporation towards the expenditure incurred by them on the provision of civic facilities in Katras and bastis, during the years 1961-62 to 1968-69. The amount to be made available for this purpose in the next two years will *inter alia* depend on the expenditure which will be incurred by the Corporation on this account during that period.

**दामोदर घाटी निगम**

4782 **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने 500 रुपये से अधिक वेतन वाले पदों पर कर्मचारियों की भर्ती तथा खरीद, ठेकों और बिक्री के लिये कोई उचित नियम बनाये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो वे क्या हैं और यदि कोई नियम नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** :

(क) जी, हाँ ।

(ख) कर्मचारियों की भरती से संबन्धित निम्नलिखित सेवा विनियम है :—

**विनियम सं० 9** : निगम में नौकरियों के लिये भरती इस प्रकार से की जाएगी :

(क) सीधी नियुक्ति द्वारा, अथवा

(ख) उन व्यक्तियों की पदोन्नति करके जो पहले से ही निगम में नौकरी कर रहे हैं, अथवा

(ग) सरकारों से उधार के आधार पर।

विनियम सं० 10 :

(1) तृतीय श्रेणी के सेवाओं में पदों पर नियुक्ति सम्बन्धित कार्यालय के मुख्य अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) निगम द्वारा जारी किए गये किन्हीं और निदेशों के अधीन अन्य सेवाओं में पदों पर नियुक्तियाँ, उप-विनियम (3) की धारा (i) अथवा धारा (ii) के अधीन जैसी भी स्थिति होगी, संस्थापित किये गए 'चयन बोर्ड' की शिफारिशों पर निगम द्वारा की जाएँगीं।

(3) निगम निम्नलिखित की स्थापना करेगा :

(i) प्रथम श्रेणी के पदों की स्थिति में, एक चयन बोर्ड जिसमें ये शामिल होंगे—महाप्रबन्धक अथवा उप–महाप्रबन्धक, निदेशक (कर्मचारी) अथवा संयुक्त निदेशक (कर्मचारी) और संबन्धित विभाग का मुख्य अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।

परन्तु जहाँ उन पदों पर नियुक्तियाँ की जानी हैं जिनका अधिकतम वेतनमान 1000 रुपये प्रतिमास से ज्यादा है, वहाँ 'चयन बोर्ड' में निगम का अध्यक्ष और एक सदस्य भी शामिल होगा।

(ii) उन पदों को छोड़ कर जिन की पूर्ति व्यावहारिक परीक्षण के पश्चात् की जाती है, तीसरी श्रेणी के शेष सभी पदों की स्थिति में, एक चयन बोर्ड, जिसमें ये शामिल होंगे-उप सचिव, निदेशक अथवा उप-निदेशक अथवा उप–निदेशक (कर्मचारी) और सम्बन्धित विभाग का मुख्य अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि।

(4) चयन बोर्ड किसी नियुक्ति विशेष पर सलाह लेने के लिये निगम में से अथवा बाहर के विशेषज्ञों की सेवाएँ ले सकता है।

दामोदर घाटी ने भण्डार वस्तुओं को खरीदने से सम्बद्ध प्रक्रिया बनाई हुई है जिसके अधीन क्षेत्रीय अधिकारी निम्नलिखित शर्तों की उल्लंघना न करके अपने वित्तीय अधिकारों के भीतर लोकल मार्किट के अलावा कहीं और जगह से स्टोर की सीधी खरीद कर सकते हैं :–

(i) वस्तुएं केवल तब ही खरीदी जाएँ जबकि उनकी बहुत ही आवश्यकता हो और खरीद एवं भण्डार नियंत्रक को इन्डेंट भेजने के लिये समय पक्ष इजाज़त न दे।

(ii) कलकत्ता में खरीद उन फर्मों से प्राप्त प्रतियोगी कुटेशनों के अधार पर की जाए जिनका नाम खरीद एवं भण्डार नियंत्रक बताए।
(iii) खरीद एवं भण्डार नियत्रक के माध्यम के अलावा कहीं और जगह से खरीदने के लिये अविलम्यता के कारणों को रिकार्ड करना चाहिये और उन्हें लेखा विभाग को भेजे गए बिलों पर बता दिया जाए। निगम ने बिजली और औद्योगिक जल की सप्लाई के लिये समझौते के मानक करार फार्म बनाए हैं।

**New Coin of Ten Rupees Denomination**

+
4783. **Shri Yashpal Singh :** **Shri S. C. Samanta :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reasons for not issuing a new coin of Rs.10 denomination so far which was proposed to be issued in accordance with an old notification of Government ;

(b) when it will be issued ; and

(c) the reasons why new coin of 20 paise denomination is bigger in size than that of the coin of 25 paise denomination ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):**

(a) and (b) No notification relating to the issue of a new ten-rupee coin has been issued so far. A silver coin of this denomination was proposed to be issued in 1968 under the FAO sponsored plan of an international issue of commemorative coins. This could not, however, be issued in 1968 as it has not been possible to finalise the designs and other arrangements in this regard in that year. The FAO coin is now proposed to be issued in 1970, the Silver Jubilee Year of FAO. A ten-rupee Silver Coin is, however, proposed to be issued in 1969 on the occasion of the birth centenary of Mahatma Gandhi.

(c) While the new 20 paise coin is bigger in size than the 25 paise nickel coin, it is made of Aluminium Bronze alloy, which is cheaper than nickel. The size of the new coin was fixed keeping in view the size and weight of the new 10 paise coin which is also in Aluminium Bronze alloy and the need for serrations round the edge for better security.

**Recovery of Contraband Gold at Allahabad**

4784. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that contraband gold was recovered in large quantity in the first fortnight of December, 1968 from two out-station passengers in Allahabad ; and

(b) if so, the value of the gold recovered and the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :**

(a) In the first fortnight of December, 1968, in all 1500 tolas of fo reign marked gold was recovered at Allahabad Railway Station from three outstation passengers travelling by Bombay- Howrah mail.

(b) The value of the gold is Rs.1.47 lakhs at the international rate. All the three persons were arrested and subsequently released on bail. Departmental adjudication is in progress.

**Seizure of Contraband Goods and Gold in Nagpur**

4785. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantum of contraband foreign goods and gold seized in Nagpur so far since November, 1967 by the Customs authorities ; and

(b) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai)**

(a) During the sixteen month period November, 1967-February, 1969 Customs authorities seized contraband gold weiging 64.7. Kg. and other contraband foreign goods valued Rs. 58,000 approximately, in Nagpur.

(b) In respect of the seizure mentioned at (a) above, 7 persons were arrested. Prosecution has so far been launched against 2 of them and similar action against the other 5 is under consideration.

**Seizure of Contraband Gold at Nagpur**

4786. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that contraband gold was recovered in large quantity in November and December, 1968 from a passenger at Nagpur Railway Station, who was travelling in Bombay- Howrah express ; and

(b) if so, the value of gold recovered and the number of persons arrested in this connection and action taken against them ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai)** :

(a) In November, 1968 two seizures of 500 tolas of gold each with foreign markings were made at Nagpur Railway Station from two passenders travelling by Bombay-Howrah Express. No seizure was made during December, 1968.

(b) The value of gold seized in both cases is about Rs.98,000 at the international rate. Two persons were arrested. The cases are under departmental adjudication.

**Study of Famine Situation in Rajasthan**

4787. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government have urged the Central Government to send a team of experts to make a fresh appraisal of the famine situation in the State;

(b) whether it is also a fact that a Study Team of the Central Government had visited the State in September, 1968 and had recommended an ad hoc grant of Rs.9 crores to the State Government to fight famine situation there ;

(c) if so, whether that amount has been already utilised and State Government has requested the Centre for a fresh loan to fight famine ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai)** :

(a) Yes, Sir.

(b) The Central team which visited Rajasthan in October, 1968 recommended a ceiling of expenditure of Rs. 8.96 crores on drought relief measures during 1968-69 for purposes of Central assistance.

(c) Yes, Sir.

(d) The release of further assistance will be considered in the light of the recommendations of the Central team which is scheduled to visit the State shortly.

### अधिकारियों की विदेश यात्रा

4788. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1968 से 28 फरवरी, 1969 तक कितने सरकारी अधिकारी विदेश गये ;

(ख) उनके नाम और पदनाम क्या हैं ;

(ग) उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(घ) उनकी विदेश यात्राओं का प्रयोजन क्या था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख), (ग) तथा (घ) मांगी गयी सूचना अनुबन्ध में दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 565/69]

### उत्तर प्रदेश में आदर्श गाँव

4789. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में आदर्श गाँव बनाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में जिलेवार अब तक कितने गाँवों को आदर्श गाँव बनाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) इस मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गयी ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ, जहाँ तक संभव हो सके, राज्यों को सम्पूर्ण गाँवों की फिर से आयोजना करने के लिए, जिसमें सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था शामिल है, वितीय सहायता देने की व्यवस्था है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को 1965 में समाप्त कर दिया ।

(ख) तथा (ग) आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा जब प्राप्त हो जायेगी, सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

### सरकारी उपक्रमों की निर्धारित क्षमता का उपयोग

4790. श्री गार्डिलिंगन गौड : श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री रा० वे० नायक : श्री रा० की० अमीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों

में निर्धारित क्षमता का कितने प्रतिशत का उपयोग किया जाता है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ( श्री मोरारजी देसाई ) :**

एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिसमें सरकारी क्षेत्र के मुख्य-मुख्य उद्यमों के सम्बन्ध में (i) स्थापित क्षमता, (ii) वास्तविक उत्पादन और (iii) क्षमता के प्रतिशत उपयोग का 1967-68 का ब्यौरा दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 563/69]

### दिल्ली के होटलों द्वारा आबकारी नियमों का उल्लंघन

4791. **श्री रा० वे नायक :** **श्री एम० पी० राममूर्ति :**
**श्री घो० ना० देव :** **श्री कृ० मा कौशिक :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कुछ होटलों और मद्यशालाओं (बारों) पर गत जनवरी मास में आबकारी विभाग के कर्मचारियों की कुछ गलतियों के कारण आबकारी नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो आबकारी विभाग के सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

(क) यह सच है कि दिल्ली के आबकारी कलक्टर के आदेशों के अन्तर्गत जनवरी, 1969 में दिल्ली के एक होटल पर और फरवरी, 1969 में दूसरे होटल पर, उनके उत्पादन शुल्क नियमों को भंग करने के कारण, अतिरिक्त शुल्क के लिए जारी की गई माँग के रूप में दण्ड लगाया गया था, परन्तु आबकारी विभाग के कर्मचारियों की कुछ गलतियों के कारण इन होटलों पर आबकारी नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में जुर्माना नहीं लगाया गया ।

(ख) यह सवाल नहीं उठता ।

### भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट का विस्तार

4792. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट के विस्तार की योजना पर कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) विस्तार कारखाना कब से उत्पादन आरम्भ करेगा ;

(ग) क्या विस्तार योजनाओं के कार्य की देख-रेख करने के लिये वरिष्ठ अधिकारी पहले ही से भर्ती कर लिये गये हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं और उनका वेतन क्या है ; और

(ङ) इन अधिकारियों को क्या-क्या कार्य सौंपे गये हैं ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :**

(क) जी हाँ।

(ख) परियोजना के 1972 में पूरे होने की आशा है।

(ग) जी हाँ।

(घ) 1. श्री एम० एस० भगवान, प्रधान प्रबन्धक (2500–3000 रुपये)

2. श्री ए० के० मित्रा, मुख्य इन्जीनियर (1800–2250 रुपये)

3. श्री एम० बी० गांधी, अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर (1600–2000 रुपये)

4. श्री एस० एन० जैन, उप मुख्य इन्जीनियर (एम०) (1300–1600 रुपये)

5. श्री के० एस० विश्वानाथन, सहायक मुख्य इन्जिनियर (रसायन) (1100–1400 रुपये)

6. श्री डी० एस० वेरनेकर, सहायक मुख्य इन्जीनियर (1100–1400 रुपये)

7. श्री ए० डी० जोशी, सहायक मुख्य इन्जीनियर (सिविल) (1100–1400 रुपये)

8. श्री टी० एन० गुण्डू राव, परियोजना इन्जीनियर (सिविल) (700–1250 रुपये)

9. श्री एस० के० मित्रा, उप-मुख्य इन्जीनियर (1300-1600 रुपये)

(ङ) उपर्युक्त अधिकारीगण एक दल के रुप में, निम्न कार्यों पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने की ओर ध्यान दे रहे हैं :—

(1) मिट्टी की जाँच एवं मिट्टी के गुणों के बारे में ;

(2) उपनगर का विस्तार ;

(3) परियोजना के देशीय अंश को बढ़ाने के लिए संयन्त्र एवं मशीनरी की देशीय उपलब्धि के बारे में अद्यतन सूचना को इकठ्ठा करना ;

(4) बड़े आकार के उपकरण (जो प्रस्तावित सन्यन्त्र के लिए जरूरी होंगे) के यातायात के लिए अध्ययन ; और

(5) सामान्यता प्रारम्भिक आयोजना कार्य।

## शान्ति सेना (पीस कोर) के स्वयंसेवक

4793. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राज्यों में शान्ति सेना के कितने-कितने स्वयंसेवक हैं ;

(ख) क्या किसी राज्य ने इन स्वयंसेवकों की गतिविधियों के विरुद्ध शिकायत की है और केन्द्रीय सरकार से इन्हें हटाने को कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 28 फरवरी, 1969 को शान्ति सेना (पीस कोर) के स्वयं सेवकों की संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार थी :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 54 | मध्य प्रदेश | 76 |
| बिहार | 49 | तमिलनाडु | 41 |
| चंडीगढ़ | 10 | महाराष्ट्र | 97 |
| दिल्ली | 3 | मैसूर | 92 |
| गुजरात | 2 | उड़ीसा | 27 |
| हरियाणा | 26 | पंजाब | 54 |
| केरल | 1 | राजस्थान | 44 |
| उत्तर प्रदेश | 17 | पश्चिम बंगाल | 29 |
| | | जोड़ | 622 |

(ख) और (ग) केरल सरकार ने 1967 में भारत सरकार से, मुर्गीपालन विकास के क्षेत्र में काम करने वाले अमरीकी शान्ति सेना के कुछ स्वयसेवकों को इस कारण वापस बुला लेने का अनुरोध किया था कि उनका काम संतोषजनक नहीं था । स्वयंसेवकों को केरल से वापस बुला लिया गया था ।

### जनेवा में रैडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति का दूसरा गोलमेज सम्मेलन

4794. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनेवा में हुए रैडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति द्वारा दूसरे गोल-मेज सम्मेलन की कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(ख) वहाँ क्या निर्णय किये गये और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) 1 जनवरी, 1962 में जनेवा में हुए 'विश्व शान्ति में एक फैक्टर के रूप में रैडक्रास' सम्मेलन का उद्देश्य स्थायी शान्ति के लिए रेडक्रास द्वारा विशिष्ट व्यावहारिक उपाय ढूंढना था । आमतौर पर चर्चा इस बात पर हुई कि शान्ति की भावना को बढ़ावा देते हुए किनको तथा कैसे शिक्षा दी जाये ? शान्ति की भावना के विरुद्ध प्रचार का मुकाबला करने के लिए रैडक्रास का कार्यवाही और संकट तथा संघर्ष के समय पर रैडक्रास का क्या रोल होना चाहिए ?

(ख) अगले सितम्बर में इस्तन्बूल में होने वाले 21वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर रैडक्रास के प्रतिनिधियों की परिषद् को इस गोल मेज सम्मेलन की कार्यवाही प्रस्तुत की जायेगी, इस अवस्था में इन सरकारों को देने का इरादा नहीं है ।

### ढाका में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन

4795. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नागरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1969 में ढाका में परिवार नियोजन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या भारत ने सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) अन्य किन-किन देशों ने सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(घ) इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भारत का क्या योगदान था ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) जी हाँ ।

(ख), (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

### Expenditure incurred on Illuminating various Central Government Buildings in Delhi on Republic Day Celebrations

4796. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred in illuminating various Central Government buildings in Delhi in connection with Republic Day celebrations ;

(b) the percentage increase therein as compared to previous years ;

(c) whether such illuminations lasted longer this year ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** ( **Shri B .S. Murthy**):

(a) Rs.1,88,400 during 1969.

(b) 17.3%

(c) No, Sir.

(d) The area under illumination was larger this year.

### जीवन बीमा निगम द्वारा समाचार-पत्रों को ऋण

4797. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने अब तक समाचार पत्रों को कुल कितना ऋण दिया है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में किन-किन समाचार पत्रों---दैनिक, साप्ताहिक तथा पाक्षिक अलग-अलग को जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त हुआ है और प्रत्येक समाचार-पत्र ने कितना-कितना ऋण प्राप्त किया है ;

(ग) ऋण प्राप्त करने वाले समाचार-पत्रों के मालिक कौन-कौन हैं ;

(घ) किन-किन समाचार-पत्रों ने ऋण चुका दिया है और प्रत्येक समाचार-पत्र ने कितनी राशि का भुगतान किया है ;

(ङ) क्या समाचार-पत्रों को ऋण देने के बारे में जीवन बीमा निगम की कोई निश्चित नीति है ; और

(च) यदि हाँ, तो वह क्या नीति है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख), (ग) तथा (घ) :

| समाचार-पत्र | स्वामित्व का रूप | (रकम लाख रुपयों में) मंजूर की गयी रकम | भुगतान की गयी रकम | वापस अदा कर दी गयी रकम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. भारतन प्रकाशन, मद्रास | प्राइवेट लिमिटेड | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 2. दि हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड, नई दिल्ली। | पब्लिक लिमिटेड | 50.0 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

(ङ) तथा (च) रेहन योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण को छोड़ कर, जिनको समाचार-पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, समाचार-पत्रों को ऋण नहीं दिये जाते। हिन्दुस्तान टाइम्स को ऋण मँजूर किये जाने की तारीख के बाद जीवन बीमा निगम के रेहन योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले सभी ऋणों की एक लाख रुपये की सीमा बाँध दी है और वे भी केवल रिहायशी इमारतों के निर्माण के लिए दिये जाते हैं।

### कोयला खानों से रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली

4798. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में कोयला खानों से रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली के लिये कार्यक्रम बनाने के लिये राज्य सरकारों से बातचीत प्रारम्भ की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव ):

(क) और (ख) बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों तथा कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ, बकाया की वसूली को प्रावस्थाओं में बाँटने के प्रश्न सहित, कोयले पर स्वामित्व के बकाया की वसूली के अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिये 19-12-68 को एक प्रारम्भिक बैठक की गई थी। इस विषय पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

### गवर्नमेंट कालेज मनीपुर में प्री-मैडिकल शिक्षा की कक्षाएं

4799. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी विश्वविद्यालय ने मनीपुर के गवर्नमेंट कालेज में आगामी 1969-70 सत्र से प्री-मेडिकल कक्षाएँ चालू करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गौहाटी विश्वविद्यालय ने अपने अधीन मैडिकल कालेजों में मनीपुर के लिये एम० बी०बी०एस० के स्थानों की संख्या बढ़ाने से भी सहमति व्यक्त की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार ने एम० बी० बी०एस० के लिये स्थानों का दायित्व लिये बिना ही, प्री-मैडिकल कक्षाएँ चालू करने की गौहाटी विश्वविद्यालय से अनुमति माँगी थी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी हाँ ।

(ख) मनीपुर प्रशासन द्वारा गौहाटी विश्वविद्यालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है ।

(ग) जी हाँ ।

**Setting up of a Zinc Smelter**

4800. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and mines and Metals** be pleased to state :

(a) the foreign exchange being spent every year in importing zinc ;

(b) whether foreign exchange can be saved to a major extent by establishing zinc smelters in the country based on imported concentrate as per the conclusion of the Nationa Council of Applied Economic Research, New Delhi ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao):**

(a) The foreign exhcange spent on the import of zinc and its alloys during the years 1966-67 to 1968-69 (upto November, 1968) is as under :

| **Year :** | **Value in lakhs of Rs. (Postdevaluation rate)** |
|---|---|
| 1966-67 | 1086 |
| 1967-68 | 1430 |
| 1968-69 (upto November, 1968) | 1702 |

(b) About 30-40 % of saving in foreign exchange will aecrue by semlting imported concentrates instead of importing metal.

(c) Messrs. Cominco Binani Zinc Limited Calcutta, a private sector Company have set up a zinc smelter at Alwaye (Kerala) of 20,000 tonnes per annum capacity based on imported concentrates. This Company also propose to increase their capacity further on the basis of imported concentrates. The Government are also considering setting up a Zinc Smelter in the Public Sector with a 30,000 tonnes capacity per annum based on imported concentrates.

**गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, मनीपुर के प्रयोगशाला तकनीशन तथा प्रयोगशाला सहायक**

4801. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर जनरल अस्पताल से सम्बद्ध प्रयोगशाला तकनीशनों के वेतन का पुनरीक्षण करके उसे आसाम के वेतनमानों के समान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो आसाम सरकार के वेतनमान न देने के क्या कारण हैं जबकि मनीपुर वेतन और भत्ते के मामले में वहाँ का अनुसरण करता है; और

(ग) क्या सरकार उनके वेतन के पुनरीक्षण पर इस दृष्टि से विचार कर रही है कि उनका वेतन आसाम में काम करने वाले उनके अन्य साथियों के बराबर हो जाये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क), (ख) और (ग) मनीपुर सरकार के मेडिकल विभाग में प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान का पुनरीक्षण कर दिया गया है और उनको आसाम के समान कर दिया गया है।

मनीपुर सरकार के मेडिकल विभाग के प्रयोगशाला तकनीशनों के वेतनमान का पुनरीक्षण का उसके आसाम के समान लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

## सिंदरी परियोजना के अन्तर्गत फासफेरिक एसिड संयन्त्र के लिये उपकरणों को सप्लाई

4802. श्री के० कृ० दास चौधरी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने बैल्जियम की एक फर्म के साथ, सिंदरी परियोजना के अन्तर्गत एक फासफेरिक एसिड संयन्त्र के लिये उपकरणों की सप्लाई के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो संयन्त्र पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) इस संयन्त्र की स्थापना से उत्पादन कितना बढ़ जायेगा;

(घ) इसे कब स्थापित किया जायेगा ; और

(ङ) क्या इस संयन्त्र की स्थापना के लिये किसी अन्य देश से भी पूछताछ की गई थी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी हाँ। सिंदरी में स्थापित किये जाने वाले फासफोरिक अम्ल सन्यन्त्र तथा ट्रिपल सुपरफास्फेट सन्यन्त्र के लिये तमाम आयातित उपकरण, फालतू पुर्जे, अतिरिक्त संभरण आदि की सप्लाई के लिये भारतीय उर्वरक निगम ने बैल्जियम के मैसर्स सेपुलचर परेरेज एट सीएक्स के साथ एक ठेका किया है।

(ख) ठेके का मूल्य 151.23 लाख रुपये है।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम का सिंदरी यूनिट प्रतिवर्ष 156,000 मीटरी टन पी 2 ओ 5 तक फासफेरिक नूट्रियेन्ट उत्पादित कर सकेगा।

(घ) फासफोरिक अम्ल सन्यन्त्र के सितम्बर, 1971 तक चालू हो जाने की आशा है।

(ङ) जी हाँ।

इंडियन गौस्पल मिशन, केरल

4803. श्री अ० कु० गोपालन : श्री प० गोपालन :
श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री के० एम० अब्राहम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965 से 1968 तक की अवधि में 'इंडियन गौस्पल मिशन', केरल को विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

इंडियन गौस्पेल मिशन, केरल को इन वर्षों में विदेशों से ये रकमें प्राप्त हुई :

| | |
|---|---|
| 1965 | 2,18,000 रुपया |
| 1966 | 1,09,000 रुपया |
| 1967 | 2,99,000 रुपया |
| 1968 | 3,31,000 रुपया |

मनीपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई खरीद

4804. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर लोक निर्माण विभाग के लिये 1967-68 और 1968-69 में फरवरी, 1969 के अन्त तक कुल कितने रुपये का भवन-निर्माण का सामान, मोटर कारों के पुर्जे, ट्रक, जीप, मोटर ग्रेडर, ट्रैक्टर रोलर, सेनीटरी सामान, जल की सप्लाई सम्बन्धी उपकरण तथा अन्य सामान खरीदा गया;

(ख) लोक निर्माण विभाग के लिये वर्ष 1967-68 और 1968-69 के लिये वस्तुतः कितनी राशि मन्जूर और निर्धारित की गई थी ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित वस्तुए वर्षवार, कुल कितनी और किन-किन फर्मों द्वारा सप्लाई की गई थीं और प्रत्येक फर्म को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया था ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार और मनीपुर सरकार की स्वीकृत सूची में दर्ज फर्मों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर–विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

सीमा शुल्क की आय में कमी

4805. श्री सीताराम केसरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1968–69 में सीमा शुल्क की आय में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) सीमाशुल्क राजस्व में कमी इसलिये हुई है कि बजट अनुमान तैयार करते समय जितने आयात का अनुमान लगाया गया था उससे कम आयात हुए हैं।

चिकित्सा शिक्षा के बारे में आयोग का प्रतिवेदन

4806. श्री यशपाल सिंह :
श्री क० लकप्पा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री डा० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर–विकास मन्त्री 16 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा शिक्षा के बारे में नियुक्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनको कहाँ तक क्रियान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशों में लाभ का भेजा जाना

4807. श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में अर्जित लाभ को विदेशों में भेजने पर रोक लगाने के उद्देश्य से, कोई कानून बनाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

**Geological Survey of Rajasthan**

4808. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government had sent geological survey officers to **Rajasthan** ; and

(b) if, so, the names of sites which have been surveyed by them including the names of the sites surveyed for digging tube-wells ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) :**

(a) The Headquarters of the Western Regional Office of the Geological Survey of India is located at Jaipur and controls the activities of the Geological Survey in Rajasthan and Gujarat.

(b) Areas/sites surveyed by the Geological Survey of India for minerals and for sinking of tube-wells in Rajasthan are given hereunder :

1. **Mineral Investigations :**

Copper : Madhan Kudhan, Kolihan, Akwali and Satkui (Khetri Copper belt) ; Bhagoni, Dariba (Alwar District) ; Lead-Zinc : Rajpura, Dariba, Bethumni areas ; Sulphur : Saladipura area ; Phosphorite : Maton, Kanpur, Karbaria-ka-Gurha, Dakan Kotra and Sisarma ; Limestone : Beawar, Bundi, Bilara, Gotan area ; Clay : Udaipur and Sikar districts ; Gypsum : Nagaur ; Bentonite : Barmer ; Talc : Bhilwara, Udaipur and Sawai Madhopur Districts ; Asbestos : Bhilwara, Udaipur and Ajmer Districts ; Manganese : Banswara, Glass-sand : Jaipur district ; Iron Ore : Udaipur, Sikar and Jaipur districts ; Pegmatites containing mica, beryl, felspar, emeralds etc. : Bhilwara, and Ajmer districts ; Nickel : Udaipur district ; Tungsten : Degana, Nagaur district.

2. **Ground-water Investigations :**

(a) **Sites where feasibility of sinking tubewells was examined :**

**Jodhpur District :**

Jaleli Daikra, Jajiwal Kalan, Banar, Samren, Pali, Harlai, Bher, Bhikamlor, Nosor, Chirai, Dhankiya -ki--Dhani, Godara -ki-Dhani, Sutharon-ki-Dhani, Bari Baori, Jaimal, Shekasur, Malhar, Bari- Sirdh, Sird, Malam Singh-ki-Sird, Kalyan Singh-ki-Sird, Agolai, Rathkuria, Chaba, Phinco, Basni-Junta, Kalijaian, Pipli, Sundan, Rosia Kalan, Uter, Kagnada, Sanai, Barlia, Bhandu, Champasar, Jeslan, Chamu, Banasar, Kakelao, Bidasni, Pithasni, Shergaili, Rasida, Fitkasni, Khara Bera, Luni, Mogra Kankani, Nimbla, Shikarpura, Basni Nikuba, Jalebi Fozdaran, Jalebi Champawata, Kanawasia, Bhuraj, Sunargaon, Mandli, Manchitia Baori Barsingha, Raura.

**Barmer District**

Baitu, Rawatsar, Chawa, Shivkar, Kaluri, Sinli, Tilwara, Kalyanpur, Nagona, Ramsar, Gagaria, Bhachbhar, Bhimda, Batadu, Kotra, Bhimbarlai, Akarli, Sajiali, Dharvi Khurd, Mati Ka Gol, Ratri, Sarnu, Khakhar, Pareu, Nawatala, Barnawa, Bagwas, Sawai Padam Singh, Ummerlai.

**Jaisalmer District**

Sam, Kanoi, Salkha, Ramgarh, Khuiala, Area between Pithaniwala and Bahla, Sangar, Sajeet, Kuri, Bhu, Nara Singh Ki Dhani, Bhopa, Mahesha, Nanuiyayi, Modarli, Jemal, Chacha, Odania, Khetolai, Ujlan, Dholasai, Merwa, Bharat Ki Goan, Unchpadran, Baniyana, Rajamathai, Bhikora Juni, Pholasar, Nachna, Bharewala, Babe Ka Tala.

**Nagaur District**

Nimod, Rashidpura, Maulasar, Dhankoli, Sardarpura, Palli and Anandapura.

(b) **Sites recomended by G. S. I. for test drilling.**

**Jodhpur District**

Chirai, Bari Baori, Jaimal, Kalyan Singh-ki-Sird, Agolai, Rathkuria, Champsar, Jeslan, Chamu, Banasar, Kakelao, Bhuraj, Sunargaon ;

**Barmer District :**

Kaluri, Tilwara, Kalyanpur, Ramsar, Gagaria, Bhachbhar, Bhimda, Kotra, Bhimbarlai, Sajiali, Dharvi Khurd, Mati Ka Gol, Ratri, Sarnu, Pareu, Nawataa, Barnawa Ummerlai;

**Jaisalmer District :**

Sam, Ramgarh, Khuiala, Area between Pithaniwala and Bahla, Sangor, Sajeet, Kuri, Bhu, Nara Singh -Ki-Dhani, Bhopa, Khetolai, Unchpadaran, Rajamathai, Bhikorai Juni, Nachna, Bharewala, Babe -ka-Tala.

(c) **Sites where test drilling is being/has been carried out by the Geological Survey of India**

**Jodhpur District :**

Banasar.

**Barmer District :**

Kaluri, Tilwara, Baria, Balotra and Pandru.

**Jaisalmer District :**

Kunda.

**Electricity Supplied to Rajasthan from Bhakra**

4809. +**Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the consumers have to face tremendous difficulties due to large fluctuations in the voltage of electricity supplied to Rajasthan from Bhakra ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to improve the situation ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad ) :**

(a) to (c) Yes, Sir. Rajasthan has been receiving power supply from Bhakra-Nangal System at Sri Ganganagar at 66 KV and at Rajgarh at 132 KV. Due to the long lengths of transmission involved, the voltage of supply in the Bhakra supply area in Rajasthan has been low and fluctuating. The voltage condition are expected to improve considerably as soon as the 220 KV transmission line from Hissar to Jaipur via Khetri, which is scheduled to be completed in July 1969 and the 132 KV tranmission line from Sirsa to Hanumangarh which is scheduled for completion in June 1969, are completed and energised.

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में अपने सम्बन्धियों के लिये नौकरयाँ तलाश करना**

4810. श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के नये सेवा नियम के अनुरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये कोई ऐसा समानान्तर नियम न बनाने के क्या कारण हैं कि अधिकारियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में अपने सम्बन्धियों के लिए नियुक्तियाँ प्राप्त नहीं करनी चाहिए ; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों की नियुक्तियों का कोई रिकार्ड रखा गया है क्योंकि यह बुराई बहुत आम हो गई है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियमावली के इस उपबन्ध का जिक्र कर रहे हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी गैर-सरकारी उपक्रम में नौकरी दिलाने के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद या प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकता। सरकारी उद्यमों के संघटक एककों के अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक, कार्यवाहक निदेशकों और महाप्रबन्धकों के उच्च पदों पर नियुक्तियाँ सरकार स्वयं करती है। इनसे नीचे के पदों पर नियुक्तियाँ करने का काम सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर छोड़ दिया गया है। फिर भी, इनमें से बहुत से उद्यम भरती के नियमों और कार्य-प्रणालियों के अनुसार चुनाव के नियमित तरीकों को अपनाते हैं।

जहाँ तक सरकार को मालूम है, उद्यमों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं रखा जाता।

### मैसूर राज्य को केन्द्रीय सहायता

4811. श्री सिद्धय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पँचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के लिए मैसूर राज्य को 1968-69 में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या वर्ष 1968-69 के लिए इस सहायता में वृद्धि की जायेगी;

(ग) यदि हाँ, तो कितनी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) राज्य सरकार को उसकी 1968-69 की वार्षिक आयोजना के लिए 36.90 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गयी है।

(ख) 1969-70 के लिए केन्द्रीय सहायता की रकम अभी अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गयी है।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

### लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के छंटनी किये गये कर्मचारी

4812. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के हाल ही में छंटनी किये गये कर्मचारियों को फिर से नियुक्त कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो फिर से नियुक्त किये गये कर्मचारियों की विभागवार संख्या क्या है और क्या उन्हें वरीयता के आधार पर पुनः नियुक्त किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एच का उल्लंघन करने के बाद इन मुअत्तिल किये गये कर्मचारियों को फिर से नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सरकारी क्वार्टरों के नियतनों को रद्द किया जाना

4813. श्री रामावतार शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका क्वार्टरों का नियतन 1 नवम्बर, 1968 से 31 जनवरी, 1969 के बीच रद्द किया गया तथा उनको अवसर नहीं दिया गया कि वे उस आरोप का प्रत्युत्तर दे सकें जिसके आधार पर-क्वार्टर का उनका नियतन रद्द किया गया था; और

(ख) उक्त सरकारी कर्मचारियों को बचाव का अवसर न प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) तथा (ख) एलाटमेन्ट आफ़ गवर्नमेन्ट रेजीडेन्सिज़ (जनरल पूल इन दिल्ली), रूल्ज, 1963 के उपबन्धों के अनुसार, त्यागपत्र, बरखास्तगी, सेवा से हटाये जाने पर, सेवा की समाप्ति या अनुमति के बगैर ड्यूटी से अनधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने पर, आवंटी के सेवानिवृत होने पर या मृत्यु पर, बाहर के स्थान पर स्थानान्तरण या अपात्र कार्यालय को स्थानान्तरण होने पर, भारत में इतर सेवा (फारेन सेवा) में जाने पर, या भारत में अस्थाई रूप से स्थानान्तरण होने पर, या भारत से बाहर के स्थान पर स्थानान्तरण होने पर, भारत में या भारत के बाहर अध्ययन छुट्टी (स्टडी लीव) आदि लेने, जैसे किसी अवसर के आ जाने पर, नियमों के अधीन उपलब्ध रियायती अवधि के दिए जाने के बाद, आवंटी के नाम से आवंटन रद्द कर दिया जाता है, या रद्द समझा जाता है। ऐसे मामलों में अधिकारी नियमों के उपबन्धों से परिचित हैं, और उन्हें अपने बचाव का अवसर उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपने साथी आवंटियों के साथ अच्छे सम्बन्ध न होने के आधार पर, गृह मंत्रालय के मुख्य कल्याण अधिकारी की सिफारिश पर, आवंटन रद्द कर दिए जाते हैं, जो मामलों की जाँच करने के पश्चात् ऐसी सिफारिश करते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के दखल में वास का आवंटन भी रद्द कर दिये जाते हैं। जब भारी मरम्मत / गिराये जाने या सार्वजनिक हित में, किसी अन्य उद्देश्य के लिए मकानों की आवश्यकता हो, और आवंटियों को, वैकल्पिक वास उसी क्षेत्र में, या अन्य क्षेत्र में दिया जाता है, बशर्ते कि वह उपलब्ध हो। उन सरकारी कर्मचारियों को जो उन्हें आवंटित किए गए वैकल्पिक वास को स्वीकार नहीं करते, पब्लिक परीमिसेज (इविक्शन आफ अनाथोराइज्ड आक्यूपेन्टस) एक्ट, 1958 के अधीन उनसे सरकारी वास खाली करा लिया जाता है, और इस एक्ट के अधीन सम्पदा अधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अपना मामला पेश करने का हर अवसर प्रदान किया जाता है।

1 नवम्बर, 1968 से 31 जनवरी, 1969 तक की अवधि के दौरान, 131 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों में आवंटन, उपर्युक्त, विभिन्न कारणों से रद्द किए गए थे।

कोलार सोना खानों में दमकल

4814. श्री जी वाई कृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोलार सोना खानों में दमकल की व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) कोलार की सोने की खानों के प्रतिष्ठान के लिए अलग से दमकल सेवा (फायर ब्रिगेड) की व्यवस्था नहीं की गयी है। परन्तु प्रतिष्ठान के पास भूमि के नीचे और भूमि पर लगने वाली आग को बुझाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारी और उपकरण, जैसे झागदार (फोमाइट) अग्नि शामक, पानी पहुँचाने के होज–पाइप, ब्रैरेल मास्क, होश में लाने के उपकरण, प्रोटोयंत्र, कृत्रिम रूप से साँस दिलाने का साज-सामान, आग बुझाने वाले हर प्रकार के उपकरणों से लैस बचाव ब्रिगेड की गाड़ी और उप-साधन आदि उपलब्ध हैं। जो कर्मचारी और उपकरण प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध हैं वे इससे पहले भूमि के नीचे आग लग जाने से पैदा होने वाली संकट की स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त सिद्ध हुये हैं। जहाँ तक जमीन पर लगने वाली आग का सम्बन्ध है, प्रतिष्ठान के पास ऐसे-ऐसे अग्निकान्डों का सामना करने के लिये काफी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जैसे जमीन पर बनी सारी इमारतों आदि के पास स्थित आग बुझाने वाले नल, पानी की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जायी जाने वाली टंकियाँ और खानों तथा बचाव केन्द्रों से होज–पाइप। इसके अलावा अत्यावश्यक जरूरत के समय निकटस्थ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के पास उपलब्ध आग बुझाने की सुविधाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है।

कोलार सोना खानों में 'साइना' धूल

4815 : श्री जी॰ वाई॰ कृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोलार सोना खानों के खान-क्षेत्र में 'साइना' धूल बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त पड़ी है ;

(ख) क्या यह सच है कि जौन टेलर एण्ड कम्पनी ने 'साइना' धूल से सीमेन्ट और ईंटें बनाने का प्रस्ताव रखा था; और

(ग) उसका प्रयोग करने के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) मेसर्स जान टेलर एण्ड सन्स ने 'साइनाइड टेलिंग रेत' के उपयोग से वाणिज्यिक आधार पर सीमेंट और ईंट बनाने का प्रस्ताव नहीं किया।

(ग) प्रतिष्ठान टेलिंग रेत (जो साइनाइडिजेशन के बाद बच रहती है) का उपयोग नंदीद्रुग खान में खुदाई के काम में सहायता सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए करते हैं। दूसरी किस्मों की टेलिंग रेत का उपयोग करने की बात पर कोलार-सोना-खान प्रतिष्ठान में काफी अरसे से विचार किया जा रहा है। प्रतिष्ठान ने टेलिंग रेत से प्रयोगात्मक आधार पर सीमित मात्रा में कुछ ईंटें बनायी थीं। लेकिन जब इमारतों के निर्माण के काम में इनका उपयोग किया गया तो वे ठीक से जुड़ी नहीं और दीवारों में दरारें पड़ गयीं। टेलिंग रेत से कांच, सीमेंट और सड़क की निचली परत के काम का सामान बनाने के प्रश्न पर केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्थान, नयी दिल्ली, केन्द्रीय कांच और मिट्टी गवेषणा संस्थान, कलकत्ता तथा केन्द्रीय भवन गवेषणा संस्थान, रुड़की आदि के परामर्श से विचार किया गया था, किन्तु इन प्रयत्नों में सफलता नहीं मिली। केन्द्रीय खनन गवेषणा संस्थान धनबाद से भी इस सम्बन्ध में बात की गयी थी, जिसने सलाह दी कि इस मामले में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला आदि से जाँच करायी जाय। यह प्रतिष्ठान राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला और राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के सहयोग से इस सम्भावना का पता लगा रहा है कि क्या टेलिंग रेत का उपयोग मलनिकासी के काम आने वाले पत्थर के पाइपों और सार्वजनिक स्नानागारों में काम आने वाली ऊपरी टाइलों और निम्लोष्म सीमेंट आदि के निर्माण के लिए किया जा सकता है किन्तु अभी तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बात का पता लगाने की कोशिश बराबर जारी है कि इस रेत का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा सकता है। अभी हाल में उस रेत के कुढेरों में जो टंगस्टन-आक्साइड देखी गयी है उसकी भी जाँच की जा रही है।

### मनीपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा एक श्रमिक सहकारी समिति के देय भुगतान का रोक लिया जाना

4816. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के लोक निर्माण विभाग ने नोरेम थोंगजू लेबरर्स कोआपरेटिव सोसायटी आफ मनीपुर नामक एक श्रमिक सहकारी समिति का लगभग 90 हजार रुपये की देय राशि का भुगतान अनुचित रूप से रोक रखा है जो उसे मनीपुर लोक निर्माण विभाग के अधीन पूरे किये गये कामों के लिये मिलना चाहिये ;

(ख) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों के अन्तर्गत कामों को उक्त समिति ने बहुत पहले ही पूरा करा दिया था परन्तु उन कार्यों की देय राशि का अभी तक उसे भुगतान नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त श्रमिक सहकारी समिति को देय राशि का भुगतान करने में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क), (ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**Prize Bonds**

4817. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether he has analysed the causes of the failure of Prize Bonds Scheme of the Central Government in the context of unprecedented success of lotteries floated by various State Governments ;

(b) if so, the conclusions arrived at ;

(c) whether Government propose to float a popular Prize Bond Scheme or lottery ; and

(d) if so, the details thereof ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance** (**Shri Morarji Desai**) :

(a) to (d) The Central Government ran three Prize Bonds Schemes since 1960. The first Scheme introduced in 1960 was a success in the initial stages and brought in over Rs.20 crores in a little over 2 years. However, progressively the receipts began to fall as the novelty of the Scheme wore out and the Schemes of 1963 and 1964 brought in Rs. 6 crores and Rs.3 crores only respectively. It was in these circumsances that Government decided to discontinue the Prize Bonds Scheme after 1964. The present response to the State Government's lotteries does not indicate that any proposal to re-introduce the Prize Bonds Scheme or to start a lottery by the Centre would be justified.

**Income of Hoshangabad and East Nimad Districts of M. P.**

4819. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the *per capita* income of Hoshangabad and East Nimad Districts of Madhya Pradesh during the years 1966-67 and 1967-68 separately ;

(b) whether it is more than the *per capita* income of the country or it is less ; and

(c) the action taken to increase the *per capita* income?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance** (**Shri Morarji Desai**) :

(a) Information is not available since district-wise estimates of *per capita* income are not compiled by the State Statistical Bureaus.

(b) Does not arise.

(c) *Per capita* income can be raised only though economic development which is being attempted through the implementation of the development Plans.

**Number of Employees Belonging to Madhya Pradesh in Public Undertkings**

4820. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state the total number of officers and employees of Class I, II and III belonging to Madhya Pradesh and working in Public Sector Undertakings under direct or indirect control of his Ministry and their ratio to the total number of employees and offices in each class therein ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** (**Shri D. R. Chavan**) :

The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

**Centrally Sponsored Schemes under Medical Edcuation and Training in Madhya Pradesh**

4821. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state ;

(a) the amount paid to the Madhya Pradesh Government during the last three years, separately for the Centrally Sponsored Schemes under "Medical Education and Training"; and

(b) the manner in which the said amount was spent by the State Government ?

**The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development ( Shri K. K. Shah) :**

(a) The amount paid to the Madhya Pradesh Government during the last three years for the Centrally Sponsored Schemes under" Medical Education and Training" is as under:

| Year | Central Assistance relesed (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1965-66 | 0 80 |
| 1966-67 | .. |
| 1967-68 | 0.60 |

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**Shortage of Kerosene Oil in Madhya Pradesh**

4822. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quota of kerosene oil fixed for Madhya Pradesh for the period from April, 1968 to June, 1968 and the quantity actually supplied to that State during the above period ;

(b) whether it is a fact that there was a shortage of kerosene oil in that State in the aforesaid months and the kerosene oil was not available in cities and particularly in many villages; and

(c) if so, whether Government have since increased the quota of kerosene oil for Madhya Pradesh and if so, the extent thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan):**

(a) The allocation, supplies and sales of Kerosene during the 3 months April to June, 1968, were as under :

| Allocation Tonnes | Supplies Tonnes | Sales Tonnes |
|---|---|---|
| 37,500 | 34.181 | 33,326 |

(b) Only one report of kerosene shortage was received in May, 1968.

(c) Effective from 1.12.1968, the monthly kerosene allocation has been increased from 12,500 to 13,000 tonnes.

**फिल्मालय (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों द्वारा देय कर की बकाया राशि**

4824. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री राम मुकर्जी और श्री एस० मुकर्जी के विरुद्ध सरकार को देय कुछ करों की बकाया राशि की वसूली के लिये बम्बई के किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमे दायर किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कम्पनी से तथा इसके निदेशकों से बकाया राशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ख) जी हाँ। मेसर्स फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड तथा उसके निदेशक, श्री राम मुखर्जी और एस० मुखर्जी के विरुद्ध, वित्तीय वर्ष 1962-63, 1963-64 और 1964-65 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 (1) के अधीन काटी गई कर की क्रमशः 15,819 रुपये, 10,690 रुपये और 10,676 रुपये की रकम केन्द्रीय सरकार के पास जमा नहीं कराने के कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 276 (घ) के अधीन न्यायालय में शिकायतें दर्ज की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 1965-66 और 1966-67 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 (1) के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के कारण उपर्युक्त कम्पनी तथा उसके निदेशकों के विरुद्ध धारा 276 (घ) के अधीन भी शिकायतें दायर की गई हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लखित रकमों की वसूली के लिए आयकर अधिनियम की धारा 201 के साथ पठित धारा 221 के अधीन समुचित दण्ड भी लगाये गये हैं। अब तक न तो कर की रकम और न ही दण्ड की रकम अदा की गई है।

चिलका झील

4825. श्री रवि राय : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 दिसम्बर, 1968 को वह उड़ीसा गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार ने उन्हें चिलका झील के बारे में कोई ज्ञापन दिया था; और

(ग) इस ज्ञापन में मुख्य मांगें क्या थीं तथा उड़ीसा में चिलका झील के चारों ओर बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई का विकास करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी हाँ,।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार के इन्जीन्यरों ने चिल्का लेक की समस्याओं पर एक नोट तैयार करके दिया था जिसमें तटबंधों को ऊँचा और मजबूत करने, नये तटबंधों को बनाने, समुद्र तक काट बनाने और सड़कों में सुधार लाने और सड़कें बनाने के लिए सोचे गये कुछ प्रस्तावों की रूप-रेखा दी गई है।

राज्य इन्जीनियरों को यह सलाह दी गई है कि वे आवश्यक क्षेत्रीय अनुसन्धान कार्य करें और एक विस्तृत स्कीम तैयार करें।

नौरोजी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में खड़े हो कर भोजन बनाने की व्यवस्था वाली रसोइयां

4826. श्री रवि राय : श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि नौरोजी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों ने अनुरोध / अभ्यावेदन दिए हैं कि क्वार्टरों में खड़े हो कर भोजन बनाने की व्यवस्था वाली रसोइयों का निर्माण किया जाय ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसकी व्यवस्था करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क), (ख), (ग) और (घ) नौरोजी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों के आवंटियों से ऐसे कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । तथापि, बैठ कर खाना बनाने वाले चूल्हों को खड़े होकर खाना बनाने वाले चूल्हों में परिवर्तित करने का प्रश्न फिलहाल परीक्षाधीन है।

### प्रत्यक्ष कराधान प्रशासन के बारे में कार्यकारी दल की सिफारिशें

4827 श्री एस० एम० कृष्ण : श्री सं० कुण्डु :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता के अन्तर्गत स्थापित प्रत्यक्ष कर प्रशासन सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशें सरकार को मिल गई हैं ;

(ख) क्या सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या आय-कर अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ऐसे कोई सुधार शामिल किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख), (ग) और (घ) प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन का अध्ययन करने तथा उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट 31-7-1968 को, प्रशासनिक सुधार आयोग को, न कि सरकार को, पेश हुई। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 6-1-1969 को पेश की है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है। जाँच पूरी होने पर आय-कर अधिनियम तथा सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करने के लिये संसद् के वर्तमान सत्र में आवश्यक विधेयक पेश करने का सरकार का विचार है, जिससे उन सिफारिशों को लागू किया जा सके जो सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य हैं और जिनको फिलहाल अमल में लाया जा सकता है।

बैंक–ऋण उदार करने के लिये व्यापारिक कम्पनियों से अभ्यावेदन

4828. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक को देश की व्यापारिक कम्पनियों से इस आशय का कोई पत्र मिला है कि तेल, तिलहन, खाद्यान्नों, कपास तथा कच्ची रूई के सम्बन्ध में बैंक–ऋण उदार बनाने से कृषि उपज बढ़ाने में कोई ठोस सहायता नहीं मिली है क्योंकि ऋण केवल किसी विशेष आधार–वर्ष में ही दिया था और इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धन अपर्याप्त साबित हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पत्र में व्यापारिक कम्पनियों ने क्या वास्तविक कारण बताये हैं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ( श्री मोरारजी देसाई ) :

(क) जी हाँ, रिजर्व बैंक को कुछ व्यापार संस्थाओं से अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) विरु नगर वाणिज्य तथा उद्योग संघ ने यह अभ्यावेदन दिया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और अच्छी फसल हुई है अतः बैंक द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर लगे प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अखिल भारतीय खाद्यान व्यापारी संस्था संघ और कलकत्ता काटन मरचैन्टस एण्ड ब्रोकर्स एसोसियेशन ने शिकायत की है कि 'बस' अवधि में शेष राशियों के आधार पर सीमाएँ निर्धारित की गई थी अतः नये व्यक्तियों को बैंक से वित्त लेने में कठिनाई हो रही है, आयल मिल वालों में सम्बन्धित निदेश के उपबन्धों से तेल निर्माताओं को छूट देने के लिए अभ्यावेदन दिया था । पार्टियों को यह परामर्श दिया गया था कि यद्यपि रिजर्व बैंक अन्धाधुन्ध छूट देने के पक्ष में नहीं है तथापि वह वास्तविक कठिनाइयों के वैयक्तिक मामलों में गुणोंदोष के आधार पर छूट देने पर विचार करने को तैयार है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि के खातों से धन का निकाला जाना

4829. श्री निहाल सिंह : श्री अदिचन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन में महँगाई भत्ते के विलय के फलस्वरूप वेतनमानों के हाल के पुनरीक्षण के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के खातों से ऋण की मंजूरी सम्बन्धी नियमों का भी पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो पुनरीक्षित नियम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को ऐसे ऋण केवल एक बार अपने पुत्रों/पुत्रियों/वार्डों के तीन वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिले के समय अपने पुत्रों/पुत्रियों, वार्डों के मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिए दिये जाते हैं और ऐसे पाठ्यक्रम के दौरान, पहले ऋण के पूरी तरह वापस कर दिये जाने के बावजूद दूसरी बार ऋण नहीं दिया जाता है और यदि पाठ्यक्रम 3 वर्ष से कम समय का हो तो भी ऋण नहीं दिया जाता ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) जैसा कि सम्बद्ध आदेशों में स्पष्ट किया गया है, मंहगाई भत्ते के एक अंश को कुछ उद्देश्यों के लिये वेतन के रूप में मान लेना वेतन मानों का संशोधन नहीं है। मंहगाई वेतन, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्य भविष्य निधि नियम के लिये, जैसी उन नियमों में पहले ही व्यवस्था है, वेतन के रूप में गिना जाता है। इस सम्बन्ध में प्रवर्तमान स्थिति को उन सब को जिनको इन नियमों से सम्बन्ध आता है, स्पष्ट करने के लिए, एक कार्यालय ज्ञापन जारी करने का विचार है। भविष्य निधि नियमों के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) कर्मचारियों को अपने आश्रितों की हाई स्कूल से बाद की किसी भी मेडिकल, इंजीनियरी अथवा अन्य तकनीकी अथवा विशेषज्ञ पाठ्यक्रम की उच्चतर शिक्षा के व्यय को वहन करने के लिये सामान्य भविष्य निधि से पेशगी रकमें मंजूर की जाती हैं जिसमें शर्त यह है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम अवधि का न हो। अंशदाता इन प्रयोजनों के लिये हर छः महीने में एक बार पेशगी ले सकते हैं। लेकिन जो पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम अवधि के होते हैं उनका खर्च पूरा करने के लिए पेशगी मंजूरी नहीं की जाती है क्योंकि औसत सरकारी कर्मचारी के लिए यह संभव होना चाहिये कि वह ऐसी शिक्षा के लिये सामान्य, भविष्य निधि से पेशगियों पर निर्भर नहीं रहते हुए अपनी वर्तमान आय और बचत में से ही धन की व्यवस्था कर सके।

### बिड़ला की फर्मों द्वारा उत्पादन और सीमा शुल्कों का अपवंचन

4830. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1527 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिड़ला फर्मों में उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क का ऐसा कितना अपवंचन हुआ है जो जानबूझ कर नहीं किया गया था ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा कितना जुर्माना किया गया है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) प्रश्न संख्या 1527 के उत्तर में उल्लिखित प्रथम दृष्टया न्यून शुल्क निर्धारण करने में हुई भूलों के कारण हुआ था।

(ख) इन सब मामलों में, सम्बन्धित निर्माता एककों से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की देय रकमों की मांगे की गई हैं, और इन मांगों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

| | (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| (i) शुल्क की मांग की कुल रकम, | 45.04 |
| (ii) न्यायालयों द्वारा अथवा अतिरिक्त विभागीय जांच-पड़ताल किये जाने पर मान्य नहीं किये जाने योग्य पाये जाने से वापस ली गयी मांगों की रकम | 33.32 |

| | |
|---|---|
| (iii) वसूल माँगों की रकम | 0.53 |
| (iv) विवादग्रस्त माँगों की रकम | 11.19 |

पहले ही निर्णय किये जा चुके मामलों में लगाये गये दण्ड की कुल रकम 1,055 रुपये है।

सीमा शुल्क के सम्बन्ध में 1964-1966 की अवधि से सीमाशुल्क की प्रतिअदायगी के लिए 32 कम्पनियों द्वारा दायर किये गये दावों की प्रतिशत अनुपात के आधार पर की जाने वाली जाँच से गणना सम्बन्धी भूलों के कुछ ऐसे मामलों का पता चला जिनमें 404 रुपये की अधिक अदायगी हो गयी हैं तथा कुछ अन्य मामलों में 1627 रुपये की न्यून-अदायगी हुई है। जहाँ संभव हो सका है, इन भूलों को ठीक करने की कार्यवाही की गई किन्तु कोई दण्ड नहीं लगाया गया है।

**Loans given by Kuwait, Qatar and Bahrein**

4831. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the loans given by Kuwait, Qatar and Bahrein to India consequent on introduction of Dinar currency in place of Indian currency there 'which are to be repaid by India in foreign exchange, were given to us in foreign currency or in Indian currency;

(b) if the loans were given in foreign currency, the manner in which they were utilized ; and

(c) if such loans were in Indian currency ; the advantages thereof ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai)** :

(a) , (b) and (c) The Indian rupee was serving as the tradtional medium of exchange in the Gulf States of Kuwait, Bahrein, Qatar and other Trucial States for a long time and the Government of India and the Reserve Bank of India have been providing the currency for the circulation. On May 1, 1959, by the Reserve Bank of India (Amendment) Act 1959, special notes of the Reserve Bank of India and the Government of India were issued to replace the notes then circulating in these territories and, just like the notes previously circulating, they became freely convertible into sterling, on being presented for redemption at the Reserve Bank of India. As and when these States introduced their own currencies and withdrew the Indian currency and repatriated them to India, the value represented by the repatriated currency became payable by India to those States in sterling. However, with a view to reducing the strain on our foreign exchange resources, we negotiated with these States for treating the amount payable to them in sterling as a loan to be repaid by the Government of India in instalments over a period of time. The arrangement with Kuwait was made in March, 1961, with Bahrain in June 1965 and other Trucial States in March, 1968.

**Production and Export of wax**

4832. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government can earn huge profits by exporting wax prepared from crude oil of Assam to the foreign countries and by importing petroleum coke for the Aluminium industry ;

(b) if so, whether any scheme regarding the production of wax and its export has been drawn up ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals ( Shri D. R. Chavan ) :**

(a) , (b) and (c) The scope for export of wax in significant quantities is limited in view of the increasing demand for the product in the country and progressive use, in foreign countries, of sophisticated substitutes. The possibility of earning huge profits, thereby, does not arise. The export earning therefore, cannot sustain import bill of another product.

### नार्वे से उर्वरकों का आयात

4833. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे सरकार ने भारत के रुपयों में भुगतान के आधार पर उर्वरक बेचने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

**उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

(क), (ख) और (ग) नार्वे के उद्योग-मंत्री ने, पिछले महीने अपनी भारत यात्रा के दौरान इस बात की सम्भावना की ओर संकेत किया था । नार्वे के अधिकारियों के परामर्श से इस पर विचार किया जा रहा है ।

### शाहदरा में बस्तियों का गिराया जाना

4834. डा० सुशीला नैयर : श्री निहाल सिंह :

श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 3 मार्च, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित वह समाचार देखा है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शाहदरा क्षेत्र में 24 बस्तियों को खाली किये जाने के नोटिस दिये हैं और उसका विचार इन बस्तियों के मकानों को गिराने का है । क्या दिल्ली नगर निगम ने इसके प्रति विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हाँ, तो ये नोटिस दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :**

(क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) लेंड एक्युजीशन एक्ट 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत भूमि अधिसूचित की गयी है। दिल्ली नगर निगम के द्वारा 1962 में नियमित की गयी बस्तियों के अनुमोदित भाग में आने वाले रिहायशी प्लाट भूमि-अर्जन पंचाट की परधि से बाहर रहेंगे बशर्ते कि विकास प्रभार अदा कर दिया तथा इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम के द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। तथापि, सामुदायिक सुविधा के लिए जैसे सड़कें, स्कूल के लिये स्थान, पार्क तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक क्षेत्रों/मकानों को अर्जित करना होगा।

### कोचीन तैल शोधक कारखाने में उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

4835. डा० सुशील नैयर : श्री ए० श्रीधरन :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969–70 में कोचीन तेलशोधक कारखाने का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ तो पहले के तीन वर्षों की तुलना में कितना उत्पादन बढ़ाने की संभावना है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री दा० रा० चव्हाण ) :

(क), (ख) और (ग) जी नहीं। भारत सरकार और अमरीका के फिल्पस् पैट्रोलियम कम्पनी (विदेशी सहयोगी) के बीच हुए करार के संशोधनों के अन्तर्गत, कोचीन तेल-शोधक कारखाने की क्षमता इस समय प्रति कार्य-दिवस 53,500 बैरलस् से प्रति काय-दिवस 70,000 बैरलस् तक 1972 के मध्य तक विस्तृत की जायेगी ।

### भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

4836. श्री बेणीशंकर शर्मा : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिह : श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्थ-व्यवस्था का विकास होने पर भारत को ईंधन और उद्योगों के लिये कच्चे माल तथा मशीनों और कलपुर्जों की अधिक आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या अन्य क्षेत्रों में आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के उत्पादन में और निर्यात में वृद्धि करके इस विकास को संतुलित किया जा सकता है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) विकास-नीति का एक उद्देश्य यह है कि विकास के सम्बन्ध में बढ़ी हुई आवश्यकताएं औद्योगीकरण के व्यापक कार्यक्रम द्वारा घरेलू उत्पादन बढ़ा कर पूरी की जायें। घरेलू उत्पादन में जितनी वृद्धि होगी आयात की आवश्यकता उतनी ही कम हो जायगी। लेकिन, यद्यपि हमारी नीति में, तेजी से औद्योगीकरण करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है तो भी आने वाले कुछ वर्षों में आयात करना आवश्यक होगा क्योंकि औद्योगिक कच्चे माल, मशीनों और मशीनों के हिस्सों की कुल आवश्यकता देश के अन्दर होने वाली उपलब्धि से बढ़ जायगी। इस आयात के लिए अदायगी करने के लिये वास्तव में अधिक मात्रा में निर्यात करना आवश्यक होगा। हमारा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं, जैसे उपयुक्त दिशाओं में क्षमता का विस्तार करना, उत्पादन-शुल्कों और आयात-शुल्कों की वापसी की सुविधा देना, आयातित कच्चे माल की पुनः पूर्ति की व्यवस्था करना, निर्यात के लिए ऋण-सुविधाएं देना और निर्यात-शुल्कों में कमी करना या उन्हें समाप्त कर देना आदि।

### राज्यों द्वारा निगम करों के राजस्व में हिस्से की माँग

4837. श्री हिम्मतसिंहका : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा किसी अन्य राज्य सरकार ने निगम करों के राजस्व में हिस्सा माँगा है और संविधान में समुचित संशोधन किये जाने की माँग की है,

(ख) यदि हाँ, तो उन्होंने अपनी इस माँग के समर्थन में क्या तर्क दिये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) गुजरात ने, हाल में, केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कुछ नहीं लिखा है पर एक अन्य राज्य ने हाल में यह सुझाव दिया है कि राज्यों की आय में वृद्धि करने के लिए संविधान में संशोधन किये बिना ही, उन्हें निगम-कर का कुछ हिस्सा दिया जाय।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 270 (4) (क) के साथ पठित उसके अनुच्छेद 270 (2) के अनुसार संविधान में निगम-कर में से राज्यों को कुछ हिस्सा दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। सहायक अनुदान के रूप में किसी अन्य हिस्से के दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वित्त आयोग समय-समय पर आयोजना से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों की राजस्व-सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में विचार करते हैं और राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाज्य केन्द्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा, तथा, जहाँ आवश्यक हो, सहायक अनुदान दिये जाने की सिफारिश करते हैं।

### मध्य प्रदेश के मन्त्रियों द्वारा आयातित राइफलें

4838. श्री जुगल मन्डल : क्या वित्त मन्त्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मंत्रियों द्वारा आयातित राइफलों के सम्बन्ध में इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल नहीं उठता ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

### इन्फा, इन्फा पब्लिकेशन्स और दुर्गादास एसोशिऐट्स को दी गई विदेशी मुद्रा

4839. श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 4646 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पाँच वर्षों में विदेशी जन सम्पर्क तथा समाचार अभिकरणों के सहयोग से दुर्गादास (प्राइवेट) लिमिटेड तथा इन्फा, दुर्गादास एसोशिएट्स और इन्फा पब्लिकेशन्स जैसी फर्मों द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के में बारे अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन फर्मों को विदेश यात्रा तथा व्यापार के लिये कुछ विदेशी मुद्रा दी गई थी, और यदि हाँ, तो कितनी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख) और (ग) माँगी गयी सूचना इकट्ठी की गयी थी और उसे सदन की मेज पर रखे जाने के लिये संसद् कार्य विभाग को 22/2/69 को भेज दिया गया था । लेकिन उस विभाग द्वारा सूचना अभी तक सदन की मेज पर नहीं रखी गयी है, इसलिए संलग्न विवरण-पत्र में सूचना फिर से दी गयी है । [पुस्तकलय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 564/69]

### सर्व-प्रिय कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी

4840. श्री जुगल मंडल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4562 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वप्रिय कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) , (ख) तथा (ग) जी हाँ । आवश्यक सूचना अनुलग्नक में दी गयी है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 565/69]

**Power Rates in Ladakh**

4841. ±**Shri Kushok Bakula:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that electric charges in Jammu and Srinagar are 15--20 paise per unit whereas it is 70 paise per unit in Ladakh ;

(b) the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to bring these rates at par with Jammu and Srinagar in view of widespread poverty and economic backwardness in Ladakh ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :**

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Jammu and Srinagar areas are being supplied with hydro power while the Ladakh area is being supplied with power from small diesel generating sets. The cost of generation from diesel sets is high because of the high cost of fuel which has to be transported to a high altitude. The Government of Jammu and Kashmir is already subsidising the power rates in Ladhakh to a considerable extent as the present cost of generation is about Rs.1.50 per KWh.

**सरकारी उपक्रमों के लिये अधिगृहीत भूमि**

4842. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या वित्त मंत्री सरकारी उपक्रमों के लिये अधिगृहीत भूमि के बारे में 14 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पूरी सूचना कब उपलब्ध की जायगी ?

**उप-प्रधान मंत्री और वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

(क) और (ख) जी हाँ । एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है, जिसमें माँगा गया ब्यौरा दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 566/69]

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

**चिकित्सा स्नातक**

4843. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, अवास एवं नगर-विकास मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2783 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा स्नातकों के बारे में शेष जानकारी अब एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि, हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क), (ख) और (ग) जिन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से शेष जानकारी प्राप्त हुई है, उसे संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से यथाशीघ्र सूचना भेज देने के लिए कह दिया गया है। सूचना के मिल जाने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 567/69]

**चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में संचारी रोगों का नियंत्रण करने के सम्बन्ध में कार्यक्रम**

4844. श्री प्र० न० सोलंकी : श्री देवेन सेन:
श्री किंकर सिंह: श्री द० रा० परमार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर–विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में संचारी रोगों का नियन्त्रण करने के सम्बन्ध के कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हैं;

(ख) यदि हाँ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये वर्षवार कुल कितना धन व्यय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्यों को (एक) इमारत बनाने की लागत (दो) कर्मचारियों और (तीन) औषधियों तथा प्रयोग किये जाने वाले अन्य सामान के लिये केन्द्रीय सरकार किस प्रकार सहायता देगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह)

(क) संचारी रोग नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र पुरस्कृत बना दिए गए हैं।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में संचारी रोग कार्यक्रमों के लिये 125.29 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया है। कुल व्यवस्था का वर्ष-चार ब्योरा अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हो पाया है।

(ग) (i) भवनों के निर्माण के लिए व्यवस्था राज्य प्लान स्कीमों में की गई है।

(ii) निर्धारित्त स्वरूप के अनुसार नियुक्त किए गए स्टाफ के वेतनों के लिए शत-प्रतिशत सहायता देने का विचार किया गया है।

(iii) ऐसे कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सामग्री, उपकरण और औषधियां या तो केन्द्रीय सरकार देगी अथवा उन पर हुए खर्च को वहन करेगी।

## पश्चिम बंगाल सरकार को बाढ़ सहायता कार्यों के लिये दी जाने वाली सहायता स्थगित करना

4845. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ सहायता कार्यों के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कोई सहायता देना बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार की परियोजनाओं के लिये राज्य सरकार को कोई सहायता देने का निश्चित वचन दिया था; और

(ग) यदि हाँ, तो सहायता बन्द कर दिये जाने के परिणामस्वरूप किन-किन परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा और इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

## पश्चिम बंगाल में बाढ़ों की रोकथाम के लिये अपेक्षित राशि के अनुमान के लिये विशेषज्ञों का दल

4846. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या सिचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये अपेक्षित राशि का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से एक विशेषज्ञों का दल भेजने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस अनुरोध पर विचार किया गया है ; और

(ग) यह दल कब तक भेज दिये जाने की सम्भावना है ?

सिचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार की प्रार्थना पर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता, पुनर्वास और पुनः स्थापन उपायों के लिए उनकी धन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के कुछ दलों ने राज्य का दौरा किया है । पहला दौरा अगस्त, 1968 में किया गया था जिसका उद्देश्य राज्य के दक्षिणी भागों में इन उपायों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना था । अधिकारियों के दूसरे दल ने उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए नवम्बर, 1968 में राज्य का दौर किया था । तीसरे दल ने, 1969–70 के दौरान उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए पिछले हफ्ते राज्य का दौरा किया था ।

बाढ़ द्वारा होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति पहले से ही उत्तरी बंगाल की बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं का

अध्ययन कर रही है; इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारी हैं। राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों की आयोजना के लिए, जब भी आवश्यकता पड़ती है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग तकनीकी सहायता भी दे रहा है। राज्य सरकार से, किसी तकनीकी विशेषज्ञ के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

### कोयना बांध

4847. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'यूनेस्को' के सहयोग से कोयना बाँध को मजबूत बनाने के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) यूनेस्को के मेल-जोल में, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, कोयना बांध की मरम्मत और उसे पक्का करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं :—

1. कोयना बांध की मरम्मत और उसे पक्का करने के लिए उठाये जा चुके तत्कालिक उपाय :

(1) इपाक्सी बैराजो और पोल्येस्टर पदार्थों से बाँध में दरारों की भराई।

(2) बाँध के मुख्य भाग में द्रव-स्थैतिक दाबों को दूर करने के लिए निकासी सुराखों का छेदना।

(3) बी० आर० सी० के ब्रिक जाल से पुनर्वलित गुनाइटिंग की एक तह द्वारा प्रतिप्रवाह पार्श्व की परत दरारों को बन्द करना।

(4) पूर्वबलित केबलों द्वारा सात उच्च एकाश्मों को मजबूत करना।

2. कोयना बाँध को पक्का करने के लिए किए जा रहे स्थायी उपाय :

कोयना बाँध को स्थायी रूप से पक्का करने के लिए स्कीम में 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बाँध की अनुप्रवाह वाली परत पर लगभग 90 से 100 लाख घन फुट अतिरिक्त कंक्रीट बिछाना परिकल्पित है। एकाश्मों की स्थिति और ऊँचाई के अनुसार कंक्रीट की मोटाई लगभग 22 फुट से 72 फुट के बीच भिन्न-भिन्न है। नींव से ऊपर कुछ स्तर तक (के आर एल 1970 अथवा 2000) एकाश्म की पूरी चौड़ाई में बेंकिग कंक्रीट बिछाई जाएगी। इस स्तर के ऊपर, के आर एल 2145 तक अर्थात बाँध

के शिवर से 35 फुट नीचे तक लगभग 25 फुट औसत चौड़ाई के कंक्रीट पुश्तों की व्यवस्था का प्रस्ताव है। पुरानी और नई कंक्रीट के बीच के स्थान को इस प्रकार संशोधित किया जायेगा जिससे मोटे किए भाग की एकाश्मीय क्रिया सुनिश्चित हो जाएगी। पूर्वबलित केबलों के माध्यम से के आर एल 2060 से ऊपर कंक्रीट पुश्तों का भाग भी वर्तमान बाँध से जोड़ दिया जाएगा।

3. स्कीम क्रियान्वित के लिए शुरू कर दी गई है और मई, 1971 तक इसका पूरा होना अनुसूचित है।

### दिल्ली में कारखानों का वर्गीकरण

4848. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री तुकाराम गेविट :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 2 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न सख्या 2791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों का वर्गीकरण करने के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन कारखानों के नाम क्या हैं जिन्हें खतरनाक तथा घृणास्पद समझा गया है तथा उनके नाम क्या हैं जिन्हें घृणा उत्पन्न न करने वाले तथा खतरे से रहित समझा गया;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार की यह नीति है कि इन वर्गीकृत सब कारखानों को पुरानी दिल्ली से स्थानान्तरित किया जाये; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कब तक स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हाँ। नगर में कार्य करने वाली फैक्ट्रियों का खतरनाक तथा घृणास्पद और खतरे से रहित तथा घृणा उत्पन्न न करने वाले के रूप में वर्गीकरण, उद्योग निदेशक, दिल्ली प्रशासन की कतिपय सिफारिशों के संदर्भ में जिन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्यवाही की जा रही है, उप-राज्यपाल द्वारा नियुक्त समिति के द्वारा किया गया है।

(ख) खतरनाक तथा घृणास्पद समझे जाने वाले उद्योगों की सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 568/69] अन्य सभी उद्योगों को खतरे से रहित तथा घृणा उत्पन्न न करने वाला समझा जाता है।

(ग) क्योंकि दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार ऐसे उद्योग भूमि के उपयोग के अनुरूप नहीं हैं; अतएव इन्हें प्लान में निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में धीरे-धीरे चरणों में जाना होगा।

(घ) विभिन्न उद्योगों के लिए विलम्बकाल की अवधि भिन्न है तथा दिल्ली के मास्टर प्लान में उसी की व्यवस्था की गई है।

**मेडिकल कालेजों में स्थान**

4849. श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री किंकर सिंह : श्री द० रा० परमार :
श्री देवेन सेन :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में राज्यवार तथा कालेजवार कितने स्थान उपलब्ध हैं;

(ख) 1968 में कितने छात्रों ने प्रवेश के लिये आवेदन दिये थे तथा कितने छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया था; और

(ग) आगामी वर्ष में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को अधिक संख्या में प्रवेश देने के लिये कितने अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मन्त्री (श्री के०के० शाह):

(क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 569/69]

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में 10 नये मेडिकल कालेज और 1500 सीटों की अतिरिक्त व्यवस्था करने का विचार है। 1969 में सीटों की संख्या बढाये जाने के विषय में अभी सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु इसकी संख्या सीमावर्ती होगी।

**मैसूर को केन्द्रीय सहायता**

4850. श्री स० अ० अगड़ी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में मैसूर सरकार के लिये, विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई तथा कितनी सहायता का उपयोग किया गया ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

**मध्य प्रदेश में प्रयोग के रूप में ग्रामीण विद्युत् सहकारी समिति**

4851. श्री भारत सिंह चौहान : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रयोग के रूप में कोई ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति स्थापित की जायेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में स्थापनार्थ प्रस्तावित पाँच पाइलट ग्राम बिजली सहकारिताओं की कार्य-प्रणाली का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही मध्य प्रदेश में ग्राम बिजली सहकारिताओं को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

**Loans Taken by Bihar Government**

4852. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loan taken by the Bihar Government from the Central Government during the last three years, year wise ;

(b) the amount received by the Central Government as interest thereon and the amount of interest due from the State Government ;

(c) the total amount of interest to be paid by the State Government against the loan and that received by the Central Government so far ;

(d) whether the Central Government propose to write off the interest on that part of their loan which the State Government advanced to the farmers as loan for the purpose of reclamation of land, taccavi and for meeting the natural calamity, keeping in view the financial crisis in Bihar ; and

(e) if so, the details thereof and whether the State Government have made a demand to this effect from the Central Government and if so, the details thereof ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :**

(a) Loans aggregating Rs. 302.85 crores were advanced to the Government of Bihar by the Central Government during the last three years ; Rs.65.84 crores in 1965-66; Rs.88.28 crores in 1966-67 and Rs.148.73 crores in 1967-68.

(b) and (c) The total amount of interest paid ( as also payable) by the Government of Bihar on Central loans, whether advanced during the relevant years or earlier was Rs.17.63 crores in 1965-66, Rs.17.28 crores in 1966-67 and Rs. 20 crores in 1967-68. Separate figures in respect of loans advanced during 1965-68 are not readily available.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise. No request has been received from the Government of Bihar in this regard.

**खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले**

4853. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री 11 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने मामलों में एक साल से कम अवधि की शजा दी गई है और कितने मामलों में इससे अधिक समय के लिए सजा दी गई है;

(ग) किन-किन राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मिलावट नहीं की जाती; और

(घ) मुख्यतया किन-किन खाद्य पदार्थों में अधिकतर मिलावट की जाती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास, और नगर विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क), (ख), (ग) और (घ) पूरी सूचना सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

### विदेशी ऋण

4854. श्री लोबो प्रभु : क्या वित्त मंत्री 10 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2359 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन से पूर्व की और विनिमय की वर्तमान दरों के हिसाब से वर्तमान विदेशी ऋण के भुगतान के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता है;

(ख) अवमूल्यन से पूर्व की और विनिमय की वर्तमान दरों के हिसाब से चालू वर्ष में निर्यात से कितनी आय हुई हैं;

(ग) अवमूल्यन से पूर्व की और विनिमय की वर्तमान दरों के हिसाब से चालू वर्ष में कितने रुपयों का आयात किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि देनदारी पर भारत को अधिक राशि देनी पड़ी है और उसकी आय कम हुई है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का अब भी यही मत है कि कोई ऐसा गम्भीर असन्तुलन नहीं है, जिससे पुनर्मूल्यन करना उचित हो ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 31 जनवरी, 1969 को, विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में भारत सरकार की कुल बकाया देनदारी, चालू विनिमय दर के अनुसार, 5868 करोड़ रुपया थी। अवमूल्यन से पहले की विनिमय दर के अनुसार यह देनदारी 4074 करोड़ रुपया होती। चालू विनिमय दर के अनुसार, इसमें से 4343 करोड़ की देनदारी, विदेशी मुद्रा में चुकाये जाने वाले तथा निर्यात करके चुकाये जाने वाले ऋणों के रूप में है जो अवमूल्यन से पूर्व की विनिमय दर के अनुसार 2758 करोड़ रुपया होती। बाकी देनदारी, रुपये में चुकाये जाने वाले ऋणों के रूप में थी।

(ख) अप्रैल 1968 से जनवरी 1969 तक की अवधि में निर्यात से हुई आय, जिसके बारे में आँकड़े अभी उपलब्ध हैं, 1135 करोड़ रुपया थी। अवमूल्यन से पहले की विनिमय दर के अनुसार यह आय 721 करोड़ रुपया होती।

(ग) इसी प्रकार, उसी अवधि में आयात की गयी वस्तुओं का मूल्य, अवमूल्यन के बाद की विनिमय दर के अनुसार 1519 करोड़ रुपया था। अवमूल्यन से पहले की विनिमय दर के अनुसार यह मूल्य 964 करोड़ रुपया होता।

(घ) और (ङ) देनदारी में जो वृद्धि हुई है वह केवल रुपये के रूप में है। यद्यपि आयात की जाने वाली वस्तुओं के लिए भारत को रुपयों के रूप में, अधिक रकमें देनी पड़ती है, फिर भी विदेशी मुद्रा के रूप में विदेशी ऋणों से प्राप्त होने वाली रकमों और निर्यात से होने वाली आय में, अवमूल्यन के बाद, रूपयो के रूप में 57·5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फिर भी, विदेशी देनदारियों और विदेशों के साथ किये जाने वाले लेन-देन विदेशी मुद्रा में दिखाये जाते हैं और रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन होने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देश की शोधन-शेष स्थिति को सुदृढ़ करने से ब्याज सहित विदेशी ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ती है और शोधन-शेष की स्थिति तभी सुदृढ़ की जा सकती है जब निर्यात से होने वाली आय बढ़ायी जाय और आयात की जाने वाली वस्तुओं जैसी वस्तुएँ अधिकतर देश में ही बनायी जायें। इस प्रकार शोधन-शेष की स्थिति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता की दृष्टि से रुपये का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं हैं।

### पेनिसिलिन के मूल्य

4855. श्री लोबो प्रभु : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 10 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेनिसिलिन का क्या मूल्य है;

(ख) साम्यवादी देशों को छोड़ कर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ओक्सीटेटरासाइक्लिन का मूल्य क्या है;

(ग) क्या भारत आयात के लिए अधिक मूल्य दे रहा है और निर्यात के लिये कम मूल्य ले रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)

(क) (1) पेनिसिलिन जी–50 पैसा प्रति मेगा यूनिट (स्टेराइल)

(2) पेनिसिलिन वी–80 पैसा प्रति मेगा यूनिट।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आयात अधिकांश तौर पर रुपयों में भुगतान करने वाले देशों से किया गया है। जून 1967 में स्वीटजरलैण्ड से आखरी आयात बीमा–भाड़ा लागत सहित, 3461–रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य की दर से किया गया था।

(ग) एकाकी मामले पर आधारित सामान्यीकरण न्यायसंगत नहीं हो सकता है जहाँ तक

युगोस्लाविया से इस विशेष व्यापार का सम्बन्ध है, भारतीय पार्टी ने इस लेन-देन (व्यापार) को पूर्णतया लाभदायक पाया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में प्रतिव्यति बिजली की उपलब्धता

4856. श्री बाल्मीकि चौधरी : श्री भोगेन्द्र झा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में बिहार में प्रतिव्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध थी और अखिल भारतीय आँकड़ों की तुलना में यह कितनी कम या अधिक है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में कितनी अतिरिक्त बिजली उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है और प्रतिव्यक्ति बिजली की उपलब्धता के मामले में बिहार शेष भारत के स्तर पर किस सीमा में आ जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) लगभग 77 यूनिट की अखिल भारतीय प्रतिव्यक्ति खपत के मुकाबले 1968-69 के दौरान बिहार में बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत 63 यूनिट होने की सम्भावना है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बिहार में बाँध और सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाएं

4857. श्री बाल्मीकि चौधरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार में बनाये जाने वाले मुख्य बान्धों और सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक के लिये कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इनका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) चौथी योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) और (ग) इस समय इसका प्रश्न नहीं उठता ।

तट-दूर ड्रिलिंग

4858. श्री रामावतार शर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दोनों गहरे तथा उथले समुद्र में तट-दूर ड्रिलिंग के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

अलियाबेट के पास उथले समुद्र में व्यधन के लिए, एक उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है । एक स्थिर प्लेटफार्म के निर्माण के लिए, जो व्यधन कार्यों को करने के लिए आवश्यक है, अपेक्षित एक चल-क्रेन को प्राप्त करने में यत्न किये जा रहे हैं ।

गहरे समुद्र में व्यधन के बारे में प्राप्त हुये विभिन्न सहयोगी प्रस्ताव तथा इसके लिये किस प्रकार के चल-व्यधन उपकरणों की जरूरत होगी, सरकार इन मामलों पर विचार कर रही है।

### तट-दूर ड्रिलिंग में बाधाएं

4859. श्री रामावतार शर्मा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उथले समुद्र में प्लेटफार्म के डिजाइन में सहायता न मिलने के कारण तथा गहरे समुद्र के लिये चलते-फिरते उपयुक्त प्लेटफार्मों के अभाव के कारण तट-दूर ड्रिलिंग के कार्यक्रम में बाधा पड़ी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा०रा० चव्हाण) :

(क) और (ख) उथले जल (समुद्र) में तट-दूर व्यधन में विलम्ब, प्लेटफार्म के रूपांकन में सहायता के अभाव के कारण नहीं हुआ है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास गहरे समुद्र में व्यधन के लिये अपेक्षित चल व्यधन प्लेटफार्म नहीं है। इस बारे में सहायता के लिये प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की सरकार जाँच कर रही है।

### देश में कुपोषण

4860. श्री अदिचन : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपीनियन (भारतीय जनमत संस्था) द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि देश की 46.60 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 32.60 करोड़ व्यक्ति स्थायी रूप से कुपोषण के शिकार हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो यह जानकारी सरकार की जानकारी से कहाँ तक मेल खाती है ;

(ग) सामान्य रूप से विश्व भर में कुपोषण की तुलना में भारत में कुपोषण की क्या प्रतिशतता है ; और

(घ) भारत में जो व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में उनकी संख्या में कितनी कमी हो जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी नहीं, भारती जनमत संस्थान ने देश में कुपोषण के प्रकोप को जानने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। इसने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आँकड़ों का विश्लेषण मात्र किया है और देश में दैनिक आहार सम्बन्धी इन्टेक के आधार पर विभिन्न आर्थिक

वर्गों में आहार सम्बन्धी अपूर्णता की व्यापकता का एक संकेत दे दिया है । 0 से 24 रु० प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च वाले वर्ग के सभी आयुवर्गों के लोगों को भोजन में अपेक्षित प्रोटीन, विटामिन ए और लोहा प्राप्त नहीं है। इस अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि इस व्यय-वर्ग के 70.3 प्रतिशत लोगों को 1970-71 तक भी भोजन में पूरी क्लोरी नहीं मिल पायेगी ।

(ख) कुपोषण के प्रकोप के बारे में कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। देश के विभिन्न भागों के इक्के-दुक्के सर्वेक्षण हुए हैं जिनसे पता चलता है कि देश में पोषण सम्बन्धी अपूर्णता व्यापक रूप से व्याप्त है। उदाहरणार्थ बच्चों, गर्भवती और दूध-पिलाती माताओं में पोषण सम्बन्धी रक्त क्षीणता आम तौर पर है और यह बात इस वर्ग के कम से कम 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी भागों में स्कूल जाने की आयु से छोटी आयु वाले 10 प्रतिशत बालक प्रोटीन क्लोरी कुपोषण के शिकार हैं।

(ग) कुपोषण का प्रभाव देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न मात्रा में है। विश्व के विभिन्न भागों में कुपोषण के प्रभाव सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि देश के उन अधिकांश भागों में जहाँ कुपोषण आम तौर पर पाया जाता है, विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं ।

(घ) चूंकि पोषण कार्यक्रमों की पर्याप्त परिणति पर समय लगता है अतः चौथी योजना अवधि के अन्त तक कुपोषण की व्यापकता कितनी घट जायेगी यह बतलाना सम्भव नहीं है ।

### रांची के निकट सुवर्णरेखा नदी पर बांध

4861. श्री स० कुन्दू : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुवर्णरेखा नदी में उसके अन्तिम भाग में दोहरा बाँध बनाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इसको कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ;

(ग) प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और क्या इस योजना में कोई बाँध या जलाशय शामिल करने का विचार है ;

(घ) क्या राँची के निकट सुवर्णरेखा नदी पर एक बाँध बनाया जा रहा है जिससे पन- बिजली भी तैयार की जायेगी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) और (ख) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को यह सलाह दी गई है कि वे सुवर्णरेखा के साथ तटबंधों के लिए स्कीमें तैयार करें। ये स्कीमें अभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) तटबंधों के निर्माण से सबन्धित अनुसंधान कार्य हो रहा है । बाढ़ नियन्त्रण के लिए किसी बराज अथवा डिटेन्शन जलाशय का विचार नहीं किया गया है ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) बिहार में सुवर्णरेखा परियोजना को बनाने का उद्देश्य यह है कि इससे राँची को 75 क्यूसेक पानी सप्लाई किया जा सके और इससे पन-बिजली पैदा की जा सके। जिस रूप में यह परियोजना स्वीकार की गई है उसमें राँची से लगभग 19 मील दूर गेटलसूद पर सुवर्णरेखा के ऊपर 116 फुट ऊँचा एक सँधटित बांध बनाया जाना है। अनुमान है कि इसमें संचित जल से 350 क्यूसेक का विश्वसनीय निस्सार उपलब्ध होगा जिसमें से राँची को पानी की सप्लाई करने के लिए 75 क्यूसेक पृथक रखा गया है और शेष 275 क्यूसेक को बिजली उत्पन्न करने के कार्य में लाया जाएगा । अनुमान है कि परियोजना की 100% भार अनुपात पर 17 मेंगावाट वास्तविक बिजली शक्यता होगी। दो बिजली केंद्रों को इस तरह बनाया गया है कि उन्हें निम्न भार अनुपातों पर चलाया जा सके ताकि बिहार, पश्चिम बंगाल ग्रिड को शीर्ष क्षमता उपलब्ध हो सके ।

### उड़ीसा में बैतरनी नदी बाँध परियोजना

4862. श्री स० कुन्दू : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में आनन्दपुर में बैतरनी नदी बाँध परियोजना को सरकार द्वारा अनुमति तथा स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) सालांदी सिंचाई परियोजना की तुलना में इस परियोजना से क्या लाभ होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) जी, नहीं । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में इस परियोजना की तकनीकी दृष्टिकोण से जाँच हो रही है ।

(ग) जिस रूप में सालन्दी परियोजना स्वीकार की गई है, उससे हर वर्ष 1.67 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हुआ करेगी । सालन्दी परियोजना को आनन्दपुर बराज परियोजना में मिला देने का विचार है और इस समेकित परियोजना से हर वर्ष 7.22 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है ।

### कर-प्रस्तावों के बारे में सरकार को रचनात्मक सुझाव देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार

4863 श्री चं० चु० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति क्राउन कार्क तथा न रिसने वाले प्रति ढक्कन पर एक पैसा उत्पादन-शुल्क लगाने का सुझाव मूलतः जनता के एक व्यक्ति ने 1963-64 के बजट के समय उनको दिया था ;

(ख) क्या यह एक ऐसा कर था जिसकी बहुत कम अथवा बिल्कुल भी आलोचना नहीं की गई थी ;

(ग) 1968-69 तक क्राउन कार्कों पर तथा 1969-70 के बजट तक न रिसने वाले ढक्कनों पर यह शुल्क लगाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस सुझाव पर जब यह शुरू में 1963-64 में दिया गया था, तुरन्त कार्यवाही न करने से सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई ;

(ङ) सरकार को लाभदायक तथा रचनात्मक विचार-सुझाव देने वाले लोगों की प्रशंसा करने तथा उन्हें प्रत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(च) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्या यह सुझाव देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं । क्राउन कार्क पर शुल्क लगाने की संभावना को, जनता में से एक व्यक्ति का 1963-64 के बजट से पहले सुझाव-प्राप्ति से पहले ही सरकार द्वारा छानबीन की जा चुकी थी ।

(ख) जी, नहीं । जब 1968 में क्राउन कार्क पर शुल्क लगाया गया तो बड़े तथा लघु निर्माण-कर्ताओं से कई अभ्यावेदन मिले थे ।

(ग) और (घ) क्राउन कार्क पर 1968 में शुल्क लगाया गया जब ऐसा करना उपयुक्त समझा गया । इन्हीं बातों के लिहाज से पिलफर-प्रूफ ढक्कनों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव इस वर्ष के बजट में रखा गया है ।

(ङ) जनता से प्राप्त सभी सुझावों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है । जिस व्यक्ति ने क्राउन कार्क तथा पिलफर-प्रूफ ढक्कनों पर शुल्क लगाने का सुझाव दिया था उसके विशिष्ट मामले में भी ऐसा किया गया था ।

(च) उत्पादन-शुल्क लगाने के संबंध में सुझाव देने वाले व्यक्तियों को इनाम देने की कोई पद्धति नहीं है इसलिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

### डेक्सट्रोज पाउडर का आयात

4864. सोमचन्द सोलंकी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) डैक्सट्रोज पाउडर बी० पी० अनहाईड्रोस के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है ;

(ख) कौन-कौन से देश किस-किस दर पर इस पाउडर का भारत को निर्यात करते हैं ;

(ग) क्या देश में इस पाउडर के वितरण के लिए कोई एकाधिकार एजेन्सी काम करती है ; और

(घ) क्या डैक्सट्रोज पाउडर को देश में भी बनाया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) और (ख) 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 (नवम्बर, 1968 तक) के दौरान ठोस ग्लूकोज (पाउडर सहित) के आयात के ब्यौरे संलग्न हैं। डैक्सट्रोज पाउडर बी० पी० अनहाईड्रोस के आयात से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस विषय में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) डैक्सट्रोज पाउडर बी० पी० अनहाईड्रोस के निर्माण के लिए दो यूनिटों को लाइसेंस दे दिया गया है और पता चला है कि एक यूनिट ने परीक्षण उत्पादन शुरु कर दिया है।

विवरण

मीटरी टनों में मात्रा
'000' रुपयों में मूल्य
(अवमूल्यन के पश्चात् दर)

| क्रम संख्या | देश | 1966-67 मात्रा | 1966-67 मूल्य | 1967-68 मात्रा | 1967-68 मूल्य | 1968-69 (नवम्बर, 68 तक) मात्रा | 1968-69 (नवम्बर, 68 तक) मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चैकोस्लावाकिया | 17 | 92 | 93 | 87 | – | — |
| 2. | जापान | 30 | 47 | 208 | 302 | 26 | 48 |
| 3. | यू० एस० ए० | 120 | 394 | 286 | 938 | 73 | 239 |
| 4. | यू० के० | 2 | 7 | 1 | 1 | – | – |
| 5. | जर्मन संघीय गणराज्य | – | – | बहुत थोड़ा | 1 | 3 | 7 |
| 6. | पोलैण्ड | 8 | 40 | – | – | – | – |
| 7. | स्विटज़रलैण्ड | 1 | 2 | – | – | – | – |
| | कुल | 178 | 582 | 408 | 1229 | 102 | 294 |

**Country's Capital in Hands of Millionaires Billionaires**

4865. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of country's capital in the hands of billionaires and the number of these persons ;

(b) the percentage of country's capital in the hands of millionaires and the number and of these persons ;

(c) the number of persons in the country who are landless and have no means of livelihood ; and

(d) the percentage of India's population who are hardly able to earn their bread for even one time in a day ?

**The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :**

(a) and (b) The number of wealth-tax payers who were assessed on net wealth exceeding Rs. 10 lakhs as on 31-3-1967 was 1940 and their total net wealth amounted to Rs. 399.06 crores. There are no wealth tax payers assessed on net wealth exceeding Rs. 1 billion. The net wealth assessed for wealth-tax excludes the value of agricultural land. Information regarding the percentage of the country's capital in the hands of millionaires is not available.

(c) and (d) The number of agricultural labourers, according to the 1961 census, is estimated at 3.5 crores. Estimates of landless persons without any means of lievlihood or of persons who are hardly able to earn their bread for even one time a day are not available.

**दिल्ली में बेला रोड स्थित बर्फ के कारखानों की पट्टे की शर्तें**

4866. **श्री तुकाराम गेविट :** **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

**क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 25 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1881 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या बेला रोड स्थित बर्फ के कारखानों की पट्टे की शर्तों के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उसमें उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है ?

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में रज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :**

(क), (ख) तथा (ग) मुख्य आयुक्त, दिल्ली को लिखे गये स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र संख्या 3030-एल० एस० जी०/50 दिनांक 9 अगस्त, 1950 में, चार शरणार्थी उद्योग-पतियों को बेला रोड पर बर्फखाना (आइस फैक्ट्री) बनाने के लिए नोटीफाईड एरिया कमेटी, दिल्ली के द्वारा भूमि के चार प्लाटों के पट्टे की कार्योत्तर स्वीकृति भेज दी गयी। फाइल जिसमें मूल पत्र तथा पूर्व संबंधित कागज थे खत्म कर दी गयी।

**बिजनौर सिंचाई परियोजना**

4867. **श्री लोबो प्रभु :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कूंडापुर तालुक में बिजनौर सिंचाई परियोजना का काम कब शुरू किया गया था ; और

(ख) इसे पूरा करने में देरी होने के क्या कारण हैं और यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी ?

**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :**

(क) इस परियोजना पर अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

(ख) इस परियोजना पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

10 जनपथ, नई दिल्ली

4368 श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 3 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1581 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला संख्या, 10 जनपथ, नई दिल्ली बंगला का उपयोग करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्ति को कितने किराये पर और पट्टे की किन शर्तों पर दिया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में कब तक निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ;

(घ) स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार द्वारा वह बंगला खाली कर दिये जाने के बाद से ले कर अब तक किराये के रूप में 11,179 रुपये की हानि होने के अतिरिक्त इस बंगले में मरम्मत, सफेदी, देखभाल, साज-सज्जा, परिवर्तन और परिवर्धन आदि पर कितनी-कितनी धन राशि खर्च की गई है ; और

(ङ) इस भवन का बाजार-भाव के अनुसार कितना किराया बैठता है और इस बंगले के साथ संलग्न कार्यालय का श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात् क्या उपयोग किया गया ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी हाँ ।

(ख) काउन्सिल की कार्यालय वास की संपूर्ण माँग से संतुष्ट हो कर काउन्सिल के अध्यक्ष के निवास स्थान तथा काउन्सिल के कार्यालय के उपयोग के लिए 15 मार्च, 1969 को प्रेस काउन्सिल आफ इन्डिया को आवंटन किया गया था । आवंटन की मुख्य शर्तें निम्नांकित हैं :—

(i) आवंटन "लीव एण्ड लाईसेस" के आधार पर किया गया है, परन्तु सरकार को एक मास का नोटिस देने के पश्चात् आवंटन समाप्त करने का अधिकार है ।

(ii) रिहायशी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाले भवन के भाग के लिए प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष मूल नियम 45-ए के अधीन किराया देंगे और कार्यालय वास के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले बंगले के स्थान के लिए कौंसिल को 100 रुपये प्रति 100 वर्ग फुट की दर से बाजार दर किराया देना होगा । परिवार से संलग्न बाग के अनुरक्षण के लिए, बिजली की खपत तथा वास की देख-रेख के प्रभार भी कौंसिल को देने होंगे ।

(iii) सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, कौंसिल भवन में परिवर्तन तथा सम्वर्धन नहीं कर सकती । यदि ऐसे सम्बर्धन तथा परिवर्तन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाते हैं तो कौंसिल को उसके लिए अतिरिक्त किराया देना होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जायगा ।

(iv) कौंसिल बंगले को केवल कार्यालय के लिए तथा चेयरमैन के निवास स्थान के उद्देश्य से उपयोग में ला सकती है और सम्पदा निदेशालय की लिखित पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विभिन्न मदों पर किया गया खर्च इस प्रकार है :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) सिविल निर्माण-कार्य | सफेदी | 1,300.00 रुपये |
| | वार्च एण्ड वार्ड | 1,447.00 रुपये |
| | कम्पाउड दीवार का निर्माण जो 10 जनपथ और 1 मोती लाल नेहरू प्लेस को पृथक करती है | 4,602.00 रुपये |
| (ii) उद्यान कार्य | ........ | 18,000.00 रुपये |
| (iii) बिजली के कार्य .... | वातानुकूलित करना | 15,500.00 रुपये |
| | बिजली सम्बंधी | 914.00 रुपये |
| | | 41,763.00 रुपये |

(ङ) सरकारी निवास स्थानों के बाजार-किराया फार्मूल के आधार पर बंगला नं० 10, जनपथ का बाजार किराया 4,895.90 रुपये प्रतिमास बैठता है। कार्यालय के उद्देश्य के लिए आवंटित वास का बाजार किराया 100 रुपये प्रति 100 वर्गफुट की दर से निश्चित किया गया है। बगंला नं० 10, जनपथ का सारा वास, जिसमें कार्यालय ब्लाक और आऊट-हाऊसिज शामिल हैं, प्रेस कौंसिल आफ इण्डिया को आवंटित किया गया है। नं० 10, जनपथ से संलग्न कार्यालय कक्षा, बंगले का एक भाग है और किसी अन्य पक्ष को पृथक रूप से आवंटित नहीं किया गया था। बगंला तथा कार्यालय कक्ष, 24 जून 1966 से 22 मई, 1967 तक इन्स्टीच्यूट आफ् डिफेन्स स्टडीज् एण्ड एनेलिसिज के पास रहा और तत्पश्चात् 20 फरवरी, 1968 से 17 दिसम्बर, 1968 तक विदेश मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री आर० जी० राजवाड़े के दखल में रहा।

### पोस्ते की खेती वाली भूमि

4869. श्री बृजराज सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, राज्य-वार, पोस्ते की खेती वाली भूमि का क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) उत्पादकों को समाहार मूल्य किस दर पर दिया जाता है और सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पोस्ता किस मूल्य पर बेचा जाता है ;

(ग) पोस्ता जिस मूल्य पर बेचा जाता है, उसे बनाये रखने के लिये क्या सरकार किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार से बँधी हुई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस करार का ब्यौरा क्या है तथा वह करार किन-किन देशों के बीच हुआ है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) भारत में, वर्ष 1968-69 की फसल के मौसम में पोस्ते की खेती का राज्य-वार कुल रकबा नीचे लिखे अनुसार है :—

| राज्य का नाम | पोस्ते की खेती का लाइसेंसशुदा रकबा (हेक्टर में) |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 8,407 |
| मध्य प्रदेश | 16,043 |
| राजस्थान | 11,557 |
| | 36,007 |

(ख) (i) पोस्ते की खेती की उपज अफीम होती है, जिसकी सरकार द्वारा खरीद के लिये, 1968-69 की मौसमी फसल के लिये दर 70° घनत्व पर, 30/– से 45/– रुपये प्रति किलो निश्चित की गयी है, जो काश्तकार द्वारा दी जाने वाली औसत उपज पर निर्भर करती है। किसानों के विभिन्न वर्गों के लिये निश्चित कीमतों की सूची इस प्रकार है :–

| वर्ग | 70° घनत्व पर कीमत प्रति किलोग्राम (रुपये) |
|---|---|
| ऐसे काश्तकार जो प्रति हेक्टर 45 किलोग्राम अथवा अधिक उपज देते हैं | 45.00 |
| ऐसे काश्तकार जो प्रति हेक्टर 40 किलोग्राम अथवा अधिक किन्तु 45 किलोग्राम से कम उपज देते हैं | 40.00 |
| ऐसे काश्तकार जो प्रति हेक्टर 35 किलोग्राम अथवा अधिक किन्तु 40 किलोग्राम से कम उपज देते हैं | 38·00 |
| ऐसे काश्तकार जो प्रति हेक्टर 30 किलोग्राम अथवा अधिक किन्तु 35 किलोग्राम से कम उपज देते हैं | 35.00 |
| ऐसे काश्तकार जो प्रति हेक्टर 30 किलोग्राम से कम उपज देते हैं | 30.00 |

(ii) अफीम को तैयार करके निर्मित बट्टियों (लगभग 90° घनत्व) के रूप में विदेशी ग्राहकों को बेचा जाता है। ऐसी (निर्मित) अफीम की कलकत्ता/बम्बई में जहाज पर निःशुल्क

लदाई सहित वर्तमान मूल निर्यात-मूल्य, और अफीम-सार (मारफीन) की प्रति किलोग्राम इकाई पर, 1.30 अमरीकी डालर अथवा 9.75 भारतीय रुपये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल नहीं उठता ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली

4870. श्री जे० एच० पटेल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में अभी भी रोगियों के लिये बिस्तरों की कमी है ;

(ख) क्या इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नर्सिंग कर्मचारी रोगियों की उचित देखभाल नहीं करते और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तथा रोगियों को औषधियाँ भी समय पर नहीं मिलती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री ( श्री के० के० शाह ):

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के अस्पताल में इसकी वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए बिस्तरों की कमी नहीं है।

(ख) और(ग) नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध कभी-कभी शिकायतें आती हैं जिनकी जाँच की जाती है। संस्था के पास अनेक प्रकार की औषधियों का स्टाक है। फिर भी भारी मांग अथवा बाजार में उपलब्ध न होने के कारण औषधियों की कभी-कभी कमी हो जाती है जिसको यथा-सम्भव शीघ्र पूरा किया जाता है।

कानपुर नगर का दर्जा

4871. श्री क० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरों को ए, बी-1 बी-2 और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करने की कसौटी क्या है ;

(ख) कानपुर नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है ; और

(ग) कानपुर को 'ए' श्रेणी का नगर घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति (नगर) तथा मकान किराया भत्ता देने के प्रयोजन से, शहरों का वर्गीकरण 1961 की जनगणना के आधार पर उनकी जनसंख्या के अनुसार ए, बी-1, बी-2 तथा सी श्रेणी के शहरों के तौर पर होता है तथा इन श्रेणियों के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा नीचे दिये अनुसार है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ए- | 16 लाख | बी-1 | 8 लाख |
| बी 2 | 4 लाख | सी- | 50 हजार |

(ख) कानपुर की वर्तमान जनसंख्या की जानकारी नहीं है। फिर भी 1961 की जनगणना के अनुसार कानपुर नगर निगम की जनसंख्या 8, 81,177 थी।

(ग) 1961 की जनगणना के अनुसार कानपुर की जनसंख्या सोलह लाख से कम होने के कारण, उक्त शहर को 'ए' श्रेणी का शहर घोषित करने के मापदण्ड की पूर्ति नहीं होती।

**रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में सरकारी फ्लैटों में पानी के गैर सरकारी मीटर लाना**

4872 श्री रामवतार शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में रामकृष्णपुरम (नई दिल्ली) में सैक्टर आठ, नौ और बारह में सरकारी फ्लैटों के आवंटियों को व्यक्तिगत पत्र लिख कर कहा है कि वे अपने-अपने क्वारटरों में अपने खर्च पर तत्काल पानी के मीटर लगवा लें;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी फ्लैटों में पानी के गैर-सरकारी मीटर लगवाने के लिये अनुदेश देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली अन्य सरकारी रिहायशी बस्तियों में भी ऐसा ही किया जा रहा है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो ऐसा भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :**

(क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने नवम्बर, 1968 के आरम्भ में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसके अनुसार सभी किरायेदारों को पानी का मीटर अपने खर्चे पर लगवाना था अथवा 75 रुपये की सीक्योरिटी अदा करने के बाद दिल्ली नगर निगम के द्वारा मीटर लगवाना था। दिल्ली नगर निगम द्वारा रामकृष्णपुरम के सैक्टर VIII, IX तथा XII में सरकारी फ्लैटों के आवंटियों को कोई व्यक्तिगत पत्र भेजने की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है। दिल्ली नगर निगम से यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले पर पुनर्विचार करें तथा आवंटियों के अपने कार्यालयों के सीक्योरिटी पत्र को स्वीकार कर लें, किन्तु उन्होंने ऐसे करने से मना कर दिया।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका आवंटियों के अपने कार्यालयों के सीक्योरिटी पत्रों को स्वीकार करती है।

(घ) यह मामला स्थानीय निकायों के अधिकारक्षेत्र में है।

## पूँजी निर्माण

4873. श्री रणजीत सिंह : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण : श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूँजी निर्माण को सुदृढ़ करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल संघ ने निगम करों की दरों में कमी करने की माँग की है ताकि निगम-प्रतिभूतियाँ आकर्षक बन सकें और अधिक लाभांश दे सकें ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 1969-70 के बजट में अर्थ-व्यवस्था के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पूँजी का निर्माण फिर शुरू कराने और उसमें सहायता पहुँचाने के लिए अनेक व्यवस्थाएँ हैं। उदाहरणार्थ, 1969-70 के लिए केन्द्रीय आयोजना के निमित्त की गयी व्यवस्था पिछले वर्ष की व्यवस्था से लगभग 100 करोड़ रुपया अधिक है। चौथी आयोजना के कार्यक्रमों के शुरू किये जाने से अर्थ-व्यवस्था में पूँजी निर्माण के लिए और बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, गैर सरकारी क्षेत्र में पूँजी निर्माण में सहायता पहुँचाने के लिए कई उपाय करने के प्रस्ताव भी किये गये हैं। इनमें ये उपाय शामिल हैं :—

(i) कर-अवकाश सम्बन्धी रियायत को पाँच वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाना,

(ii) विकास सम्बन्धी छूट जारी रखना,

(iii) विकास छूट देने के लिए सूती और जूट वस्त्रोद्योगों को प्राथमिकता देना,

(iv) संयंत्र और मशीनों के लिए मूल्यह्रास सम्बन्धी छूट की सामान्य दर में वृद्धि करना और भारतीय कम्पनियों के मामले में प्रोत्साहन सम्बन्धी खर्च और प्रायोजना रिपोर्टों आदि के खर्च को उल्लिखित सीमा तक दस वर्ष की अवधि में उनकी कर-योग्य आय में से घटाना,

(v) लाभांश-सम्बन्धी आय के लिए दी जाने वाली छूट की सीमा को बढ़ा कर 500 रुपये से 1000 हजार रुपये तक करना।

(ख) जी, हाँ।

(ग) निगम कर की दरों में कमी करना व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

## उत्पादन-शुल्क

4874. श्री रणजीत सिंह : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण : श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 में केन्द्रीय सरकार ने उत्पादन शुल्क से कितनी धनराशि वसूल की ;

(ख) 1969–70 में कितनी धनराशि वसूल होने की संभावना है; और

(ग) उक्त अवधि में धनराशि की वसूली में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

(क) 1967–68 में उत्पादन-शुल्क का संग्रह कुल 1148.52 करोड़ रुपये का हुआ; 1668–69 का संशोधित अनुमान 1320.45 करोड़ रुपये का है।

(ख) 1969–70 के बजट में किये गये कर-प्रस्तावों के प्रभाव को यदि हिसाब में नहीं लिया जाय तो 1969–70 में उत्पादन शुल्कों से 1421.63 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। बजट प्रस्तावों के प्रभाव को मिला कर यह अनुमान 1526.20 करोड़ रुपये का है।

(ग) अनुमानों के अनुसार राजस्व-संग्रह में वृद्धि का प्रतिशत :

| | |
|---|---|
| (i) 1967–68 के मुकाबले 1968-69 में | = 15.0 प्रतिशत |
| (ii) 1968–69 के मुकाबले 1969–70 में | |
| (क) बजट प्रस्तावों के प्रभाव को छोड़ कर | = 7.7 प्रतिशत |
| (ख) बजट प्रस्तावों के प्रभाव को मिला कर | = 15.6 प्रतिशत |

## एशियाई विकास बैंक सम्मेलन

4875. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक का अगला सम्मेलन शीघ्र ही होने वाला है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और किस स्थान पर तथा सम्मेलन की प्रस्तावित कार्यसूची क्या है ; और

(ग) क्या उनका विचार सम्मेलन में भाग लेने का है ?

**उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):**

(क) जी हाँ।

(ख) एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड की दूसरी वार्षिक बैठक 10 अप्रैल से 12 अप्रैल, 1969 तक सिडनी, आस्ट्रेलिया में होने वाली है। बैठक के विचारणीय विषयों की सूची के मसविदे की एक प्रति संलग्न है।[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 570/69]

(ग) जी, हाँ। भारत की ओर से बैंक का गवर्नर होने की हैसियत से बैठक में भाग लेने का मेरा विचार है।

## देश में दस सर्वोच्च कर-अपवंचक

4876. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दस सर्वोच्च कर-अपवंचकों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) उन्होंने कुल कितनी राशि के करों का अपवंचन किया है और प्रत्येक ने कितनी–कितनी कर राशि का कर–अपवंचन किया है और कितने-कितने समय से ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप–प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क), (ख) तथा (ग) मिलने वाली शिकायतों के आधार पर यह बताना सम्भव नहीं होता कि अमुक व्यक्ति कर–अपवंचक है। कर-अपवंचक की सभी शिकायतों की जाँच की जाती है और जहाँ प्रथम दृष्टया कर-अपवंचन का मामला दिखाई देता है, जाँच-पड़ताल की जाती है। जाँच–पड़ताल पूरी हो जाने तथा अपीलों के निपटान के बाद कर-निर्धारणों की कार्यवाही मुकम्मल हो जाने के बाद ही इस बात का निश्चय किया जा सकता है कि अमुक वर्ष में सबसे अधिक कर का अपवंचन करने वाले कौन व्यक्ति थे, इन सब में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए माँगी गई सूचना देना सम्भव नहीं है।

## खनिज उत्पादन

4877. श्री शिवचन्द्र झा : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 और 1968 में भारत में किस-किस प्रकार के और कुल कितने बहुमूल्य धातु खानों से निकाले गये हैं ;

(ख) उनका कुल मूल्य रुपयों में कितना है ;

(ग) उपरोक्त अवधि में यदि विदेशों के साथ उनके बारे में कोई सौदे किए गये हैं, तो रुपयों में कितने मूल्य के सौदे किये गये हैं; और

(घ) भारत में बहुमूल्य धातुओं के निक्षेपों का अनुमान क्या है जिनको अभी तक नहीं निकाला गया और उनको निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसे अब तक कितनी सफलता मिली है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क) सोना तथा चाँदी दो बहुमूल्य धातुएँ हैं जो इस समय भारत में खानों से निकाली जाती हैं। चाँदी, सोने तथा सीसे के परिष्करण से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती है।

(ख) उत्पादित किए गए सोने तथा चाँदी का मूल्य निम्न प्रकार से है :—

| | सोना | | चाँदी | |
|---|---|---|---|---|
| | किलोग्रामों में मात्रा | हजार रुपयों में मूल्य | किलोग्रामों में मात्रा | हजार रुपयों में मूल्य |
| 1967 | 3,161 | 46,691 | 3,471 | 1,254 |
| 1968 | 3,558 (अनन्तिम) | 53,069 | 2,802 | 1,483 |

(ग) इस देश में खानों से निकाले जा रहे सोने तथा चाँदी का कोई भाग निर्यात नहीं किया जाता है।

(घ) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 571/69]

**नई सब्जी मन्डी, आजादपुर (दिल्ली) में दुकानें**

4878. **श्री शंकरराव माने :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई सब्जी मण्डी, आजादपुर में 12'×53', 10'×18 और 12'×15' की कितनी-कितनी दुकानें हैं ;

(ख) क्या दुकानों के प्लाटों के इन आकार को उन दुकानदारों ने मंजूर कर दिया है जिनको दिल्ली विकास प्राधिकार वहाँ पर बसाना चाहता है ;

(ग) नयी सब्जी मण्डी क्षेत्र में टेलीफोनों के लिए क्या प्रबन्ध किये गए हैं ; और

(घ) क्या दुकानों के निर्माण के लिए दुकानदारों को ऋण देने का कोई प्रस्ताव है ?

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :**

(क) 444 दुकानें 12'×53' के साईज़ की, 228 दुकानें 10'×18' के साईज़ की और 130 दुकानें 12'×15' साईज़ की हैं।

(ख) ले-आऊट प्लान का अनुमोदन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है और दुकानदारों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने मार्केट और दुकानों की डिज़ाईन पर मन्डी की यूनियन के प्रतिनिधियों से चर्चा की थी।

(ग) टेलीफ़ोन की तारें बिछा दी गयी हैं और इस बारे में दुकानदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवेदन दिए जाने पर टेलीफ़ोन विभाग द्वारा व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जा सकते हैं।

(घ) जी नहीं।

**आजादपुर सब्जी मन्डी, दिल्ली**

4879. **श्री शंकरराव माने :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री 9 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3860 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजादपुर सब्जी मन्डी, दिल्ली के लिए अर्जित भूमि के मूल्य तथा विकसित भूमि के मूल्य के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) माँगी गयी जानकारी को एकत्र करने में सरकार को और कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क), (ख) और (ग) मामला अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

1969-70 में राज्यों द्वारा घाटे के बजट पेश किया जाना

4880. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने वर्ष 1969-70 के लिए अपने बजट पेश कर दिए हैं ;

(ख) कितनी राज्य सरकारों ने घाटे के बजट पेश किए हैं और उनमें कितना-कितना घाटा दिखाया गया है ;

(ग) राज्य सरकारों के बजटों के घाटों में इस वृद्धि से देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा सन्तुलित बजटों के पेश किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) सभी राज्य सरकारों ने 1969-70 के लिए अपने बजट पहले ही पेश कर दिए हैं ।

(ख) अभी तक केवल 12 राज्यों से बजट-पत्र प्राप्त हुए हैं । इन राज्यों में से 11 राज्यों ने घाटे का बजट पेश किया है, जिसका व्यौरा सभा-पटल पर रखे गए एक विवरण में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 572/69]

(ग) और (घ) राज्यों के बजटों में पूरे न किए गए भारी घाटों से देश की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे अपना खर्च उस हद तक सीमित रखें, जिस हद तक साधनों की प्राप्ति की पूरी सम्भावना उन्हें हो और केन्द्र से, यह आशा न रखें कि वह उन्हें उस सहायता से ज्यादा सहायता देगा जो आयोजना सहायता के रूप में या वित्त आयोग की वितरण योजना के अधीन मंजूर की गयी होगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय तेल समवायों द्वारा आकस्मिक रूप से गिर जाने वाले तेल की सफाई के लिए योजना

4881. श्री बृजराज सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय तेल समवायों ने आकस्मिक रूप से तटदूर गिर जाने वाले तेल की सफाई तथा उससे होने वाली हानि का मुआवजा देने के बारे में एक योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी में तेल की खोज

4882. श्री बृजराज सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ-साथ तेल के नए क्षेत्रों का पता लगा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका व्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) हाल ही में व्यापारिक महत्व का कोई तेल-युक्त क्षेत्र मालूम नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में स्नेहक तेल शोधक कारखाना

4883. श्री बृजराज सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस्सो के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में बम्बई में एक स्नेहक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) जी हाँ ।

(ख) भारत सरकार और एस्सो स्टैंडर्ड इस्टर्न इंक के बीच 15-9-1965 के एक करार के अनुसार, बम्बई में स्नेहक तेल बेस स्टाक्स के निर्माण के लिए, समवाय अधिनियम के अन्तर्गत 4 अप्रैल, 1966 को 'लूब इण्डिया लि०' नामक एक कम्पनी निगमित की गई थी । सन्यन्त्र की क्षमता ट्रांसफार्मर तेल बेस स्टाक्स को शामिल करते हुएं प्रतिवर्ष 164,000 मीटरी टन है ।

7.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को शामिल करते हुए परियोजना पर 14.53 करोड़ रुपए की लागत की सम्भावना है ।

इस परियोजना में भारत सरकार और एस्सो के बराबर शेयर हैं ।

सन्यन्त्र के 1969 के अन्त तक या 1970 के आरम्भ में चालू होने की सम्भावना है ।

केरल में वसूल किया गया राजस्व

4884. श्री ई० के० नायनर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में केरल राज्य ने केन्द्रीय सरकार को आय-कर, उत्पादन-शुल्क, आयात-शुल्क और निर्यात शुल्क-आदि के रूप में कितनी राशि दी है ; और

(ख) केरल राज्य से प्राप्त राजस्व कुल केन्द्रीय राजस्व में कितने प्रतिशत है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) तथा (ख) कैलेन्डर वर्ष 1967 तथा 1968 के दौरान केरल राज्य में आयकर, सम्पदा-शुल्क, धन कर तथा व्यय-कर और सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की वसूल हुई रकमों तथा उस अवधि में केन्द्रीय सरकार को उक्त करों और शुल्कों से प्राप्त कुल वसूलियों के प्रति केरल राज्य में हुई वसूलियों के प्रतिशत अनुपात के सम्बन्ध में सूचना इकठ्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी।

सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और आय-कर विभागों में
बनाए गए नए पद

4885. श्री श्रीगोपाल साबू : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और आय कर विभागों में पद क्रमवार प्रथम श्रेणी के कितने नये पद बनाए गए हैं ;

(ख) क्या इन सब नए पदों के बनाये जाने पर तत्काल इन पर नियुक्तियां कर दी गयी थीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से कितने पद कितने समय से रिक्त हैं और इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क), (ख) तथा (ग) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

[पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 573/69]

दक्षिण कोरिया से 'निरोध' का आयात

4886. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो व्यक्ति या फर्म दक्षिण कोरिया से आयात किये गए रबड़ के गर्भनिरोधक 'निरोध' का व्यापार करती है उसका नाम तथा पदनाम क्या है ;

(ख) क्या सरकार रबड़ के इन आयातित गर्भ-निरोधकों पर कोई राज-सहायता देती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो 1965 66 से 1968-69 की अवधि में वर्षवार कुल कितनी राज-सहायता दी गयी है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० श्री चन्द्रशेखर) :

(क) 'निरोध', दक्षिण कोरिया से, सम्भरण तथा निपटान के महानिदेशालय द्वारा, निर्धारित क्रियाविधि, के अनुसार, प्राप्त किए जा रहे हैं। इनका वितरण परिवार नियोजन विभाग कर रहा है।

(ख) जी नहीं। लेकिन निरोध, इस्तेमाल करने वालों को, इस देश में, मुफ्त या रियायती मूल्य पर दिया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### एक बैंक द्वारा कांग्रेस दल को उसके हिसाब से 10 लाख रुपये अधिक दिये जाना

4887. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनियन कमर्शियल बैंक आफ इण्डिया ने हाल के मध्यावधि चुनाव के मध्य अखिल भारतीय कांग्रेस दल को उसके हिसाब से दस लाख रुपये अधिक दिये थे;

(ख) यह कार्य बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण की नीति से, जो हाल ही में लागू की गई है, कहाँ तक मेल खाता है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ऋण परिषद् ने हिसाब से अधिक धन देने की अनुमति दे दी थी और क्या उस परिषद् ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पालन किये जाने के लिए इस संबंध में कुछ नियम निर्धारित किये हैं या अनुदेश जारी किये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में ऐसे ही कितने अन्य मामले हुए हैं, जिनमें बैंकों ने राजनीतिक दलों को उनके हिसाब से अधिक राशि दी है, और किन-किन राजनीतिक दलों को तथा कब-कब अधिक राशि दी गई और प्रत्येक मामले में कब-कब और कितने-कितने रुपये अधिक दिये गये ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (घ) इस सूचना का सम्बन्ध विभिन्न बैंकों के आसामियों के खातों से है और बैंकों में प्रचलित कार्य-प्रणालियों तथा प्रथाओं के अनुसार ऐसी सूचना नहीं दी जाती।

(ख) और (ग) बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—बैंकों के प्रबन्ध में कुछ परिवर्तन करना और देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंकों के साधनों का समुचित वितरण करना। सामाजिक नियंत्रण की योजना के अंग के रूप में जो राष्ट्रीय ऋण परिषद् स्थापित की गयी है, वह कृषि, छोटे पैमाने के उद्योगों और निर्यात जैसे विभिन्न प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के लिए मोटे तौर पर मार्गनिर्देशक सिद्धान्त निर्धारित करती है। परिषद् ने राजनीतिक दलों को ऋण देने के लिए कोई नियम नहीं बनाया है और न कोई निदेश दिया है। परिषद् द्वारा अलग-अलग मामलों में जमा से अधिक रकम निकालने की अनुमति दिये जाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

कोटला मुबारकपुर (नई दिल्ली) में रेहड़ीवाले शरणार्थियों को आवंटित खोखे

4888. श्री म० ला० सोंधी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेहड़ीवाले शरणार्थियों को कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, में खोखे दिये गये थे और बाद में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में और फिर अन्यत्र भेजा गया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उन्हें कोटला मुबारकपुर टैक्सी स्टैण्ड के पीछे वाला स्थान स्थायी रूप से आवंटित करने का विचार कर रही है ताकि वे वहाँ पर अपनी जीविका कमा सकें और स्थायी रूप से बस सकें ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अनुदेश दिये हैं कि इन शरणार्थी रेहड़ीवालों को तंग न किया जाये ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) :

(क) जी हाँ । उन्हें पहिले कोटला मुबारकपुर में एक दूसरे के सामने मुँह किये दो पंक्तियों का स्थान आवंटन किया गया था तथा बाद में उन्हें एक पंक्ति में रख दिया गया ।

(ख) जी हाँ । लाईसेंस-प्राप्त रेहड़ीवालों के पुनर्वास के लिए कोटला मुबारकपुर में वर्तमान स्थान के निकट एक स्थाई स्थान (साइट) दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा चुन लिया गया है । प्रश्नाधीन स्थान का सीमांकन कर दिया गया था किन्तु रेहड़ीवालों ने उसे स्वीकार नहीं किया । उन्होंने मेयर को यह अभ्यावेदन किया कि उन्हें वज़ीर नगर रोड तथा कोटला मुबारकपुर रोड के मिलन स्थल पर स्थान आवंटित कर दिया जाये । अभ्यावेदन को दिल्ली प्रशासन के पास उनके विचार के लिए भेज दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग सम्बन्धी भगवन्तम समिति

4889. श्री एस० एस० संयद : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवन्तम समिति ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पुनर्गठन के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) जी हाँ । सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय दो में भगवन्तम समिति की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं ।

प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और सरकार समिति द्वारा दी गई शिफारिशों पर विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गुजरात में सूरत के निकट समुद्र तल में तेल का पाया जाना

4890. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजराज सिंह : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में सूरत से 30 मील पश्चिम में उथले समुद्र तल में तट-दूर तेल के नये भण्डारों का पता लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस भण्डार में प्रतिवर्ष कितने तेल के मिलने की सम्भावना है; और

(ग) कार्य शुरू करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हान) :**

(क) खम्बात की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्र की संरचना, जो सूरत से लगभग 45 किलोमीटर (28 मील) पर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर स्थित है, भूकम्पीय सर्वेक्षणों द्वारा चार साल पहले मालूम की गई थी। कोई नई संरचना नहीं पाई गई है।

(ख) व्यधन कार्य शुरू करने से पहले इस संरचना में तेल की वार्षिक उपलब्धि को बताना सम्भव नहीं है।

(ग) अप्तियबेट क्षेत्र में कुछ अनुभव प्राप्त हो जाने के बाद इस संरचना में यथासमय व्यधन कार्य शुरू किया जायेगा।

**Closure of Radial Roads in Connaught Place, New Delhi**

4891. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a statement of the Chief Executive Councillor wherein it has been stated that the New Delhi Municipal Committee has closed certain radial roads in Connaught Place without obtaining approval of the Delhi Development Authority ; and

(b) if so, the action taken by Government against the New Delhi Municipal Committee for this illegal act ?

**The Minister of State in the Minitry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development ( Shri B . S Murthy) :**

(a) Yes, Sir.

(b) The matter is under discussion between the D. D. A. and the New Delhi Municipal Committee. No reference has so far been made to the Central Government in this connection.

**Boycot of Examination by Tibbia College Students**

4892. **Shri Raguvir Singh Shastri :** **Shri Shiv Chandra Jha :**

**Shri Shinkre :**

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students who took admission in the Tibbia College in 1967 have boycotted the examinations which have commenced from the 24th February, 1969 ;

(b) if so, the nature of grievances of the students and whether the students had also made any agitation in this regard prior to this ;

(c) whether it is also a fact that only 16 hours before the commencement of their examination, the nomenclature of their degree was changed from B. I.M.S. to A.B.M.S.; and

(d) the efforts made by Government to remove the grievances of these students ?

**The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** ( **Shri K. K. Shah**) :

(a) Yes, Sir.

(b) The students have not submitted their grievances to the Examining Body/Delhi Administration in writing. They have been agitating for an assurance that the examination in which they are reqired to appear is in respect of the B. I.M.S. degree. The students had also agitated on a previous occasion for being treated as B.I.M. S. students and for having the integrated course as against the Shuddha Ayurvedic and Unani Course for which they were admitted.

(c) No, Sir.

(d) The students were informed in clear terms that the Course for which they have been admitted is Shuddha Ayurvedic and Unani and they will not be allowed to study the integrated Course of B. I.M.S. in the Tibbia College.

**गोल मार्केट क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर**

4893. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है या निर्णय किया गया है कि नई दिल्ली में गोल मार्केट क्षेत्र में स्थित टाइप 4 के सरकारी क्वार्टरों की आयु दस वर्ष बढ़ा कर 1979 तक बढ़ा दी जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन क्वार्टरों के निवासियों को आवश्यक सुविधायें देने के लिये इन क्वार्टरों में पावर कनेक्शन दिये जायेंगे।

(ग) यदि हाँ, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :**

(क) जी नहीं । फिर भी वृहत् योजना के अनुसार डी० आई० जेड क्षेत्र के पुनर्विकास का काम हाथ में लिया जा रहा है और जब किसी क्षेत्र विशेष के पुनर्विकास की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाता है तो वहाँ बने मकानों को गिराया जाता है ।

(ख) गोल मार्केट क्षेत्र समेत डी० आई० जेड क्षेत्र में टाइप चार के क्वार्टरों में व्यैक्तिक किराये दारों से निवेदन किये जाने पर एक क्वार्टर में ए० सी० का एक पावर पलग लगाया जाता है। एक पावर पलंग के लिए सरकार की जिम्मेदारी 200 रुपये तक सीमिति है और किरायेदारों को अतिरिक्त किराया देना पड़ता है। 200 रुपये से अधिक का व्यय स्वयं किरायेदारों को वहन करना पड़ता है। निकट भविष्य में गिराये जाने वाले मकानों में पावर पलग नहीं लगाये जाते ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**Areas Earmarked For Nursery School in Ramkrishnapuram, New Delhi**

4894. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some areas in Ramkrishnapuram, New Delhi, have been set apart for Nursery School ;

(b) whether any applications have been received from some educational or social institutions for opening such schools there ;

(c) if so, whether any decision has been taken thereon ; and

(d) if not, when a decision is likely to be taken in the matter ?

**The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development ( Shri B. S. Murthy):**

(a) Yes, there are 25 such sites.

(b) Yes.

(c) and (d) Allotment has been finanalized in 4 cases. Nine cases are under consideration.

**तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में इंजीनियरी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण**

4895. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा (राजस्थान) में स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र (मिट्टी हटाने के उपकरण) के इंजीनियरी के प्रशिक्षुओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस समय प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षु को कितनी अवधि के लिये प्रशिक्षण वृत्ति दी जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रशिक्षुओं को ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार पर लगाया जायेगा ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे उन्हें रोजगार मिले ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :**

(क) प्रशिक्षार्थियों को मृद्वाही भारी मशीनरी के प्रचलन, अनुरक्षण और मरम्मत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षार्थियों की संख्या इस समय 50 है ।

(ख) एक वर्ष के लिये ।

(ग) और (घ) प्रशिक्षण के बाद उनको नौकरी दिलाने की कोई गारन्टी नहीं दी गई है । जिन प्रार्थियों का प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा, उनके नाम और विवरण विविध परियोजना अधिकारियों को परिपदित किये जा रहे है ताकि रिक्त स्थानों पर उनको नौकरी देने के लिये विचार किया जा सके ।

हौज खास, नई दिल्ली में पूर्व-निर्मित मकान बनाना

4896. श्री रणजीत सिंह : श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हौज खास, नई दिल्ली में कुछ पूर्व-निर्मित मकान बनाये जा रहे हैं ।

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ ऐसे कितने मकान बनाये जा रहे हैं और निकट भविष्य में ऐसे कितने मकान बनाये जायेंगे ;

(ग) दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को ये मकान किराया-खरीद उधार पर बेचने की क्या प्रक्रिया होगी ;

(घ) इन मकानों की कुल लागत, भुगतान करने की किश्तों की संख्या, प्रारम्भ में जमा की जाने वाली राशि और खरीदारों द्वारा पूर्व राशि का भुगतान कितने समय में किया जायेगा ; और

(ङ) ये मकान बिक्री के लिये कब तक तैयार हो जायेंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां।

(ख) सफदरजंग रिहायशी क्षेत्र में 248 पूर्वगठित फ्लैट निर्माणाधीन हैं । उस क्षेत्र में अधिक फ्लैट बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) आवंटन पात्र व्यक्तियों में से लाटरी के द्वारा किया जाता है । 50 प्रतिशत फ्लैट वेतन-भोगी व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।

(घ) फ्लैटों के पूर्ण हो जाने के बाद, बगैर लाभ हानि के आधार पर कुल लागत निर्धारित की जायेगी । कुल लागत का 30 प्रतिशत प्रारम्भिक जमा के रूप में वसूल किया जाना है तथा शेष सात वर्षों की अवधि में मासिक किस्तों में वसूली के योग्य है ।

(ङ) 208 फ्लैटों की तीन महीने के भीतर तैयार हो जाने की संभावना है तथा शेष अगले सात महीने के भीतर ।

दक्षिण दिल्ली में पूर्व-निर्मित मकान

4897. श्री रणजीत सिंह : श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में दक्षिण दिल्ली में कुल कितने पूर्व-निर्मित मकान बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) दिल्ली में मध्यम आय वाले और कम आय वाले लोगों को ये मकान बेचने का आधार क्या होगा ; और

(घ) विभिन्न प्रकार के मकानों का ब्याज सहित, यदि कोई है तो, मूल्य क्या होगा ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति ) :

(क) 248 फ्लैट ।

(ख) ये चार मंजिला फ्लैट हैं और सफ़दर जंग रिहायशी योजना, ब्लाक 'सी' में बनाए जा रहे हैं । प्रत्येक फ्लैट का कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिन्थ ऐरिया) लगभग 706 वर्ग फुट है और इसमें स्नानागार, शौचालय और रसोई के अतिरिक्त, तीन रहने के कमरे होंगे ।

(ग) लगभग 15,000 रुपये की लागत तक के फ्लैट निम्न आय वर्ग के लोगों को आवंटित किए जाते हैं और 15,000 रुपये से अधिक की लागत वाले फ्लैट, मध्य आयवर्ग के लोगों को आवंटित किए जाते हैं।

(घ) फ्लैटों के पूरा हो जाने पर, मूल्य का निर्धारण 'बिना लाभ-बिना हानि' के आधार पर किया जाता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले बनाए गए फ्लैटों का मूल्य 15,000 रुपये से 28,500 रुपये के बीच में है।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### हनोई जाने वाले रूसी विमानों की भारत के ऊपर से उड़ान

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : (Balrampur) : I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement in this connection :

> "The reported news that Russian planes carrying arms for North Veitnam are flying from Moscow to Hanoi *via* India and the reaction of the Government of India thereto".

**वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह ) :**

हथियार और सैनिक साज-सामान ले जाने वाले किसी भी रूसी जहाज को भारत के ऊपर हो कर उत्तर वियतनाम अथवा अन्य किसी भी स्थान को जाने की इजाजत नहीं दी गई है । हाँ, असैनिक विमान भारत सरकार से अनुमित ले कर भारत होते हुए हनोई अवश्य आते-जाते हैं। ये असैनिक उड़ानें आई एल-18 किस्म के विमानों की होती हैं और ये विमान हनोई जाते हुए कलकत्ता में डमडम हवाई अड्डे पर उतरते हैं । इन विमानों में यात्री और माल-असबाब, डाक और कारगो तो रहता है लेकिन सैनिक साज-सामान नहीं ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : This news was broadcast from Budapest Radio on 18th March that Russian passenger planes would fly to Hanoi via India and Pakistan on an experimental basis and thereafter Russian planes carrying arms would go to Hanoi via

the said route. I want to know whether this is correct ? Mr. Speaker, you know that now that a rift has developed between Russia aod China, Russia is looking for a different route for sending assistance to North Vietnam. The Minister of External Affairs would admit that we want Paris talks on Vietnam issue to be successful and India would not do anything which might create tension. I, therefore, want an assurance that no country wuld be allowed to send arms to either North or South Vietr am through India.

**Shri Dinesh Singh** : I agree with the hon. Member, that we want a peaceful solution of the Vietnam issue and we would not like to do anything which might create tension. The hon.Member need not worry . No planes carrying arms are going to North or South Vietnam.

**Shri Atal Behari Vajpayee** : I want an assurance for the future that Indian air space would not be allowed to be used for the said purpose.

**Shri Dinesh Singh** : Nothing can be said now as to what would happen in future.

**Shri Atal Bihari Vajapyee** : I seek your protection, Sir. He has said that Russian planes carrying arms are not going to Vietnam at present. But what would be Government's reaction in case permission is sought in future to that effect ?

**Shri Dinesh Singh** : I have clearly said that we want this issue to be settled peacefully and we do not want that arms should be carried via India.

**श्री रणजीत सिंह** : (खलीलबाद) यात्री हवाई जहाजों की उड़ाने कितनी बार होती हैं ? रूस के जहाजों में अब तक कितने यात्री भारत के जरिये हनोई गये हैं ? क्या यह सुनिश्चित किया गया कि उनमें सिविल यात्री हो जाते हैं और क्या यह आश्वासन दिया जायेगा कि ये उड़ाने प्रयोगात्मक नहीं ?

**श्री दिनेश सिंह** : हम सुनिश्चित करते हैं कि उनमें कुछ का साज-सामान नहीं जा रहा है। जहां तक इन उड़ानों के प्रयोगात्मक होने का प्रश्न है माननीय सदस्य जानते हैं कि आजकल बिना प्रयोगात्मक उड़ानो के लोगों को जहाँ चाहे पहुँचाया जा सकता है।

जहाँ तक यह प्रश्न है कि ये उड़ानें कितनी बार होती हैं स्थिति यह है कि एक उड़ान 17 तारीख को हुई और दूसरी उससे एक सप्ताह बाद होनी थी।

**श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया** (पाली) : घटना यह हुई कि चीन ने रूस के विमानों को उसके क्षेत्र से होते हुये वियतनाम जाने की अनुमति नहीं दी, दूसरी घटना यह हुई है कि चीन ने हाल ही में इस प्रदेश में रूस के इरादों का रहस्योदघाटन किया है। तीसरी बात यह है कि इल्युशिन 18 हवाई जहाज कलकत्ता से हो कर गया है जिसका प्रयोग जेट बॉम्बर जहाजों के रूप में किया जा सकता है। इन बातों को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी दिन हमें पता चले कि शस्त्रास्त्र ले जाये गये हैं। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि क्या कभी जाँच की गई है कि इन जहाजों में सैनिक या साज-सामाज नहीं ले जाया जा रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस आशय का कोई स्थायी करार है या समय-समय पर इसकी अनुमति दी जाती है ?

**श्री दिनेश सिंह** : कोई स्थायी करार नहीं है। अब तक केवल एक हवाई जहाज गया है और उसकी जाँच-पड़ताल की गई थी।

———

# सभा-पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### अनुदानों की अनुपूरक माँगें, लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखें (प्रतिरक्षा सेवाएं)

**वित मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) वर्ष 1969–70 के लिए अनुदानों की माँगों का अनुपूरक अंक (खण्ड I–iv) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवाएं, 1969 की एक प्रति

(3) वर्ष 1967–68 के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा उनका वाणिज्यिक परिशिष्ट ।

[ पुस्तकालय में रखे गये । देखिये एल० टी० संख्या 548/69 ]

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ( श्री प्र० चं० सेठी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ—

(1) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 549/69 ]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(एक) जी० एस० आर० 771 जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण) ।

(दो) जी० एस० आर० 772 जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण) ।

(तीन) जी० एस० आर० 773 जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी संस्करण) ।

(चार) जी० एस० आर० 781 जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 8 फरवरी, 1969 की जी० एस० आर० 240 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये एल० टी० संख्या 550/69 ]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 डब्ल्यू की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 1152 जो दिनांक 19 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वार्षिकी जमा योजना, 1964 में एक संशोधन किया गया ।

(दो) एस० ओ० 1153 जो दिनांक 19 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वार्षिकी जमा योजना, 1966 में एक संशोधन किया गया।

[ पुस्तकालय में रखे गये / देखिये एल० टी० संख्या 551/69 ]

(तीन) एस० ओ० 1161 जो दिनांक 21 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वार्षिकी जमा योजना, 1966 में एक संशोधन किया गया।

[ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल टी संख्या 552/69 ]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 780 की एक प्रति जो दिनांक 15 मार्च 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमे दिनांक 8 फरवरी, 1969 की जी० एस० आर० 239 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 553/69 ]

(5) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं संख्या जी० एस० आर० 602 से जी० एस० आर० 679 तक (अंग्रेजी संस्करण) तथा जी० एस० आर० 680 से जी० एस० आर० 757 तक (हिन्दी संस्करण) एक-एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ पुस्तकालय में रखे गये। देखिये एल० टी० संख्या 554/69 ]

(6) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 839 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 840 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ पुस्तकालय में रखे गये। देखिये एल० टी० संख्या 555/69 ]

(7) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र लागू रूप में बंगाल वित्त ( विक्रय कर ) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन दिल्ली विक्रय कर (नवां संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (173)/68-फिन (जी) में प्रकाशित हुये थे।

[ पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 556/69 ]

---

## पेटेंट विधेयक

PATENT BILL

**संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना**

**श्री रा० बरुआ (जोरहाट) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा पेटेंटों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक

सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पेटेंटों से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के अन्तिम दिन तक अग्रेतर बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

## सभा का कार्य

## BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथ नोवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : श्री फखरुद्दीन अली अहमद की तबियत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे सभा से यह विचार करने के लिये अनुरोध करने के लिए कहा है कि क्या सभा गृह-कार्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगें पूरी होने पर उनके मन्त्रालय की माँगों को किसी अन्य दिन लेने के लिये तैयार होगी। मुझे यह अनुरोध भी करना है कि सिचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय की माँगों को गृह-कार्य मन्त्रालय की माँगों के समाप्त हो जाने के पश्चात् लिया जाय।

श्री मनोहर लाल सोंधी (नई दिल्ली): इसके लिए वह स्वयं दोषी हैं। गालिब शताब्दी में उन्होंने अपने ऊपर इतना बोझा क्यों लिया ?

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : It will create considerable difficulty. You kindly extend the time of Demands of the Home Ministry. Possibly he might get well by tomorrow.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा अनुरोध है कि उनकी तबीयत के बारे में कुछ रोशनी डाली जाय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमारे कुछ मित्र सिंचाई मन्त्रालय की माँगों पर कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। हो सकता है वे कल ही आयें। उनके मामले में समय-सीमा हटा दी जाय।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : जो लोग आज उपस्थित हैं वे चाहें तो आज वाले और जो उपस्थित नहीं हैं उन्हें कल बोलने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष समोदय : मुझे आज सुबह 10.00, 10.30 बजे पता चला है कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद को बुखार है। मुझे आशा है कि सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय की माँगों के बारे में जो सुझाव दिया गया है सभा उससे सहमत है। संशोधनों आदि के बारे में जो सहायता मुझसे हो सकेगी वह मैं अवश्य करूंगा। हम कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक में 4 बजे चर्चा करके फैसला करेंगे।

———

## सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधक विधेयक

## ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

श्री प्र० चं० सेठी : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

**Shri Shiv Chandra Jha** (Madhubani) : I want to oppose this motion. According to Article 269 (2) of the Constitution the proceeds of Estate Duty should go to States. The needs of States should also be kept in view, as has been recommended in the Interim Report of the Fifth Finance Commission. Moreover, Centre-State relations would be further aggravated as a result of this measure. I, therefore, want that the amendment should have been made on the basis of the final report of the Finance Commission.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

**The Motion was adopted.**

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ।

---

## अनुदानों की माँगें (जारी)

## DEMADS FOR GRANTS (CONTD)

### गृह-कार्य मंत्रालय (जारी)

अध्यक्ष महोदय : इस मन्त्रालय की माँगों पर चर्चा के लिए अभी $1\frac{1}{2}$ घन्टा शेष है। जन संघ, स्वतंत्र पार्टी और साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का समय है। इनके अलावा कांग्रेस दल के एक या दो सदस्य बोलेंगे। 3.00 बजे गृह-कार्य मन्त्री से उत्तर देने के लिए कहा जायगा।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : At one time Sardar Patel was the occupant of the office which is now held by Shri Chavan. Sardar Patel had saved the country from disintegration by the merger of 500 States. But today the country stands on the verge of disintegration. Efforts are afoot to weaken the Centre and to arm the States with powers which cannot be conducive to the unity of the country. We should, therefore, seriously think over the challenges to the unity and integrity of the country, find out their causes and remedy them with a sense of wisdom.

The situation in Andhra is very explosive. It is surprising that intead of finding out a political solution to the political problem, some officials of the Home Ministry have been sent there. What is required is that confidence should be created among the people of Telangana. The leadership has failed to find out a political solution of the problem. The problem of Andra Pradesh needs a shock treatment. I am unable to understand as to why the Chief Minis-

ter of the State has not tendered his resignation. Those who want a separate Telengana State are tendering resignation but those who want to keep that region within the State are stuck up to their chairs. Mr. Speaker, Sir, if you exercise your influence and could find out a solution to this problem, the whole country would feel happy about it.

Another crisis is brewing in Jammu. The recommendations contained in Gajendragadkar Report should be implemented without delay, otherwise discontentment would increase there and if discontentment is allowed to continue, the situation would explode. Is the hon. Minister, Shri Chavan unable to take steps to remove the difficulty arisen due to imbalance in economic development, by taking the Chief Ministers into confidence ? This is not the way to do justice unto the nation. The opposition parties of Rajasthan are agitated over the question of implementation of the recommendations of Beri Commission. While appointing that Commission the Advocate-General had given an assurance that its recommendations would be given effect to. This issue can be solved if Shri Chavan invites both the Chief Minister of the State and the opposition parties of the State and tries to resolve it by mutual consultation and persuasion. But unfortunately there is none to establish this link. I am sorry to say that the leaders at the Centre are lifeless and ineffective.

Serious thought should be given to the problem of Centre-State relations. Tussle between the Centre and the States ought to be remedied within the framework of the Constitution. But has the Centre complied with the provisions of the Constitution in letter and spirit during the last two years ? Is it not a fact that the Centre adopted different yardsticks in different situations ? Today we talk of the powers of the Governors. I remember when two years ago Shri Chavan had said that excepting the Articles 239(2), 200 and 356, Governors had no discretionary powers in other matters. A question had arisen in Madhya Pradesh, which I would like the Home Minister to clarify in his reply. Can a Chief Minister, who has lost the confidence of the House, advise Governor to dissolve Legislative Assembly and is Governor bound to accept his advice. My answer is---no. When Pandit D. P. Mishra advised the Governor to dissolve the Legislative Assembly, he was supported by the Home Minister in this House although he did not have the majority behind him. But when Raja Naresh Chandra Singh said so, this rule was not applied to him......... (**Interruptions**).

In Bihar, the Legislative Assembly was dissolved on the advice of Shri Bhola Paswan Shastri, but in Haryana, the Governor dismissed Rao Birendra Singh Ministry even though he enjoyed majority in the Legislative Assembly. In one State a Ministry was dismissed on the basis of defections and in Madhya Pradesh, Ministry was establishd on that very basis. Time has come when we should clarify the discretionary powers of Governors. In west Bengal, Governor, Shri Dharam Vir, did not read the Address prepared by his Ministry, but in Punjab, the Governor Shri Pavate read the Address prepared by his Ministry.

**Shri Y. B. Chavan** : He might have used his discretion.... (**Interruptions**)....

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Governors use their discretion according to their individual thinking ? No, there is no discretion under Article 175. Shri Chavan had clearly stated, by referring to the scholarly edition of the Constitution published by Shri Seervai, the Advocate-General of Maharashtra, that except under three Articles, *i.e.* 239 (2), 200 and 356, he Governor functions as the constitutional head. He had also stated that when an advice was given by the Chief Minister to a Governor, he was bound to accept that advice.

I am raising a very important constitutional point. At least for the future, constitutional provisions should be made clear and indisputable. We cannnot have different yardsticks for different persons or situations. I am unable to understand as to why the Home Minister is unable to accept the suggestion for the setting up of an inter-State

Council. Its setting up would be in accordance with the Constitution. We have now entered the age of multi-party Government. An inter-State Council can resolve all disputes of this nature.

I would also like to refer to the question of Central Government employees. The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Vidya Charan Shukla, had announced that excepting a few dozens of employees the remaining ones are going to be taken back. Though they would be taken back, cases against them would not be withdrawn. I request that cases against them should also be withdrawn. Recently I went to Trivandrum. Kerala employees have not yet been taken back. New difficulties are being created for the employees of the office of the Auditor-General. When a decision has been taken it should be applicable to all employees. If any employee has committed a serious crime, departmental action can be taken against him, rather than leaving the matter in the hands of police. Except those cases in which charges of violence have been levelled and which bear evidence, all other cases should be withdrawn.

In the end I will refer to communal riots. Whenever communal riots occur, the name of my party is clubbed. A commission of inquiry was appointed under the Chairmanship of Justice Raghubar Dayal to go into the Ranchi riots. That Commission had said that these riots were not pre-planned by Jan Sangh. But the Government did not make that report public. Ours should be a non-communal State, a secular State. But does this mean that we should dissociate ourselves from our traditions and culture ? Some people objected to Shrimati Indira Gandhi's breaking of a coconut at a ceremony. Some people objected to a Mohammadan President's garlanding the portrait of Sadar Vallabhbhai Patel and to his standing before the portrait with folded hands. I would submit that these traditions are not the characteristics of a particular religion. They are part of Indian culture. These are the matters about which the Prime Minister and others should make their views clear.

Dr. Karan Singh had gone to Patna. I want to congratulate him for his speech. But I am pained to know that it was said there that untouchability is a part of Hindu religion. I am not prepared to agree to this. Untouchability is a sin,it is a blot on us. It is wrong to say that Shastras recognise untouchability. I will not accept the concept of untouchability even if the Almighty himself decrees.

A committee was appointed by Government to look into the condititon of Scheduled castes and Scheduled Tribes, under the Chairmanship of Shri Elaya Perumal. That had submitted its report to the President on 26th January. But the report has neither been made public nor laid on the Table of the House. Government should publish that report. The question of national integration implies that Harijans should also be given an important place in our national life. A special meeting of the National Integration Council should be held to consider the problems of Harijans and Tribals. We have to assure them that we consider them as our equals. The walls between man and man have got to be demolished. We have to start a national compaign for the purpose through the Home Minister. But the Home Minister remains mum and hesitates in taking an initiative. He should shake off his hesitation and then he will get the support of all the parties. We assure him that he will get at least our support.

**Shri Nitiraj Singh Chaudhary** (Hoshangabad) : The Border Security Force which guards our borders should be equipped with modern weapons as the enemy forces are well equipped. Our border forces cannot bear the onslaught of the enemy and hold him with the equipment they are having.

The other point I want to touch is about judiciary. There are 3,56,803 cases pending

in our High Courts. Many of them had been pending for the past 10 or 12 years. It is a ridiculous situation. It amounts to denial of justice. People would lose confidence in the Judiciary if this state of affairs was allowed to continue. Additional judges should be appointed to liquidate these arrears.

I also want to draw the attention of the Home Minister to C. B.I. It is at present working under the Delhi Special Police Act. Its sphere of work had certain limits. It could not hold inquiries without the permission of the State authorities concerned if something happened in a State. This shortcoming should be removed and they should be able to undertake inquiries without the recourse to this formality.

श्री पी० एम० सईद ( लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह ) : भारत सरकार हिंसा और बल के सामने झुकती है। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव हो रहा है। सरकार को इस समस्या को जड़ से हल करना चाहिये।

लक्कादीव द्वीपसमूह में हम नक्सलवादियों की कार्यवाहियों के बारे में सुन रहे हैं। यह कहा गया है कि केरल के समान स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह सच नहीं। सच बात तो यह है कि लक्कादीव की जनसंख्या 30,000 है और क्षेत्रफल 11 वर्ग मील है। सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या 1,200 है, परन्तु स्थानीय लोगों को सेवाओं में उचित भाग नहीं दिया गया। जब स्थानीय लोगों की उपेक्षा की गई तो कुछ आन्दोलन हुआ। चूंकि लक्कादीव की जनसंख्या मुस्लिम है अतः इस अप्रिय घटना का कुछ और अर्थ निकाला गया।

सरकार को समस्या का आधार समझना चाहिये। सरकार को लक्कादीव में एक शिष्टमंडल भेजना चाहिये जिसमें संसद् में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होने चाहियें और जो उनकी समस्याओं का अध्ययन कर उपचारों का सुझाव दें। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि शिव सेना, लाचित सेना आदि जैसे संगठन आर्थिक असंतोष से उत्पन्न हुये हैं। लक्कादीव में भी यही समस्या है।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

लोक-सभा–2.05 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

[ उपाध्यक्ष पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker In The Chair ]

श्री पी० एम० सईद : जहाँ तक लक्काद्वीप समूह के आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, पिछली तीन योजनाओं में बहुत कम राशि नियत की गई थी और यहाँ तक कि मंजूरशुदा राशियाँ भी व्यय नहीं की गई। चौथी योजना में काफी राशि दी जानी चाहिये ताकि मीनक्षेत्र उद्योग का, जो कि केवलमात्र उद्योग है, उचित विकास किया जा सके।

यहाँ पर डाक्टरों की भी बहुत कमी है। केन्द्र को डाक्टर भेजने चाहिये। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिये सरकार को स्थानीय लोग भर्ती करने चाहियें। कई समस्याओं का मूल कारण यह है कि यहाँ के लोगों के लिये रोजगार के अवसर बहुत कम हैं।

नेफा के सम्बन्ध में कई समितियाँ नियुक्त की गयी हैं। एरिंग समिति ने कहा था कि नेफा के पाँच जिले सड़कों द्वारा मिलाये जाने चाहिये और जनता के प्रतिनिधियों को स्थानीय विकास-कार्यों के साथ सहयोजित होना चाहिये। एरिंग समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि नेफा के स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जानी चाहिए। नेफा के लोगों की यह भी माँग है कि सचिवालय नेफ़ा में ही होना चाहिये। परन्तु इसमें से अभी तक कोई भी बात नहीं की गई। आसाम और नेफा के बीच जो सीमा-विवाद है उसे शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। नेफा में एक और कठिनाई है कि वहाँ अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें नहीं हैं। इसका परिणाम यह है कि नेफा के लोगों को सीमा लांघ कर तिब्बत में जाना पड़ता है। सरकार को उनको यह सुविधा देने के लिए शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह है कि संघ राज्य-क्षेत्रों में जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आते हैं उन्हें तीन वर्ष से अधिक वहाँ न रखा जाये। संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायपालिका, पुलिस तथा प्रशासन के लिए एक ही पदाली होनी चाहिये। उससे संघ राज्यक्षेत्रों की कई समस्याओं को सुलझाने में आसानी होगी।

श्री पी० गोपलन (तेलीचेरी) : सर्वप्रथम में केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के बारे में कहना चाहता हूँ। 1947 से पहले जब कि देश में स्वतंत्रता आन्दोलन चल रहा था, अंग्रेजों ने पुलिस पर एक करोड़ से अधिक व्यय नहीं किया। परन्तु अब यह व्यय 30 गुना अधिक हो गया है। यद्यपि शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य राज्यों का है फिर भी केन्द्र ने अपनी पुलिस बनाई है अर्थात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर व्यय 8 करोड़ से बढ़ा कर $15\frac{1}{2}$ करोड़ कर दिया है जिसका अर्थ है कि सरकार किसी निश्चित कार्यक्रम पर चल रही है। हाल ही में गृह-कार्य मंत्री ने राज्यों में केन्द्रीय रक्षित दल के तैनात किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा :" केरल पश्चिमी बंगाल सरकारों द्वारा इन राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के तैनात किये जाने के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों को देखते हुए, गृह-मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जहां उसे केन्द्रीय सरकार की सम्पति को हानि पहुँचने का खतरा होगा और स्थानीय पुलिस आवश्यक संरक्षण देने में असफल रही तो उसके पास उसके सिवाय और कोई चारा नहीं रहेगा कि वह बिना राज्य सरकार का परामर्श लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करे।" यह बहुत खतरनाक है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार राज्य सरकारों को है। परन्तु केन्द्रीय सरकार उनका अधिकार छीनना चाहती है जो संविधान से अनुसार राज्य सरकारों का है। ऐसा भी दिन आ सकता है जब राज्य पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के बीच मुठ-भेड़ हो सकती है और देश में युद्ध छिड़ सकता है।

इस प्रकार केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों में सुधार नहीं हो सकता। उसका अर्थ यह हुआ कि केन्द्र पुलिस-राज्य बना रहा है। कोई भी राज्य इसे सहन नहीं करेगा। जहाँ आप राजनीतिक क्षेत्र में हार चुके हैं वहाँ आप केन्द्रीय रक्षित दल भेजना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि संसदीय लोकतन्त्र को सबसे अधिक खतरा केन्द्र के सत्तारूढ़ दल से है और इस केन्द्रीय रक्षित दल से गृह-युद्ध छिड़ सकता है।

गृह-मंत्रालय देश के तथाकथित राष्ट्र-विरोधी तत्वों से निपटने के लिए और अधिक शक्तियाँ चाहता है। हमारे दल पर राष्ट्र-विरोधी होने का आरोप लगाया गया है। हम गृह-मंत्रालय से अच्छे आचरण का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करना चाहते। हमारा दल जनता में पूरा विश्वास रखता है और हम तदानुसार कार्य करेंगे।

कुछ कांग्रेस जन विभिन्न विदेशी एजेंसियों से धन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने उत्तर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि केरल के श्री जार्ज थामस ने पिछले चार वर्षों के दौरान अमरीका की बहुत सी एजेंसियों से 16 लाख रुपये प्राप्त किये हैं। श्री थामस केरल विधान सभा में कांग्रेस विधान मण्डलीय दल के उप-नेता हैं। क्या गृह-मंत्री ने इस बात का पता लगाया है कि श्री थामस को कहाँ से धन प्राप्त होता है और वह उस धन को किस तरह खर्च कर रहा है? क्या गृह-मंत्री इसकी पूरी जाँच करने के लिए तैयार हैं?

लगभग 2 वर्ष पहले गृह-मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि सी० आई० ए० की गतिविधियों के बारे में पूरी-पूरी जाँच की जायेगी। हमें यह मालूम नहीं है कि क्या कुछ जाँच-पड़ताल की गई है और इस प्रतिवेदन को सभा में पेश क्यों नहीं किया गया है। सी० आई० ए० देश के सभी भागों में, सभी संस्थाओं में, जिनमें सरकारी संस्थायें भी शामिल हैं, प्रवेश कर गई है। इस तरह के भी कुछ आरोप लगाये गये हैं कि कुछ मंत्री भी सी० आई० ए० के प्रभाव में हैं। सरकार इस बात का पता लगाने में असफल रही है कि सी० आई० ए० क्या कर रही है। हाल ही में 'सी० आई० ए०-हूज हू' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें इस देश के सौ से अधिक सी० आई० ए० एजेंटों के नाम और पते दिये गये हैं। क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जाँच-पड़ताल की है?

आरम्भ से ही इस तरह की शिकायतें की जाती रही हैं कि एशिया फाउन्डेशन सी० आई० ए० की संस्था है। लेकिन गृह-मंत्रालय ने इन शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और यह संस्था 14 वर्षों तक इस देश में कार्य करती रही। अमेरिका के समाचार-पत्र 'न्यूयार्क टाईम्स' द्वारा एशिया फाउन्डेशन का भन्डाफोड़ कर दिये जाने के बाद ही गृह-मंत्रालय ने इस देश में इस संस्था को समाप्त करने का निश्चय किया। अब तक सरकार यह पता नहीं लगा सकी कि वे देश में क्या करते हैं और कैसे कार्यवाही करते हैं। उनकी गतिविधियों की जाँच नहीं की गई। देश की एकता तथा सार्वभौमिकता की रक्षा करने के लिए इन चीजों की पूरी जाँच की जानी चाहिए। भूतपूर्व सी० आई० ए० एजेंट श्री जोहन स्मिथ ने कहा है कि सी० आई० ए० सेना में भी प्रवेश कर गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस देश में सी० आई० ए० की गतिविधियों की पूरी जाँच करने के लिए तैयार है?

कांग्रेसी नेता और मंत्रीगण राष्ट्रीय एकता के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बातें करते हैं। लेकिन इस देश में दलवाद और साम्प्रदायवाद की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही हैं। शिव सेना द्वारा 'मार्मिक' नामक एक साप्ताहिक प्रकशित किया जाता है। शिव सेना के लोग दक्षिण भारत के लोगों को बम्बई, महाराष्ट्र से निकालना चाहते हैं और वे इस पत्रिका में इस तरह का प्रचार करते हैं। जब उन्होंने अपनी वर्षगाँठ मनाई तो भारत के गृह-मंत्री, श्री चव्हाण ने इसकी अध्यक्षता की। इस तरह राष्ट्रीय एकता तथा भावात्मक एकता कैसे लाई जा सकेगी?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य को गलत बताया गया है । मैंने पहली वर्षगांठ के अवसर पर इसकी अध्यक्षता नहीं की ।

एक माननीय सदस्य : श्री वी० पी० नायक ने इसमें भाग लिया ।

श्री प० गोपालन : इसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने की तो भी यह एक बहुत गम्भीर मामला है ।

रांची, नागपुर, मेरठ, बंगलौर और देश के अन्य भागों में अनेक साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ—ये दो शक्तियाँ इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं । वे साम्प्रदायिक विचारों का खुला प्रचार कर रहे हैं और मुसलानों के विरुद्ध हिन्दुओं को खुलेआम भड़का रहे हैं । लेकिन भारत सरकार इनको लोकतन्त्रीय संगठन मानती है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूँगा कि देश में तेजी से बढ़ रही साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए तथा देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाने का उनका विचार है ?

केन्द्रीय सरकार की यह एक नियोजित चाल है कि केरल की संयुक्त मोर्चा सरकार को बदनाम किया जाये और साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को सरकार से अलग कर दिया जाये । केन्द्रीय विधि-मन्त्री, श्री गोबिन्द मेनन, जब भी केरल जाते हैं, उनकी केरल की पुलिस तथा अन्य अधिकारियों के साथ गुप्त बातचीत होती है और केरल में संयुक्त मोर्चा सरकार को बदनाम करने के लिए षड़यन्त्र रचा जाता है । इस षड़यन्त्र के परिणामस्वरूप पुलिस केरल राज्य में गोली तथा लाठी चला रही है । शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केरल के राज्य पाल, श्री विश्वनाथ ने सरकार से साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) को अलग करने के लिए कुछ नेताओं तथा मन्त्रियों से सम्पर्क स्थापित किया । लेकिन इस बात का पर्दाफाश हो गया और वह अपने प्रयास में सफल न हो सके । इस तरह सरकार को गिराने के लिए राज्यपाल का भी उपयोग किया जा रहा है । यदि गृह-मन्त्री ऐसी नीति अपनाते हैं तो केन्द्र-राज्य सम्बन्ध नहीं सुधरेंगे और इससे देश का विभाजन होगा । इसे अधिक समय तक सहन न किया जायेगा ।

**Shri M. A. Khan** (Kasganj) : Once list has been given by the parties, it is expected that the members will be asked to speak according to that list. But this is not being done. It is not proper to ingore the person at No. 5 and call the person at serial No. 11 or 12.

उपाध्यक्ष महोदय : आप के दल का समय खत्म हो गया है ।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : Though our calling attention notice about farmers has been admitted still it is not being taken up for discussion. It is unfair.

**(The Hon. Member left the House)**

**माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये**

**Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur) : Calling attention notice of Shri Randhir Singh relates to prices of foodgrains. It has been pointed twice in the Order Paper but has not been taken up for discussion. We would like to know the procedure of the House in this regard ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मुझे सही याद है तो परिवर्तन सभा की अनुमति से किया गया था ।

**श्री पाओकाई हाओकिप** (वाह्य मनीपुर) : गृह–मन्त्रालय के प्रतिवेदन में मनीपुर की पिछले वर्ष की सफलताओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन वहाँ की समस्यायें अभी तक नहीं सुलझायी गई हैं। मनीपुर और मनीपुर से बाहर के लोग राष्ट्र के मामलों में भाग लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके हैं। एक दूसरी कठिनाई संचार व्यवस्था के सम्बन्ध में है, जिसके कारण मनीपुर मुख्य भारतीय समाज से बिल्कुल अलग हो गया है। उस क्षेत्र में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। इसलिए रेलवे मन्त्री को भविष्य में वहाँ कम से कम एक रेलवे लाइन बिछाने का प्रयत्न करना चाहिए।

विद्रोही नागा आन्दोलन के आरम्भ से ही सरकार मनीपुर की भोली-भाली जनता के जीवन का संरक्षण करने की बात पर विचार कर रही है। होम गार्ड संगठन पिछले अनेक वर्षों से कार्य कर रहा है, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है। अधिकारीगण अपनी इच्छा से जहाँ चाहते हैं, वहाँ होमगार्ड संगठन कायम कर रहे हैं जबकि लोग इसे अधिक मार्मिक स्थानों पर कायम करना चाहते हैं। यदि इस कार्य के लिए जनता के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाये तो यह संगठन बहुत प्रभावशाली बन सकता है।

बाहरी मनीपुर में अनुचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें मनीपुर की घाटी का एक भाग भी शामिल किया गया है। ऐसा आबादी के आधार पर किया गया है। लेकिन इस तरीके से पिछड़े वर्गों के लोगों और अल्पसंख्यकों के हितों का पर्याप्त रूप से संरक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए मनीपुर की घाटी का जो भाग बाहरी मनीपुर में शामिल किया गया है, उसे तत्काल निकाल दिया जाये ताकि आदिम जातियों के हितों का संरक्षण किया जा सके।

1964 में भारत सरकार तथा नागाओं में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में मनीपुर के तीन सब-डिविजन उस क्षेत्र में शामिल किये गये थे, जो अब युद्धविराम के अन्तर्गत आ गये हैं। युद्धविराम से लाभ उठा कर बिद्रोही नागा इन तीन सब-डिवीजनों के लोगों को तंग करते है। इसलिए जो ये तीन सब-डिवीजन युद्धविराम समझौता में शामिल किये गये हैं, उन्हें तत्काल उससे निकाल दिया जाना चाहिए।

**डा० म० संतोषम** (तिरुचेंडर) : वर्तमान समय में बदलती हुई राजनैतिक स्थिति को देखते हुए गृह-कार्य मन्त्रालय को वास्तव में अपने कार्य में गतिशील बनना चाहिए। हम तीन गम्भीर समस्याओं में फँसे हुए हैं अर्थात् विभिन्न सरकारों की अस्थिरता, आन्तरिक असुरक्षा और राज्यों के अन्दर एकता का न होना तथा विघटन की आशंका। हमने जो राजनैतिक ढाँचा बनाया है, ये उसी के परिणाम हैं और यह आवश्यक है कि गृह-कार्य मन्त्रालय को न केवल सक्रिय होना चाहिए और उन विशेष स्थानों में समुचित व्यवस्था जुटानी चाहिए, अपितु, अधिक स्थायी सुधारक उपायों का प्रयास भी करना चाहिए।

दल बदलने की प्रवृत्ति से अस्थिरता आ गई है। इससे न केवल राज्यों को बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी खतरा है। यदि अस्थिरता फैल जाती है और कुछ राज्यों तथा दिल्ली में एक-साथ सरकारों का पतन हो जाता है तो इससे संकट पैदा हो जायेगा। इस स्थिति का कारण शायद यह है कि इस देश में राजनीति वर्षों से इसी ढाँचे में चली आ रही है जिसमें

व्यावहारिक रूप से राजनीतिक मामले एक तरह के व्यापारिक उद्यम बन गये हैं। आज लोग चुनावों में अधिक धन खर्च करते हैं और इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे इससे कुछ लाभ उठाने की आशा करें। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनाव कानून में परिवर्तन किया जाये। चुनाव कानून में इस तरह संशोधन किया जाना चाहिए कि चुनाव खर्च नियन्त्रित किया जा सके और योग्य व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके। चुनाव आयोग को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहियें।

इस देश में दूसरा खतरा आन्तरिक असुरक्षा है। मुझे आशा ही नहीं वरन् पूरा विश्वास है कि नये चुनाव आयुक्त चुनाव खर्चे में कमी कराने के लिए उपयुक्त उपाय अपनायेंगे।

आजकल प्रत्येक राज्य में अराजकता फैल गई है। जो लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और विभिन्न लोगों में घृणा का प्रचार कर रहे हैं वे अपने क्षेत्र में शीघ्र ही अपने क्षेत्र के नेता बन जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों से ये लोग राजनीति में लाभ उठाते हैं और चुनावों में निर्वाचित हो जाते हैं और उनकी अपनी सरकार बन जाती है। इसके परिणामस्वरूप नक्सलवादी उपद्रव होते हैं लेकिन इन बातों की तरफ गम्भीरता के साथ ध्यान नहीं दिया गया है। हमने इन बातों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी नहीं की है। वर्ग-घृणा के अलावा भाषा सम्बन्धी घृणा भी फैलायी जाती है। हर स्थान पर प्रत्येक ने शिव सेना की निन्दा की है। उन्होंने इसकी निन्दा केवल शब्दों में की है, कार्य द्वारा नहीं। इन्होंने ऐसी सेनाओं का अन्त करने के लिए उंगली तक नहीं हिलाई है। यदि सत्तारूढ़ सरकार कुछ वर्गों के लोगों के सम्बन्ध में ऐसे आन्दोलनों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नहीं करती है तो उसे अपने ऊपर यह आरोप स्वीकार करना पड़ेगा कि अपराध की दिशा में वही उकसावा देती है।

कहा गया है कि देश के अल्प-संख्यकों को पूरा संरक्षण प्राप्त है। यह दावा करना ठीक नहीं है क्योंकि ईसाई अल्प-संख्यकों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है। यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ईसाई बनाया जाता है तो उसे सामान्य रियायतें नहीं मिलती हैं। लेकिन यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ईसाई से फिर हिन्दू बनाया जाता है, तो उसे सभी रियायतें मिलती हैं। यह एक पक्षपातपूर्ण रवैया है। अतः इसे रोका जाना चाहिए। एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हिन्दू बनाये जाने पर जो सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, वे सभी सुविधाएं ईसाई बनाये जाने पर भी दी जानी चाहिए।

देश में कलह तथा विघटन के बारे में मैं कुछ शब्द कहूँगा। अनेक राज्यों में अस्थिर सरकारों के अलावा बहुत झगड़े चल रहे हैं। भाषा के आधार पर राज्यों को गठन कर हमने देश को एक छिन्न-भिन्न अंडे की शक्ल दे दी है। राष्ट्रप्रेम को तुलना में भाषा पर आधारित देश-भक्ति का जोर अधिक हो गया है। हरेक राज्य और अधिक बंटवारा चाह रहा है। हरियाणा, पंजाब और आसाम का उदाहरण हमारे सामने है। देश विघटित होता जा रहा है।

गृह-कार्य मंत्रालय को इसका कोई हल निकालना चाहिए ताकि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। मेरी निजी राय है कि विचारों में समानता तथा अभिव्यक्ति में एकता लाने के लिए, एक समान बातचीत के माध्यम अर्थात् भाषा बनाना जरूरी है। इसलिए यह जरूरी है कि हम आज यह संकल्प करें कि प्रशासन तथा समूचे देश की केवल एक ही भाषा होगी। यदि हम एक साथ दो-भाषाओं को रहने देंगे तो उससे अनेक झगड़े तथा कठिनाइयाँ पैदा होंगी।

भारत सरकार को चाहिए कि वह तामिल नाडु सरकार को यह अनुमति दे कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाये। आखिरकार अंग्रेजी को हिन्दी के साथ-साथ रहना है और चूँकि छात्र सेना दल हमारे प्रतिरक्षा कार्यक्रमों का एक अंग है इसलिए भाषा विवाद के परिणामस्वरूप एक ओर राष्ट्रीय छात्र सेना दल और दूसरी ओर तामिल नाडु छात्र सेना दल बन जाना राष्ट्र के लिये अच्छा लक्षण नहीं है।

श्री राम नारायण रेड्डी: तेलंगाना में पैदा हुई गम्भीर स्थिति की ओर केन्द्रीय सरकार ने उचित ध्यान नहीं दिया है। गृह-कार्य मंत्री ने इसके प्रति नौकरशाही रुख अपनाया है और कुछ आई० सी० एस० अफसरों को शामिल कर एक दल नियुक्त किया है जैसे कि वे इस समस्या को वहाँ जाते ही सुलझा लेंगे। तेलंगाना की समस्या वास्तव में इस कारण से पैदा हो गई है कि आन्ध्र प्रदेश को बनाते समय जो वचन दिये गये थे वे नहीं निभाये गये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि तेलंगाना एक पृथक राज्य हो। अक्तूबर, 1955 में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद आंध्र के लोगों ने तेलंगाना के विकल्प में कुछ परित्राण देने का प्रस्ताव रखा था और उन्हीं परित्राणों के आधार पर इन दोनों प्रदेशों का विलय हो गया। तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोबिन्द बल्लभ पन्त ने आन्ध्र के नेताओं के द्वारा से इस विलय के लिए रखे गये परित्राणों का समर्थन किया और यह आश्वासन दिया था कि इन परित्राणों को न केवल क्रियान्वित किया जायेगा वरन् उन्हें कानूनी रूप भी दिया जायेगा।

इन परित्राणों को कानूनी रूप देने के लिए गृह मंत्रालय ने तीन कदम उठाये जो ये हैं: अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत 1 फरवरी, 1958 को राष्ट्रपति का एक आदेश जारी कर उस क्षेत्र के लिए एक प्रादेशिक समिति कुछ विशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए नियुक्त की गई। आदेश में यह भी कहा गया कि राज्यपाल का कार्य यह देखना होगा कि परित्राणों को क्रियान्वित किया जाये। लेकिन राज्यपाल ने यह देखने की कभी कोशिश नहीं की कि परित्राण लागू किये गये या नहीं। इस बारे में उसने केन्द्रीय सरकार को कभी सूचना नहीं दी।

राष्ट्रपति आदेश के खण्ड 164 (जी) में यह उपबन्ध किया गया है कि क्षेत्रीय समिति की बैठकें गुप्त रूप से विधान सभा-भवन के अन्दर आयोजित की जायेंगी। इस उपबन्ध ने आदेश के समूचे प्रभाव को निष्फल कर दिया है। ठीक इस अवांछनीय खण्ड के कारण क्षेत्रीय समिति की समग्र कार्यवाही गुप्त रखी गई है और इस कारण कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता है और जनता या किसी अन्य अधिकारी की जानकारी में कुछ भी नहीं आ सकता है।

आदेश के खण्ड 8 (क) में यह व्यवस्था की गई है कि यदि मंत्रि–परिषद् और क्षेत्रीय समिति के बीच क्षेत्रीय समिति के निर्णय कार्यान्वित करने में मतभेद हो, तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार निर्णय करेगा, जो मंत्रि–परिषद् पर बाध्यकारी होगा । लेकिन वहाँ जो भी राज्यपाल भेजा गया, उसने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है । आन्ध्र के नेता 8 परित्राणों को क्रियान्वित न करने में अपने जो चाहे विचार रखते हों, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि तेलंगाना के लोगों को दिये गये परित्राणों को कारगर ढँग से क्रियान्वित किया जायेगा ।

एक और सांविधिक परित्राण दिया गया । राज्य पुनर्गठन आयोग तथा भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की सिफारिशों पर लोक-नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) अधिनियम, 1957 पास किया गया । जहाँ तक इसका तेलंगाना से सम्बन्ध है, एक अस्थायी उपबन्ध के रूप में यह अधिनियम अनुच्छेद 16(3, के अपवाद के रूप में पास किया गया है । परन्तु पिछले 12 वर्षों में इसे कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया और इसीलिए इसे कभी चुनौती नहीं मिली । लेकिन जब इसे क्रियान्वित किये जाने की बात चली तो आन्ध्र के जिन कर्मचारियों ने यह सोचा कि इससे उनके हितों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ली और यह बताते हुए कि संसद् को किसी विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद् किसी समूचे राज्य के सम्बन्ध में कानून बना सकती है । हालांकि संसद् ने इसकी अवधि पाँच साल के लिए बढ़ाने का अधिनियम पास कर दिया, पर वह कुछ नहीं कर सकती ।

दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3 हटा दी है । यदि यह न्यायालय समस्त अधिनियम को ही रद्द कर देता तो हम खुश होते क्योंकि फिर पुराने मुल्की नियम जो तेलंगाना क्षेत्र में, उस क्षेत्र को आन्ध्र प्रदेश से मिलाने के बाद लागू थे वे लगू रहते जक तक कि उन्हें संसद् द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता था उनमें संशोधन नहीं कर दिया जाता । अब हमारे सामने एक गम्भीर समस्या है । इस अधिनियम के कारण, मुल्की नियमों में हमें जो लाभ मिलता था वह समाप्त हो गया है क्योंकि मुल्की नियमों को धारा 2 के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया है, किन्तु धारा 2 को नहीं हटाया गया ।

अब हमें देखना चाहिये कि हम संविधान के अधीन क्या कर सकते हैं । हमें एक स्वायत्तशासी राज्य बनाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये । हमें विशेष संरक्षण देने के लिये तेलंगाना को उन उपबन्धों के अधीन लाने के लिये अनुच्छेद 339, 341 और 342 के अन्तर्गत आरक्षित था अनुसूचित क्षेत्रों के क्षेत्र-विस्तार में समुचित संशोधन करना चाहिये ।

सलाहकार समितियों से कोई लाभ नहीं हो रहा है । श्री प्रसाद ने, जो वहाँ कुछ समय तक गृह–सचिव रहे, जिन मामलों को निपटाया था उन सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये । कर्मचारियों को उनसे गम्भीर शिकायतें हैं । गृहमंत्री को स्वयं वहाँ जाना चाहिये और इस बारे में निर्णय लेना चाहिये ।

तेलंगाना के लोगों ने कहा है कि यदि 9 अप्रैल तक यह समस्या हल नहीं की गई तो वे प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही करेंगे । यह हमारे देश में अभूतपूर्व आन्दोलन होगा । यह आन्दोलन

जनता का आन्दोलन है और नेताओं को जनता की आवाज को सरकार तक पहुँचाना होगा अन्यथा वे जिलों में नहीं टिक सकेंगे। वहाँ कुछ अधिकारियों को भेज कर समस्या हल नहीं होगी, यह नौकरशाही दृष्टिकोण है। सभी विरोधी दलों ने तेलंगाना में अपने प्रतिनिधि भेजे है। वे स्थिति को जानते हैं और वे अधिक रुचि ले रहे हैं। लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि वे वास्तव में विलय करना चाहते हैं तो उन्हें व्यक्तियों या प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचना चाहिये और उसे अपेक्षित राजमर्मज्ञता के साथ इस समस्या को हल करना चाहिये। सभी दलों के नेताओं की एक समिति बनाई जानी चाहिये जो वहाँ जाये और देखे कि वहाँ क्या हो रहा है? लोगों को राज्य सरकार पर विश्वास नहीं है। अत हमें राज्य सरकार या केन्द्रीय गुप्तचर अधिकरण की सूचनाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिये।

जब आप तेलंगाना पर विचार कर रहे हैं तब आपको यह नहीं सोचना चाहिये कि विदर्भ या सौराष्ट्र में क्या हुआ। आपको तेलंगाना की समस्या तक ही सीमित रहना चाहिये। अन्यथा तेलंगाना की समस्या हल नहीं होगी। केवल राजनीतिक नेताओं को ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी, जो राज्य का कल्याण चाहते हैं, बुलाया जाना चाहिये और उनसे परामर्श करना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

यह कहना गलत है कि कुछ निहित स्वार्थ रखने वाले थोड़े से लोगों ने ही यह आन्दोलन शुरू किया है। गृह-मन्त्री को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और समय रहते ही आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

**Shri Sheo Narain** (Basti ) : After the last General Elections, the problems of Home Ministry have increased considerably. The question of Centre-State relations has become very important. Government should take immediate steps to solve these problems.

From the attitude of certain States towards the Centre, it apears that they wish to make the Centre very weak. It is a very dangerous attitude. Government should deal with them firmly.

Government have assumed certain powers under various legislations with a view to deal with the anti-national and communal elements. But Government have not made proper use of these powers, as a result of which such problems crop up very often. Government should take immediate steps to curb anti-national elements.

It is regrettable that we could not adopt a notional language for the country so far. Therefore, foreigners hate us.

Serious allegations have been levelled against the P. A. C. Police of Uttar Pradesh, deployed in West Bengal. There is no turth in these allegations. It would be better if Government withdrew P. A. C. Police from West Bengal.

**Shri S. M. Joshi** : (Poona) : I wish to draw the attention of the Hon'ble Home Minister towards a very important fact. I feel that he wants cordial relations between employers and employees, and between mill owners and workers. I feel that time has come when we should think of restoring the recognition of the de-recognised unions.

Many employees of Delhi Police have been suspended for participating in the strike. Steps should be taken to reinstate all of them now.

श्री यशवन्तराव चव्हाण: गत् वर्ष एक घटनापूर्ण वर्ष रहा है और इस वर्ष के दौरान ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जिनका भविष्य की घटनाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। गत् वर्ष बहुत से शक्तिशाली तत्व हमारे देश में सक्रिय थे। उनमें से कुछ तत्व देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं किन्तु कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो देश के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरणार्थ गत् मध्यावधि चुनावों में यह स्पष्ट हो गया है कि इस देश के लोगों में काफी आत्म-विश्वास है। उन्होंने अपनी राय दे दी है और यह दिखा दिया है कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियायें कायम हो गई हैं।

किन्तु साथ ही चुनावों के दौरान कुछ त्रुटियाँ भी नजर आई हैं। कुछ विघटनकारी शक्तियों की गतिविधियों से यह स्पष्ट हो गया है कि हमें आगामी वर्षों में किन-किन खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा।

गत वर्ष हमें हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की समस्या का सामना करना पड़ा। इन राज्यों में उचित विधानमंडल कार्य नहीं कर रहे थे। वहाँ संसद् सदस्यों की सलाहकार समितियाँ बनाई गईं। राष्ट्रपति शासन के बारे में लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन एक कामचलाऊ प्रशासन होता है। यह धारणा गलत है। यह सच है कि ऐसा प्रशासन कर आदि सम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतियाँ नहीं बना सकता, किन्तु हम इसे कामचलाऊ प्रशासन नहीं समझते। हम कुछ सामाजिक उपाय अपनाना चाहते हैं।

हमने बिहार के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण विधान बनाया। इससे उस क्षेत्र में आदिम जाति लोगों के हितों की रक्षा होगी।

गत् वर्ष नागालैंड में और मिजो जिलों में हमने राजद्रोह की समस्या का सामना किया। इन क्षेत्रों में हमें बल प्रयोग से कोई फायदा नहीं होगा। बल-प्रयोग के साथ-साथ हमें इस समस्या को हल करने के लिये राजनीतिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। इन तरीकों के परिणाम शीघ्र नहीं निकलते। नागालैंड के बारे में थोड़े दिन पूर्व कुछ परिणाम निकले हैं। मिजो क्षेत्र में भी इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं।

एक और समस्या है जिस पर देश में इस समय काफी चर्चा है और वह है साम्प्रदायिकता की समस्या। इस समस्या में गत 20 वर्षों में एक प्रवृत्ति बलवती रही है। 1947 के बाद साम्प्रदायिकता का प्रभाव कम होता गया लेकिन 1960 के बाद इसका प्रभाव बढ़ता गया और 1968 में उसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। मैं इसके लिये किसी दल विशेष को जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहता। ऐसा करना गलत होगा।

साम्प्रदायिक घटनाओं के कुछ स्थानीय कारण हैं जिनकी जाँच करनी होगी। प्रशासन भी निरोधात्मक कार्यवाही न कर सका। वर्तमान साम्प्रदायिक समस्या का मुख्य कारण यह है कि राजनीतिक विचारधारा साम्प्रदायिक बन गई है। पहले हमारा विश्वास था कि यह

समस्या ब्रिटेन के हस्ताक्षेप के कारण है लेकिन अब मुझे इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं है क्योंकि अंग्रेज चले गये हैं लेकिन यह समस्या बढ़ रही है। इसके लिए किसी तीसरे दल या किसी विदेशी तत्व पर आरोप लगाना उचित नहीं है। इस मामले में हम सबको अपना दिल टटोलना चाहिये कि क्या हमारी विचारधारा सही है या गलत है ?

यह कहना बहुत ही अनुचित है कि दयाल आयोग धार्मिक भेदभाव से प्रभावित है। दयाल आयोग में तीन उत्कृष्ट व्यक्ति हैं और तीन व्यक्तियों का तीन भिन्न धर्मों से सम्बन्ध है। यह प्रश्न ही नहीं उठता कि यह आयोग धार्मिक भेदभाव से प्रभावित है। आयोग घटनाओं की निष्पक्ष तथा वस्तुपरक जाँच कर रहा है। यह सही है कि आयोग ने कहा है कि जहाँ तक घटनाओं का सम्बन्ध है, कोई पूर्व योजना नहीं थी। इस आयोग की सिफारिशों का अध्ययन तथा जाँच करनी होगी। हमने इस मामले की जाँच आरम्भ कर दी है। दयाल आयोग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने अभी तक राँची, जम्मू और काश्मीर की घटनाओं पर विचार किया है। अब वह महाराष्ट्र की कुछ समस्याओं पर विचार-विमर्श कर रहा है। विशेष रूप से चार राज्यों अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र और महाराष्ट्र को स्थिति पर गम्भीर रूप से विचार करना होगा।

1967 के चुनावों के बाद से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की समस्या के बारे में वाद-विवाद चल रहा है। सभी संघों में ऐसा वाद विवाद निरन्तर चलता रहता है। ऐसा अन्य पश्चिमी संघों में हुआ है। इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है कि इस देश में भी इस तरह का वाद-विवाद चले। लेकिन वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अध्ययन का मापदण्ड क्या हो ?

कुछ लोगों का विचार है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की समस्या 1967 के चुनावों के बाद कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी राज्यों के आ जाने के बाद पैदा हुई है। यह बात सही नहीं है। 1967 के चुनावों से पहले भी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की समस्या थी। लेकिन अब इस समस्या पर अधिक बल दिया जाता है और अधिक जोर से तर्क दिया जाता है

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में कोई स्पष्ट बातचीत होनी चाहिए। सभी दृष्टिकोणों की सावधानी से जाँच की जानी चाहिए और उचित निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। लेकिन हमें इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि हम इसे केन्द्र बनाम राज्यों की समस्या न मान लें क्योंकि तब इसका रूप ही बदल जाता है। एक सिद्धान्त यह है कि सभी राज्य एक तरह से राष्ट्र-जातियाँ हैं। यदि हम इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें याद रखना होगा कि इसका उद्देश्य अन्ततः केन्द्र को कमजोर बनाना है। हमारा इरादा यह है कि इस देश में एक तरह का सहकारी संघवाद बनाया जाये जिसमें हर राज्य को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये। मेरा विचार है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की यह समस्या देश की कम-विकसित अर्थव्यवस्था की समस्या बनती जा रही है।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : केरल सरकार ने केन्द्र को भूमिसुधार सम्बन्धी विधेयक सहमति के लिए भेजा है लेकिन केन्द्र ने इससे इन्कार कर दिया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमने इसकी सहमति दे दी है। फिर भी कुछ तकनीकी मामले ऐसे हैं जिन की आगे जाँच करना आवश्यक है। हम विधेयक के सिद्धान्तों का विरोध नहीं करते। इसके कुछ पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इनमें सिद्धान्तों का प्रश्न है। सिद्धान्त की बात यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में केन्द्र को थोड़ा अधिक शक्तिशाली होना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सीमा सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, साम्यवाद–विरोधी बल बनाये गये हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : साम्यवाद-विरोधी दल कोई नहीं है। सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित बल और औद्योगिक सुरक्षा बल भिन्न-भिन्न सेनायें हैं जिनका कार्य भिन्न-भिन्न है। उनका होना आवश्यक है।

जहाँ तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का सम्बन्ध है, यह एक केन्द्रीय बल है। लेकिन इसे किसी राज्य सरकार पर लादा नहीं जायेगा। राज्यो को इसे न रखने की छूट है। इसे देश के किसी भाग में तैनात करने पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इस बल को केन्द्रीय सम्पत्ति या केन्द्रीय परियोजना आदि की रक्षा करने का अधिकार है। जब इन परियोजनाओं के प्रबन्धक रक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं तो उनकी इससे इंकार नहीं किया जा सकता।

श्री उमानाथ : इसे राज्य उद्योगो में भी तैनात किया जा सकता है। आप राज्य उद्योगों और केन्द्रीय उद्योगों में भेदभाव क्यों करते हैं ? वे भी राष्ट्रीय उद्योग हैं। यदि राज्य सम्पत्ति की स्थानीय पुलिस द्वारा रक्षा की जा सकती है तो केन्द्रीय सम्पत्ति की रक्षा भी उन द्वारा की जा सकती है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं राज्य तथा केन्द्रीय उद्योगों में भेदभाव नहीं कर कहा। यदि राज्य को अपने उद्योगों की रक्षा के लिए केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की जरूरत है तो हम देने के लिए तैयार हैं।

श्री उमानाथ : राज्य सरकार के अनुरोध पर ऐसा किया जायेगा। इसी तरह राज्य पुलिस भी केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सम्पत्ति की रक्षा करेगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विवाद की भावना से यह नहीं कह रहा। यह इसे समझने का प्रयास करने का प्रश्न है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): क्या मंत्री महोदय का अर्थ है कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की रक्षा के लिये सी० आर० पी० (केन्द्रीय रक्षित दल) बुलाया जा सकता है, चाहे राज्य सरकार इसे न बुलाये। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि किसी केन्द्रीय परियोजना के प्रबन्धकर्ता चाहें तो सी० आर० पी० की सहायता ले सकते हैं। हाल ही की घटनाओं के तथ्यों की मुझे पूरी जानकारी नहीं, अतः मैं उनके बारे में कोई निर्णय नहीं देना चाहता।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): क्या यह सच नहीं कि केन्द्रीय परियोजनाओं में सभी राज्यों से व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं, और जब कभी भी स्थानीय लोगों और बाहर के लोगों में झगड़ा

होगा तो बाहर के व्यक्तियों की रक्षा स्थानीय पुलिस की अपेक्षा सी० आर० पी० बेहतर ढंग से कर सकती है। दूसरे जब हमने इस विधान पर सभा में विचार किया और पास किया था तो उसके सभी पहलुओं पर विचार किया था ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ । परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं कि राज्य उपक्रमों में केवल स्थानीय व्यक्ति ही होते हैं । निजी उद्योगों में भी देश के विभिन्न भागों से व्यक्ति आते हैं ।

श्री पीलु मोडी : उनके उत्तर से यह स्पष्ट नहीं कि क्या केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं की, चाहे वे किसी ही राज्य में हों, रक्षा केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन दिया जाये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पिछले दो वर्षों में कई ऐसी बातें हुई हैं जिनसे राजनीतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं; यह समस्या दल-बदल की है। इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिया है । उस समिति में हम दल-बदल की समस्या के बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके । यह समस्या किसी कानूनी कार्यवाही से हल नहीं हो सकती । इसके लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न राजनीतिक दल कुछ सिद्धान्त निर्धारित करें जिनके आधार पर नई परम्पराएँ बनाई जायें । इससे एक समस्या और उत्पन्न हो गई है और वह है राज्यपालों का योगदान।

श्री रंगा : क्या आप इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री पीलु मोडी : क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी ओर से कोई दल-बदल नहीं होगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह दल-बदल मेरी ओर के अथवा किसी और दल से नहीं। यह राष्ट्रीय दल-बदल है। श्री बाजपेयी ने राज्यपालों के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस बात पर बहुत वाद विवाद हुआ है कि क्या राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं । कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई जहाँ राज्यपालों को अपने स्वविवेक का प्रयोग करना पड़ा । राज्यपालों के मार्गदर्शन के लिये क्या परम्पराएँ होनी चाहिए, इस बात की ओर जाँच करने की आवश्यकता है । इस विषय में सभी दलों को एक साथ बैठ कर उन स्थितियों को निर्धारित करना चाहिए जहाँ राज्पालों को अपना स्वविवेक प्रयोग करना हो और उनके लिए मार्गदर्शन तय करना चाहिए।

श्री पीलु मोडी : हम आपको मार्गदर्शन देगें ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इससे श्री पीलु मोडी को ही लाभ होगा। तेलंगाना की समस्या का भी उल्लेख किया गया है। उस मामले में हमारा रवैया यह है कि तेलंगाना के लोगों की भावनाओं और शिकायतों के सम्बन्ध में हम राज्य सरकार की सहायता करने को तैयार हैं और उन शिकायतों के निवारण के लिए सभी सम्भव सहायता देने को तैयार हैं। यह कहा गया है कि सेवाओं में असमानता है और वह कि सेवाओं को मिलाने के सम्बन्ध में

कई निर्णयों का उचित रूप से पालन नहीं किया गया। इसी कारण हम अधिकारियों का एक दल वहां भेज रहे हैं।

इस मामले में भावुक होने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें इन सब समस्याओं पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना है और इसी दृष्टिकोण से इन पर कार्यवाई करनी है। इस मामले में संसद् और सरकार की यही इच्छा है कि सम्बद्ध दल एक दूसरे के विचारों को समझें और अन्याय आदि की भावना को दूर करें। सरकार इसमें हर तरह से सहायता करेगी।

श्री तिरुमल राव : क्या सरकार को अलग तेलंगाना की मांग के बारे में स्थिति की पूरी जानकारी है? इस मामले में सरकार कितनी रुचि ले रही है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम रुचि ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि राज्य की एकता बनी रहे और राज्य के विभिन्न प्रदेशों में अच्छे सम्बन्ध बने रहें।

कुछ सदस्यों ने, विशेषकर श्री कुशक बाकुला ने लद्दाख में बौद्धों की कुछ समस्याओं का उल्लेख किया। इस मामले में मैं जम्मू और काश्मीर की सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हूं। उन्होंने बौद्धों के झन्डे के बारे में विवाद का उल्लेख किया। मुझे बताया गया है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस मामले की जांच की है और कुछ मुकदमे भी चलाये गये हैं। मुझे विश्वास है कि जम्मू और काश्मीर की सरकार सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की इच्छुक है।

श्री रंगा : इसे हिमाचल प्रदेश के साथ क्यों न मिला दिया जाय?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में मैं गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करना चाहूंगा।

**Shri Molahu Prasad** (Bansgaon): The Elaya Perumal Committee report has been submitted. If that is published and implemented will that not be in the national interest ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस पहलू पर मुझे विचार करना होगा।

श्री रंगा : हम सब लद्दाख के बारे मे चिन्तित हैं। हम चाहते हैं कि उसे उचित संरक्षण दिया जाय।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम निश्चय ही लद्दाख की समस्या की जांच करेंगे क्योंकि यह क्षेत्र देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह कहना चाहता था कि जम्मू तथा कश्मीर की सरकार भी हमारी तरह लद्दाख की समस्याओं के बारे में बराबर चिन्तित है।

गजेन्द्रगडकर आयोग जम्मू और कश्मीर की सरकार ने नियुक्त किया था और उसका प्रतिवेदन विचाराधीन है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार सिफारिशों के मार्गदर्शक सिद्धान्तों की निष्पक्ष ढंग से जांच करेगी। जब तक वह कोई विचार न बना ले तब तक

सन्देह नहीं किया जाना चाहिये । मैं समझता हूँ कि कश्मीर में स्थिति सुधर रही है और ऐसे सन्देहों से सम्भवतः कश्मीर की समस्या ज्यादा पेचीदा हो जायगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया (पाली) : बेरी आयोग के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं जानता हूँ कि माननीय सदस्य इस बारे में बहुत चिन्तित हैं। राज्य सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है। अभी प्रतिवेदन स्वीकार करने या न करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। इस स्थिति में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। यदि कहीं गैर-कांग्रेसी सरकार हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया : सिफारशों को कार्यान्ति करने के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्थिति स्पष्ट है। सिफारिशें राज्य सरकार से की गई हैं। वह उन पर विचार कर रही है। इसलिए मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। सिफारिशों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था के बारे में फैसला भी राज्य सरकार को ही करना है।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंड्या) : उन्होंने बेरी आयोग, रघुबर दयाल आयोग और गजेन्द्रगडकर आयोग का उल्लेख किया है। उन्हें महाजन आयोग के बारे में भी कुछ कहना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत सरकार ने इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री एस० एम० कृष्ण : आप कह सकते हैं कि इसे स्वीकार कर दिया गया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि इसे स्वीकार कर दिया गया है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मधोलकर आयोग ने उड़ीसा मंत्रियों और अन्य लोगों के विरुद्ध आरोपों की जांच की थी। उसका प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये आयोगों के बारे में उत्तर नहीं दे सकता और उनके प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता।

गत वर्ष हमारे सामने जबरजस्त समस्मायें थीं, जिनका हमने विश्वास के साथ सामना किया और भविष्य में भी यदि हमें सभा का समर्थन मिलता रहा तो हम उनका प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करते रहेंगे।

---

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

**All Cut-motions were put and negatived.**

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मागें मतदान के लिये रखी गईं

The following Demands in respect of Ministry of Home Affairs were Put

| माँग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 43 | गृह-मत्रालय | 1,45,96,000 |
| 44 | मन्त्रिमण्डल | 55,57,000 |
| 45 | न्याय प्रशासन | 2,04,000 |
| 46 | पुलिस | 48,30,12,000 |
| 47 | जनगणना | 1,31,53,000 |
| 48 | अंक संकलन | 3,10,15,000 |
| 49 | भारतीय राजाओं को निजी थैलियाँ और भत्ते | 1,36,000 |
| 50 | प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें | 15,77,000 |
| 51 | दिल्ली | 36,08,25,000 |
| 52 | चण्डीगढ | 4,90,67,000 |
| 53 | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 6,53,55,000 |
| 54 | आदिम जाति क्षेत्र | 21,20,38,000 |
| 55 | दादरा और नगर हवेली क्षेत्र | 3,54,000 |
| 56 | लक्षद्वीप, मिनकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह | 82,000 |
| 57 | गृह-मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 3,65,000 |
| 119 | संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूँजी परिव्यय | 20,71,83,000 |
| 120 | गृह-मन्त्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय | 40,00,000 |

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 172 ; विपक्ष म 60

Ayes 172 ; Noes 60

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

## मंत्री द्वारा वक्तव्य
## आयात व्यापार नियंत्रण नीति
## STATEMENT RE: IMPORT TRADE CONTROL POLICY

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्रीमन्, मैं वर्ष 1969-70 के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति के बारे में विवरण (लाल पुस्तक) की प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या 557/69 ]

श्री पीलू मोदी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसे अस्वीकृत किया जाये।

———

### सिंचाई और बिजली मन्त्रालय

वर्ष 1969–70 के लिये सिंचाई और बिजली मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित माँगे प्रस्तुत की गई

| माँग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| 65. | सिंचाई और बिजली मंत्रालय | 32,58,000 |
| 66. | बहुप्रयोजनी नदी योजनायें | 1,81,21,000 |
| 67. | सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | 7,86,52,000 |
| 123. | बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूँजी परिव्यय | 17,08,80,000 |
| 124. | सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूँजी परिव्यय | 20,11,53,000 |

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

### सिंचाई और बिजली मन्त्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

| माँग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65. | 6. | श्री पी० विश्वम्भरन | प्रभावी बाढ़-नियन्त्रण उपाय करने में असफलता | राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। |

| माँग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65. | 7. | श्री पी० विश्वम्भरन | केरल में समुद्र से कटाव रोकने सम्बन्धी कार्य के लिए अनु-दान के रूप में पर्याप्त राशि दिये जाने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 65. | 8. | श्री पी० विश्वम्भरन | केरल में कल्लडा सिंचाई परियोजना को नियन्त्रण केन्द्र द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की परि-योजना के रूप में नियन्त्रणा-धीन लेने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 65. | 9. | श्री पी० विश्वम्भरन | केरल में एक तापीय बिजली-घर स्थापित करने की आवश्यकता । | 100 रुपये |
| 65. | 17. | श्री वि० नरसिम्हा राव | दक्षिण-पूर्वी सीमा पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने में असफलता | राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाय । |
| 65. | 18. | श्री वि० नरसिम्हा राव | आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोज-नाओं के लिये पर्याप्त धन तथा ऋण की व्यवस्था करने में असफलता । | राशि को कम करके एक रुपया कर दिया जाये । |
| 65. | 23. | श्री वि० नरसिम्हा राव | आन्ध्र प्रदेश में समुद्र के कटाव सं-बन्धी कार्य के लिये अनुदान के रूप में धन की व्यवस्था करने की आवश्य-कता । | 100 रुपये |

| माँग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65. | 24. | श्री वि० नरसिम्हा राव | आन्ध्र प्रदेश में वामसाधारा सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय परियोजना बनाने की आवश्यकता। | 100 रुपये |
| 65. | 28. | श्री श्रीनिवास मिश्र | सिंचाई के लिये सस्ते पम्पिग सेटों की सप्लाई व्यवस्था करने में असफलता। | |
| 65. | 29. | श्री भोगेन्द्र झा<br>श्री रामावतार शास्त्री :<br>श्री कमला मिश्र 'मधुकर'<br>श्री चन्द्र शेखर सिंह | पश्चिम कोसी नहर का काम शुरू करने में असफलता। | |
| 65. | 30. | श्री भोगेन्द्र झा<br>श्री रामावतार शास्त्री<br>श्री कमला मिश्र 'मधुकर'<br>श्री चन्द्र शेखर सिंह | गंडक परियोजना को पूरा करने के लिये आवश्यक धन निर्धारित करने में असफलता। | |
| 66 | 31. | श्री वि० नरसिम्हा राव | आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वंसधारा और नागावल्ली नदियों में बाढ़-नियंत्रण उपाय लागू करने की आवश्यकता। | |
| 66. | 32. | श्री श्रीनिवास मिश्र | भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने में असफलता। | |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67. | 33. | श्री वि० नरसिम्हा राव | आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भूमिगत जल का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता। | |
| 67. | 34. | श्री वि० नरसिम्हा राव | आन्ध्र प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये अनुदान के रूप में धन देने की आवश्यकता। | |
| 67. | 35. | श्री श्रीनिवास मिश्र | उड़ीसा के डेल्टा के क्षेत्रों के लिये बाढ़-नियंत्रण योजना बनाने में असफलता। | |
| 123. | 36. | श्री वि० नरसिम्हा राव | आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी बराज परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में आरम्भ करने की आवश्यकता। | |
| 123. | 37. | श्री श्रीनिवास मिश्र | महानदी डेल्टा परियोजना के सम्बन्ध में व्यवस्था करने में असफलता। | |
| 65. | 38. | श्री रामसिंह आयरवाल | मध्य प्रदेश के सागर और दमोह जिलों में बहने वाली बीना, बबेस, सुनार, कोपरा और व्यरमा नदियों के जल का अधिका- | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | धिक प्रयोग करने में असफलता । | |
| 65. | 39. | श्री राम सिंह आयरवाल | मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों तथा नगरों में बिजली सप्लाई करने वाली मार्टिन बर्न एण्ड कम्पनी का लाइसेंस रद्द करना । | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । |
| 65. | 52. | श्री राम सिंह आयरवाल | मध्य प्रदेश के गांवों और नगरों में बिजली लगाने के कार्य को प्राथमिकता न देना । | 100 रुपये |
| 65. | 53. | श्री राम सिंह आयरवाल | नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का प्रचुर उपयोग करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 65. | 54. | श्री राम सिंह आयरवाल | मध्य प्रदेश के अमर-कंटक बिजली घर में उत्पन्न बिजली का पूर्ण उपयोग करने में असफलता । | 100 रुपये |
| 65. | 111. | श्री डी० एन० देव: राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | उड़ीसा में रामपुर और तालचेर के कोयला क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोत्रों के बारे में सर्वे-क्षण न करना । | राशि घटा-कर एक रुपया कर दी जाये । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 65. | 112. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | तालचेर तापीय बिजली घर से ब्रह्माणी घाटी में ग्रामीण विद्युती-करण और कृषि प्रायोजनों के लिये बिजली की व्यवस्था करने के लिये उड़ीसा सरकार की सहायता न करना। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये |
| 65. | 113. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेंन्द्र बहादुर | देश में उपलब्ध जल-निधि का पूरा-पूरा उपयोग न करना। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |
| 5. | 114. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | उड़ीसा को, जो एक पिछड़ा राज्य है और जहाँ दैवी विपत्तियाँ काफी समय से आती रहती हैं, पर्याप्त बाढ़ नियन्त्रण साधन जुटाने में असफलता। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |
| 65. | 115. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | जल संभरण की व्यवस्था के लिये सरकार द्वारा एक वृहत्त योजना न बनाना। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये |
| 65. | 116. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उड़ीसा में, जिन सिंचाई सुविधाओं का आश्वान दिया गया था, उनके सम्बन्ध में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने में सरकार की असफलता। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 65. | 117. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग करने में सरकार की असफलता। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |
| 65. | 118. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | उड़ीसा में 10 नयी मध्यम सिचाई योजनायें आरम्भ करने में असफलता। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |
| 65. | 119. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | सूखा, बाढ़ों और अन्य प्रकार की दैवी विपदाओं के स्थाई हल के लिये एक वृहत योजना तैयार न करना। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |
| 65. | 120. | श्री डी० एन० देव : राजा कामाख्या प्रसाद सिंह देव महेन्द्र बहादुर | जो क्षेत्र सदा सूखा से पीड़ित रहते है, वहां भू-स्खलन को कम करने और नमी को बनाये रखने के लिये पर्याप्त वन लगाने सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार न करना। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |
| 65. | 121. | श्री बीरेश्वर कलिता | ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी निगम की स्थापना करने की आवश्यकता। | राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। |

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री नंजा गौडर ( नीलगिरि ) : सिचाई तथा बिजली का हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में 48 करोड़ एकड़ उपजाऊ और खेती-योग्य भूमि है। यदि हम सभी सन्सांधनों का पूरा उपयोग करें तो हमारे देश से भूख और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है।

यह सत्य है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमारे देश में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। किन्तु यह प्रगति प्रशंसनीय नहीं है क्योंकि 5,500 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद भी हम 600 करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्न प्रति वर्ष आयात कर रहे हैं।

अनेक अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अभी तक हल नहीं हुए हैं जिससे राष्ट्र की और खास तौर पर सम्बद्ध राज्यों की प्रगति में बाधा पड़ रही है। देश की अखंडता एवं सम्मान को ध्यान में रखते हुए और पूरे देश के विकास की दृष्टि से सम्बद्ध राज्यों को आदान-प्रदान की नीति अपनानी चाहिये और विवादों को सोहार्दपूर्ण ढंग से हल करना चाहिये।

बाढ़-नियन्त्रण के लिये पर्याप्त उपाय नहीं अपनाये गये हैं। बाढ़ों से हमारे देश में जान-माल का नुकसान होता रहता है। इस विनाश को रोकने के लिये पर्याप्त एहतियात बरतने चाहिये।

30 सितम्बर, 1968 तक केवल 11.31 प्रतिशत गाँवों को बिजली दी गई थी। बिजली तैयार करने पर 3,641 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं। इस व्यय को ध्यान में रख कर इसकी सराहना नहीं की जा सकती।

सिंचाई के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि 11 करोड़ 20 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई करने का अनुमान था जबकि लगभग 4 करोड़ 20 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है। यह केवल 3.7 प्रतिशत है। अधिक दुःख की बात यह है कि तमिल नाडु में केवल 2.9 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई-सुविधायें उपलब्ध की गई हैं जबकि 5.8 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने की क्षमता हो सकती है।

कोयम्बटूर में अवनाशी नहर योजना का काफी समय से कोई फैसला नहीं हुआ है। इस योजना को राज्य सरकार ने चौथी योजना के मसौदे में शामिल किया है। इस योजना को तत्काल शुरू करने के लिये हर सम्भव बात की जानी चाहिए।

नीलगिरि जिले को भूमि-संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया है क्योंकि यह एक छोटा पहाड़ी जिला है और इसमें अनेक नदी घाटी परियोजनायें हैं। इस कार्यक्रम से स्थानीय किसानों के अनुसार लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक हुआ है। इस योजना पर खर्च की गयी विपुल धनराशि दीर्घावधि ऋण के नाम पर गरीब लोगों तथा छोटे जमीदारों से बसूल की गई है। मन्त्री महोदय को राज्य सरकार के परामर्श से पूरे मामले पर पुनः विचार करना चाहिये, ऋणों को समाप्त कर देना चाहिये और गरीब लोगों को दिवालिया होने से बचाना चाहिये।

**Shri Manubhai Patel** (Dabhoi): We are tyring to bring about a revolution in our agriculture and to achieve self-sufficiency in foodgrains by 1971. The programme therefor seems to be incomplete. Irrigation and Power are very important for the purpose. But the allocation being made in the Budget for irrigation and power was very little. As such it would be very difficult to achieve revolution in foodgrains.

As far as inter-state water disputes are concerned we can solve them if we call all the States and discuss the matter with them. Similarly, no progress has been made in regard to the setting up of an irrigation commission. The Government should take a decision in the matter soon.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

The report of the Bhagwantam Committee on Central Water and Power Commission had not been implemented so far. The Ministry should take action on the report.

There has been great power shortage in Gujarat in the past. From 1964 to 1967 the shortage was not acute, but after 1967 it is again very acute. If steps are not taken to augment power generation, there may be shortage of power in Gujarat even after the Fourth Plan.

There are three major projects in Gujarat, *i.e.* Narbada, Ukai and Karana Mahisagar. Only Ukai has been taken in hand. Unless priority was given to hydro power generation, Gujarat would not be able to achieve its Fourth Plan target.

The rural electrification in Gujarat has been the lowest *i.e.* 12.80 percent villages have been electrified. More attention should be paid to it. There is a proposal to set up an atomic power station in Saurashtra, but nothing has been done in this regard.

The Government should consider the recommendations of the Khosla Commission in regard to allocation of water to Gujarat from Narbada river. Khosla Commission had also recommended that Gujarat bears the brunt of floods. There was not a single person from Gujarat on the Khosla Commission. The Government has not even implemented the recommendations of the Khosla Commission.

मध्यस्थ निर्णय में विलम्ब के कारण गुजरात की जनता और वहां के सभी राजनीतिक दल बहुत असंतुष्ट हैं। आप कृपया इसे यथासम्भव शीघ्र निपटाने का प्रयत्न करें। कच्छ पंचाट के समय प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि कच्छ के विकास के लिये नर्मदा का जल वहां पहुँचाया जायेगा। परन्तु इस आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में यदि शीघ्र ही कोई कार्यवाही नहीं की गई तो जो गड़बड़ी होगी, उसे रोकना सम्भव न होगा।

श्री धो० ना० देव (अंगुल) : सिचाई और विद्युत दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। बिना सिंचाई के कृषि का विकास नहीं हो सकता। उड़ीसा सूखे अथवा बाढ़ दोनों में से किसी से सदैव पीड़ित रहा है। साम्बलपुर जिले में भी, जहाँ हीराकुद बांध है, सूखे का प्रभाव रहा है। यदि सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएँ दी जाएँ तो मुझे विश्वास है कि हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे। बिना पानी के अनाज में उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता।

अतः हमारी योजनाओं में सिंचाई कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिये। हमारा दल सदैव इस बात पर बल देता रहा है। अपने राज्य के सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि यदि हमें जल की पर्याप्त सप्लाई की जाये तो हम न केवल अनाज में आत्म-निर्भर हो जायेंगे बल्कि अन्य राज्यों को भी अनाज देंगे।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि गाँवों में बिजली लगाने के लिए सभी सम्भव सहायता दें। उड़ीसा को धन की आवश्यकता है। इसलिए नदियों के किनारे पर बिजली की लाइनों का विस्तार करने के लिए केन्द्र को उस राज्य की सहायता करनी चाहिए। यदि किसान शक्ति-चालित पम्पों द्वारा पानी को ऊपर चढ़ा कर सिंचाई कर सकें तो उन्हें बड़ी खुशी होगी।

गाँवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में एक संसदीय समिति नियुक्त की गयी थी। इस समिति ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किया था। इस प्रतिवेदन में कुछ राज्यों और अन्य राज्यों के बीच जो असन्तुलन है उसे दूर करने पर बल दिया गया है। यह केरल में सबसे अधिक है अर्थात् 71.20 प्रतिशत और आसाम में 0.71 तथा उड़ीसा में 1.71 प्रतिशत है। समिति ने सुझाव दिया है कि इस प्रयोजनार्थ एक विशेष निधि नियत की जाये जिससे जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको समृद्ध बनाया जाये। इस सम्बन्ध में कोई आश्वसन दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार सिंचाई सुविधाओं के बारे में जो विशेषताएँ हैं उनको दूर किया जाये।

श्री नी० र० लास्कर (करीमगंज) : अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में इस मंत्रालय को महत्वपूर्ण योगदान देना है। इस प्रयोजनार्थ इसे देश में अधिकतम सिंचाई सुविधाएँ देनी चाहिए और कृषि तथा उद्योगों के लिए सस्ती बिजली देनी चाहिए। इसको बाढ़-नियन्त्रण के लिए भी प्रयास करने चाहिए। हमें देश में प्रयोग लाये जाने योग्य पानी को जमा करने के लिए भी प्रयास करने चाहिये। इसलिए इस मंत्रालय को अधिक धन दिया जाये।

देश के अपार जल-संसधानों का उपयोग करने के लिये पूरे प्रयास नहीं किए जा रहे। डा० राव में इतनी क्षमता है कि वह इस कार्य को पूरा कर सकें परन्तु उनके मंत्रालय को वह महत्व नहीं दिया जा रहा जो कि उसे मिलना चाहिये। उसे मंत्रिमन्डल का दर्जा दिया जाना चाहिये, क्योंकि इसका हमारे देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। अपने देश में सिंचाई तथा विद्युत् के विकास के लिए हमें उन सभी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की सहायता लेनी चाहिए जो उसे देने के इच्छुक हों। गुजरात, महाराष्ट्र और आसाम जैसे राज्यों में सिंचाई क्षमता का केवल कुछ ही प्रतिशत उत्पादन हुआ है। चौथी योजना में इन राज्यों में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए और उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिये।

आसाम राज्य में कपिल्ली परियोजना को बहुप्रयोजनीय परियोजना के रूप में आरम्भ किया जाना चाहिये था। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने का सम्बन्ध है, आसाम राज्य में अभी तक केवल 100 गाँवों में बिजली लगी है। आसाम, राजस्थान आदि जैसे राज्यों में बहुत कम प्रगति हुई है, जबकि पंजाब, केरल, मद्रास आदि राज्यों में 70 से 80 प्रतिशत तक गाँवों में बिजली लग चुकी है।

उद्योगों की बढ़ती हुई बिजली की माँग को पूरा करने के लिए चौथी योजना में राष्ट्रीय ग्रिड को, जो पहले ही आरम्भ किया जा चुका है, पूरा करने के लिये विशेष प्रयत्न

किये जाने चाहिये। इससे पूंजीगत व्यय और वार्षिक आवर्ती व्यय के तौर पर करोड़ों रुपयों की बचत होगी।

आसाम में जो बार-बार बाढ़ आती है उसे रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसके लिए एक बहु-प्रयोजनीय परियोजना की आवश्यकता है। यदि हमारे पास धन का अभाव है तो हमें विश्व बैंक से ऋण ले लेना चाहिये। आसाम में जो बार-बार बाढ़ आती है उसे अवश्य रोका जाना चाहिये। इन बाढ़ों से आसाम को चार से पाँच करोड़ रुपये प्रति वर्ष हानि होती है।

**Shri Maharaj Singh Bharati** (Meerut): India has plenty of water resourses, but we have not tapped them. Nature has been very bountiful towards us. Although the water resources of U.S.A. are equal to our resources, yet they irrigate three times the land we irrigate. America is utilising 62 crore acre feet water while we are only able to utilise 8 crore acre feet of water. Australia has also completed several projects of irrigation, power and flood control although the resources available with it are much less. We are facing such acute shortage of jute. But if we could mobilise our water resources and provide irrigation facilities we will not be facing such shortage. We can change the face of our country if we prepare some long-term scheme.

The underground water resources in our country are perhaps the largest in the world. Even in such land as consists of lime stone, sand or rocks there is ample amount of underground water. There are several pumping sets being used in Tamilnad where land is full of stones. When I visited the famine-stricken places in Rajasthan such as Barunda village in Jodhpur area; I found that there is a large amount of underground water. Even those wells which have to be sunk deep discharge several gallons water per hour in Bharatpur and Jaisalmer areas. When the residents of a village ask for power for construction of tube-wells, they are refused and power is not supplied to them.

It is ture that nearly 70 percent of our land has underground water but we have failed to utilize it. Out of 8 crore acres of irrigated land 4.50 crore acres of land get water from minor irrigation. If power is made available to the villagers, they will themselves set up tube-wells to tap those sources. Except irrigation facilities, no other methods of increasing agricultural poroduction can be successful. According to you food-grains costing Rs-1,700 crores were imported during the period from 1956 to 1966 while a total amount of Rs.1,470 crores has been spent on irrigation during the period. Development rate in India is very low. Agriculture should be the hard-crore of our development programmes and these programmes should lay more emphasis on irrigation facilities.

The Department of Atomic Energy should be under the Ministry of Irrigation and Power because it is after all concerned with generation of electricity. We should have an ambitious programme of power generation through atomic energy since it costs less per unit. There should be a Corporation in charge of power production from all sources—coal, water as well as atomic energy. When we are going to have a national grid, a common agency for power production is also necessary.

**Shri Deo Rao Patil** (Yeotmal) : The only way to remove poverty from the country is to increase our food production. For that purpose, adequate irrigation facilities and supply of electricity are necessary. It is a matter of regret that river water disputes have remained unresolved for so many years .If problems are allowed to hang on for so long, they become more acute and difficult to solve.

The Krishna-Godavari dispute is affecting millions of people, because it has connection with the economic and social upliftment of that area. It must, therefore, be solved without further delay. It could be better if this dispute is referred to a tribunal.

Similarly, we should try our best to find out a solution to the problem of the distribution of Narmada waters between Maharashtra and Gujarat through negotiation between the two States ; but if no agreement is reached, the matter should go to a tribunal.

There are several major and minor irrigation projects that are held up because clearance has not been given so far. Since Maharashtra is short of irrigation facilities, these projects should be cleared without delay. The ceiling of Rs.15 lakhs for minor irrigation works should be raised to Rs. 25 lakhs.

We have fallen short of our targets in irrigation by 11 per cent and in power by 25 per cent. More funds must, therefore, be allocated for the purpose.

In the matter of rural electrification also, we are lagging far behind. Our target is to electrify 1 lakh villages by 1969, but it appears that it will not exceed 60,000 villages.

A committee should be appointed to make recommendations in regard to utilization of our underground water resources.

**श्री बि० कु० मोडक** (हुगली) : पिछले 20 वर्षों में देश के जल-संसाधन के उपयोग के लम्बे दावे किये गये हैं लेकिन कांग्रेस सरकार सिंचाई की समस्या हल नहीं कर सकी। योजना के पिछले 17 वर्षों में सिंचाई पर 1,666 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। फिर भी सिंचाई क्षमता केवल 180 लाख एकड़ है। दूसरे शब्दों में, औसतन हर साल 10 लाख एकड़ क्षमता पैदा की गई है। हमें याद रखना चाहिए कि जनसंख्या में हर वर्ष एक करोड़ से 1.20 करोड़ की दर से वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें सिंचाई में हर वर्ष 20 लाख एकड़ भूमि की वृद्धि करनी चाहिए। बात को देखते हुये कि अनेक परियोजनाएँ पूरी नहीं हुई हैं, सिंचाई की विकास-दर का लक्ष्य 30 लाख एकड़ प्रतिवर्ष रखा जाना चाहिये।

इस मन्त्रालय के लिये चौथी योजना की अवधि के लिये केवल 850 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। इस रकम से दूर भविष्य में उज्ज्वल चित्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि यही कठोर रवैया रहा तो '1972 से पहले खाद्य में आत्मनिर्भरता' केवल एक कोरी आशा ही रहेगी और हमारा देश पी० एल० 480 से बँधा रहेगा। हो सकता है कि यह अमरीकी साम्राज्यवाद का एक नव-उपनिवेशी अड्डा बन जाये।

हमें समझना चाहिये कि इस आर्थिक संकट से निकलने का केवल एक रास्ता काफी सिंचाई क्षमता तैयार करना तथा उसके साथ-साथ वास्तविक भूमि-सुधार करना है। पुरानी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर विशेष ज़ोर दिया जाना चाहिये।

जो अल्प धनराशि निर्धारित की जाती है वह मंत्रालय द्वारा नियोजित ढंग से खर्च नहीं की जाती। मुख्य रूप से ठेकेदारों तथा विदेशी विशेषज्ञों पर आश्रित रहने के कारण निर्माण लागत बढ़ जाती है। दूसरे, मंत्रालय के तथाकथित विशेषज्ञ विदेशी विशेषज्ञों की सलाह से बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते जाते हैं जो यह चाहते हैं कि भारत को पश्चिमी देशों पर आश्रित रखा जाये। सरकार सभी जल-संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से बड़ी तथा

छोटी सिंचाई योजनाओं के समन्वय की अपनी योजना नहीं बना सकी । मंझली सिंचाई योजनाएँ आसानी से बनाई जा सकती हैं और निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम है ।

हमने 15 वर्षों में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की परियोजनाओं पर 1,480 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । इस अवधि के दौरान खाद्य के आयात पर 1,680 करोड़ रुपये खर्च हुये । यदि इस रकम को सिंचाई-क्षमता बढ़ाने पर खर्च किया जाता है तो हमें उधार लिये हुये खाद्य पर निर्भर न रहना पड़ता । इससे राष्ट्रीय हानि ही नहीं हुई बल्कि राजनीतिक दासता हुई है । इसलिए जब नयी योजनायें शुरू की जायें, प्राथमिकता के आधार पर पुरानी योजनाओं को पूरा करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

बाढ़ों से राष्ट्रीय सम्पत्ति का भारी नुक़सान हो रहा है । पिछले 15 वर्षों में हमने बाढ़ नियन्त्रण पर 185 करोड़ रुपये खर्च किये हैं । लेकिन हमे बाढ़ों के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में 1,000 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ । पश्चिम बंगाल में इस अवधि में 166 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ । क्या इस रक़म को बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था ? उत्तर-बंगाल में बाढ़ से जलपाईगुरी शहर बह गया और इससे भारी जन-हानि हुई । दक्षिण-बंगाल में 1956, 1960, 1966–67 और 1968 में बाढ़ से भारी नुक़सान हुआ । इसमें मुख्य रूप से हुगली, हावड़ा तथा मिदनापुर जिले आते हैं ।

दामोदर नदी के कारण आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिये दामोदर घाटी निगम बनाई गई थी । दामोदर घाटी निगम के आयोजकों ने बाढ़–नियन्त्रण के लिये 8 बाँधों की योजना बनाई थी । इसमें से चार पूरे हो गये हैं और बाकी को खत्म कर दिया गया है । इसलिये हुगली, हावड़ा और मिदनापुर क्षेत्र में बाढ़ें आती रहती हैं । 1959 के मान सिंह आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

दामोदर घाटी निगम में विदेशी विशेषज्ञों ने ऊपरी क्षेत्र में बाँध बनाने तथा निम्न क्षेत्र में निकासी की तंगी को दूर करने का सुझाव दिया था । लेकिन दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों ने केवल बाँध बनाने की ओर ध्यान दिया है और निकासी की समस्या की उपेक्षा की है । यदि सरकार दामोदर, दराकेशर, रूपनारायण और शिलावती नदी द्वारा प्रवाहित क्षेत्र की कुछ सिफारिशों को अमल में लाती तो इस क्षेत्र में 1967 और 1968 में बाढ़ों से इतना नुक़सान न होता । इस समस्या को हल करने के लिये 8 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई थी लेकिन इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है । इसके बजाय एक और जांच समिति की स्थापना की जा रही है । दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष ने कहा है कि इस समस्या को हल करने के लिये तत्काल 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । आशा है मन्त्री महोदय और समय खराब नहीं करेंगे और शीघ्र ही इस योजना को अमल में लायेंगे ।

पश्चिम बंगाल सरकार काफी समय से तिस्ता-महानन्दा बाढ़ नियन्त्रण योजना का आग्रह कर रही है । 1968 में उत्तर-बंगाल में बाढ़ों से भारी नुक़सान हुआ । आश्चर्य की बात है कि इस योजना के लिये पर्याप्त धनराशि की माँग करने के लिए पश्चिम-बंगाल के सिंचाई मन्त्री को दिल्ली आना पड़ेगा । बाढ़-नियन्त्रण उपाय बहुत ही शीघ्र किया जाना चाहिए और इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

कान्सोवती परियोजना के लिए अब तक जो धनराशि दी गई है वह इसे चौथी योजना के अन्त तक पूरा करने के लिये प्रर्याप्त नहीं है। यदि सरकार ने विलम्ब की नीति न छोड़ी तो राष्ट्रीय विकास के अनुकूल एक उचित सिंचाई नीति नहीं बनाई जा सकेगी।

*श्री दुरायरासु (पेरम्बलूर) : सिंचाई तथा बिजली एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी केन्द्रीय सरकार तथा आयोजकों द्वारा काफी समय से उपेक्षा की गई है। जब मन्त्री महोदय यह दावा करते हैं कि पहली योजना शुरू होने के बाद सिंचित क्षेत्र लगभग दुगुना हो गया है तो यह प्रभावपूर्ण लगता है। लेकिन भौतिक रूप से जो लक्ष्य प्राप्त हुये हैं उनकी समस्या तथा देश की समस्या से कुछ सम्बन्ध होना चाहिये।

पहली योजना के आरम्भ से कुल 534 बड़ी तथा मँझली सिंचाई परियोजनाओं में से केवल 318 परियोजनाएँ पूरी की गई हैं। अब तक कुल 1,800 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। अन्य क्षेत्रों के लिये निर्धारित की गई रकम से तुलना करने पर सरकार इस आरोप से नहीं बच सकती कि उसने कृषि-क्षेत्र की उपेक्षा की है जिसमें लगभग 80 प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं।

सिंचाई के लिए कुल केन्द्रीय आवंटन में से तमिलनाडु को थोड़ी-सी रकम मिली है। इसका कारण यह है कि इस राज्य में बड़ी तथा मंझले दर्जे की नदियों के रूप में अधिक क्षमता नहीं है। लेकिन इस आधार पर सरकार को भूमिगत जल-संसाधन जुटाने और मौजूदा तालाबों को सुधारने के लिए राज्य को बड़े पैमाने पर सहायता देनी चाहिए। तामिलनाडु में भूमिगत जल क्षमता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के बाद केन्द्रीय सरकार को छिद्रण मशीनें तथा आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता दे कर राज्य की सहायता करनी चाहिए। जहाँ तक तालाबों और हौजों से गाद निकालने तथा उनका सुधार करने का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा एक अध्ययन किया गया है और इस प्रयोजन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये के परिव्यय की कल्पना की गई है। चूँकि तामिलनाडु के लिए केवल यही दो रास्ते हैं, इसलिए राज्य के लिए चौथी योजना की धनराशि में काफी वृद्धि की जानी चाहिए।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी आवश्यकता से काफी अधिक है लेकिन कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी है। यदि इन क्षेत्रों में नदियों को मिला दिया जाये तो इससे केवल सूखे की समस्या ही नहीं बल्कि बाढ़ों की समस्या भी हल हो जायेगी। गंगा को दक्षिण में कावेरी से मिलाया जाना चाहिए। इस कार्य को दो या तीन योजनाओं में पूरा किया जा सकता है। इससे देश में एकता लाने में सहायता मिलेगी। मैं मैसूर के साथ कावेरी नदी का जल बाँटने के विवाद की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आशा है कि केन्द्र तथा मैसूर राज्य हमारे राज्य में पानी की उपलब्धि की निरन्तर कमी की ओर ध्यान देंगे और हमारे लिए समस्या पैदा नहीं करेंगे।

---

*मूल तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

कावेरी डेल्टा में नल-कूप का विकास एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें केन्द्र ने भी हमारी सहायता की है। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। आशा है सरकार इसी तरह पालर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ संभावना है, कार्य आरम्भ करेगी।

जहाँ तक बिजली उत्पादन का सम्बन्ध है, उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के बावजूद भी मेरा राज्य दक्षिण के अन्य राज्यों की फालतू बिजली पर निर्भर है। कलपक्कम आणविक संयंत्र के पूरा हो जाने के बाद भी हमारी समूची माँग पूरी नहीं होगी। इसलिए दक्षिणी ग्रिड का पूरा किया जाना बहुत जरूरी है। किसानों को सस्ती दर पर बिजली दी जानी चाहिए।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि देहाती क्षेत्र में बिजली की माँग उत्पादन की अपेक्षा अधिक है। यदि सरकार हमें कुओं में बिजली लगाने के लिए सीधा ऋण नहीं दे सकती तो इसे वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से हमारी सहायता करनी चाहिए। आशा है मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

**The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad)** : I am grateful to the hon. members who have given valuable suggestions in regard to the demands of the Ministry of Irrigation and Power.

An hon. Member of Tamil Nadu said that there are complaints of low voltage in Tamil Nadu. Even in the rural areas of other parts of the country, there are complaints of low voltage. It is on account of the increased demand for electricity in the rural areas during the last 5 to 7 years. Steps have to be taken to strengthen the transmission lines.

The Ministry has taken decision to evolve an all-India grid. Necessary steps have been taken to complete the regional grids first. After the completion of regional grids the work of evoloving the all-India grid will be started. The Central Government will bear the expenditure on national grid. I am sure the problem of low voltage will be solved to a great extent after the completion of national grid in the country.

Our Constitution has given wide powers to the State Governments in the matter of irrigation and power. In addition to it, the final decision in regard to the plan is taken by the Conference of Chief Ministers which is called National Development Council. The State Governments have allocated about 45 to 55 per cent of their total expenditure to irrigation and power projects in the draft Fourth Plan. This is not a small amount.

The Bhagwantam Committee report has been received in the Ministry and it is being studied. As far as possible efforts will be made to act in accordance with the recommendations made in the report.

It has been said that adequate funds should be provided for achieving the target of 26 million KW of Power. Efforts will be made to achieve the target within the farmework of the availability of resources.

It has been said that irrigation facilities have not been made available in major portion of Orissa. Whenever projects are received from the State, the Central Government helps the Orissa Government within the plan ceiling for the State. Two or three major irrigation pro-

jects have been taken up there. As far as minor irrigation projects are concerned, they are under the Ministry of Food and Agriculture and I am sure that Department is taking necessary action in this regard.

In case the Orissa Government feels that the State is very backward in the matter of rural electrification, they should allocate 10 per cent additional funds for the purpose. This decision will be taken by the State itself. Necessary financial assistance can be provided to the State for the purpose.

It has also been pointed out that there is regional disparity in the development of irrigation and power facilities in the eountry. Various steps have been taken to remove this disparity during the last 20 years but we have not succeeded in removing it so far. We want to remove it as far as possible.

It is true that the State of Assam is severely affected by floods every year. The Government of India have proposed Bhramaputra Commission for Assam. In case the proposal of Brahmaputra Commission is accepted and work is carried on according to this, we will be able to solve the problem to a great extent.

It has also been pointed out that Assam is backward in the matter of rural electrification. The Committee of Members of Parliament had drawn the attention of Government to this problem. The steps proposed in this regard will be given due consideration.

As regard the utilisation of underground water resources, the Geological Survey of India renders help in the matter. Exploratory tube-well organisation can give necessary help in finding out underground water resources. All of us are prepared to help these organisations in their work.

Shri Dev Rao Patil of Maharashtra has pointed out that it may not be possible to achieve the targets of rural electrification set for the Gandhi Centenary year. We can fulfil the targets provided the Central Government, all State Governments and local bodies try their best to mobilize resources for this purpose. Unless all of us co-operate and put in our best, it will not be possible to achieve the target.

It is not correct to say that the Government have not paid attention to the situation arising out of recent floods in Jalpaiguri, Midnapore and Damodar. The experts have drawn up a plan after making on-the-spot study.

Considerable progress has been made in the sphere of irrigation and power during the last three plans. But a lot has to be done. We have to find a solution to the problem of floods and at the same time provide more and more facilities of irrigation. We have also to increase generation of power. We have to treat the problem of irrigation and power as a national problem. Unless the Central Government, the State Governments, Zila Parishads or other local bodies realise that we have to make maximum use of our water and power resources, this problem will not be solved.

The Government have decided to set up an Irrigation Commission in order to look into the problems of irrigation. The Government will duly consider the recommendations of the Commission and take appropriate steps to implement them.

श्री लोबो प्रभु (उदोपी) : मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि केवल 37 प्रतिशत पानी का अभी तक उपयोग किया गया है । इसे बढ़ाने के लिये क्या किया जा रहा है ? अनेक तालाबों में रेग जम गयी है । इससे केवल वह क्षेत्र ही खराब नहीं हो जाता जहाँ रेग जम जाती है बल्कि इससे सिंचाई में भी नुकसान होता है । रेग हटाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए । क्या इस मामले की जाँच की जायेगी ? इन क्षेत्रों का सुधार करने के लिए राज्य को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

**Shri Siddheshwar Prasad** : I have already said that minor irrigation schemes are under the Ministry of Irrigation and Power. Irrigation and Power is mainly a State subject. States have been given full rights in this regard under the Constitution. Under the Panchayati Raj Scheme, Zila Parishads have been entrusted with the work of protecting irrigation resources *viz*., tanks , ponds *etc*.

**Shri Ganga Reddy** (Adilabad) : The soil of our country is very fertile and there is sufficient water also but it is not being utilised fully. The Planning Commission should pay more attention to irrigation. The Finance Minister should see that no interest is charged from the Irrigation Department on the amounts advanced to them. It is also necessary that the irrigation schemes which are under construction are completed soon because the cost of construction is increasing repidly. The Nagarjeenasagar and Tungabhadra Projects should be completed as early as possible.

**सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।**

---

# कार्य–मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### तेतीसवाँ प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया)** : महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का ततीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

---

# *हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड

## *HINDUSTAN ZINC LIMITED

**Shri Onkar Lal Bohra** ( Chittorgarh ) : The Hindustan Zinc Ltd., is the only national industry in which zinc, glass, silver and several other by-products such as sulphuric acid, super phosphate and cadmium are produced. It was taken over in the public sector to treat it as essential service under DIR during the emergency in 1965. If it had not been taken over and remained in the private sector, it would have started production to its full capacity in another year.The Government had not agreed to the demand of the owners of the the Corporation for Rs.4 crores. After taking over the Corporation, the Government have invested about Rs.11 crores and the present position is that it is running at a loss of Rs.10 lakhs Per month.

Production of Hindustan Zinc Limited fell. The reasons therefor were that Zawar mines were not developed and the first year of the working of the Company in the public sector was devoted mainly to making new appointments, purchasing new bungalows and cars etc. There was no increase in production during the first year. The construction and operation of zinc smelter and connected work was not completed expeditiously. The zinc smelter went into commercial production with effect from Ist January, 1968. There was no furnace even

---

* आधे घन्टे की चर्चा

** **Half-an-hour discussion**

at that time. By running the smelter to its full capacity whatever stock of zinc conecntrates was there with the private sector was utilised in 5 months and there was not enough quanity of zinc concentrates to feed the smelter.

Five thousand tonnes zinc concentrates were sold to a private company at low price. Why was that done when there was a possibility of shortage of raw material. The matter should be inquired into.

The zinc smelter is now functioning up to 50-55 per cent of its capacity only because of shortage of zinc concentrates. There is shortage of zinc concentrates because Zawar mines have not been developed. The Government is not importing adequate quantity of zinc concentrates.

Why is the Governmentis thinking of having another smelter at Vishakhapatnam when our foreign exchange position is tight ? The need of the hour is that we should increase the capacity of the present smelter. For this we should pay more attention to the development of Zawar mines so that more raw material is availble. More than a lakh tonnes of zinc can be extracted from there.

Deposits of raw phosphate have been found near Udaipur. This is a very good area and should have more than one unit there. New factories should be set up at places where natural wealth is found. This will help to solve the problem of regional imbalance.

There is dissatisfaction among the labourers of the Hindustan Zinc Ltd. The Chairman and the management is encourging the workers to form a rival union.

It is regrettable that the Salim Merchant Award is not being implemented. Legitimate rights of workers are being curbed. The management which does not believe in the ideology of socialism should be removed. The Corporation is over-staffed and if such state of affairs continues, the aim of making the country prosperous will not be achieved. It had been decided that no person will be deputed . The Administrative Reforms Commission have also recommended that only able and experienced persons should be appointed in the public sector. What action has been taken in this regard ?

There is shortage of experienced engineers and efficient administrators in the Jhawar mines. The same is the case with the zinc smelter. A high Power Commission should be appointed to go into the entire working of the Hindustan Zinc Limited.

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :** माननीय सदस्य ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में चर्चा उठाई है। इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ।

यह प्रद्रावक पहले गैर-सरकारी क्षेत्र में था। सरकार ने खानों को अक्तूबर, 1965 में अपने हाथ में लिया और 1966 में कम्पनी बनाई गई। जब सरकार ने इसे अपने अधिकार में लिया, उस समय इसमें फ्रांस के विशेषज्ञ काम करते थे लेकिन उन्होंने काम जारी रखने से इन्कार कर दिया। प्रद्रावक आदि बनाने के लिए हमें उनके साथ नया समझौता करना पड़ा। निर्माण-कार्य-अक्तूबर नवम्बर, 1967 में पूरा हुआ। इसके बाद प्रद्रावक में उत्पादन शुरू हुआ। इस प्रद्रावक की अधिकतम क्षमता 18,000 टन प्रतिवर्ष है। इसके लिए हर रोज़ 2,000 टन कच्ची धातु की आवश्यकता है। पहले जावर खानों का विकास नहीं किया गया,

इसलिए गैर–सरकारी कम्पनी द्वारा कुछ कांसेनट्रेटों का आयात किया गया । लगभग 800 टन कच्ची धातु हर रोज़ निकाली जाती है, लेकिन आवश्यकता 2,000 टन की है। कुछ समय पहले उत्पादन कम हो गया क्योंकि काफी सुपरफास्फेट बाज़ार में न बेचा जा सका ।

हम पहले ज़ावर खानों का विकास न कर सके। विशेषज्ञों ने हमें बताया है कि एक खान का विकास करने में 4-5 वर्ष लगते हैं । अब हम ज़ावर तथा अन्य खानों का विकास कर रहे हैं ताकि काफी कच्ची धातु निकाली जा सके जिससे 18,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता को दुगुना करके 36,000 टन किया जा सके। राजस्थान के किसी सदस्य को यह संदेह नहीं होना चाहिए कि राजस्थान की उपेक्षा की जा रही है, इस प्रद्रावक का विकास नहीं करने दिया जायेगा तथा देश के किसी अन्य भाग में एक और प्रद्रावक की स्थापना की जायेगी। 1973-74 तक माँग के बढ़ कर 1,40,000 टन हो जाने की सम्भावना है। अलवाई में स्थित एक गैर-सरकारी कम्पनी की क्षमता 20,000 टन है । वे भी अपनी क्षमता को दुगुना कर रहे हैं । इस तरह कुल क्षमता 76,000 टन हो जायेगी। फिर भी 70,000 टन जिंक की कमी होगी । हम 50,000 टन जिंक धातु का हर वर्ष आयात करते हैं । यदि कन्सनट्रेट बाहर से मँगाये जायें तो लागत 35 प्रतिशत कम हो जायेगी। इसलिए विशाखा-पटमम में एक और प्रद्रावक की स्थापना करने का विचार है । इसमें आयातित कन्सनट्रेटों का इस्तेमाल किया जायेगा ।

इस परियोजना का अभी अध्ययन किया जा रहा है । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में 6-8 महीने लगेंगे ।

मंत्रालय में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ज़ावर खानों का शीघ्र विकास करने का सर्वोत्तम तरीका कौन-सा है । हम एक खनन इंजीनियर तैनात करने की बात पर विचार कर रहे हैं जिसे अच्छा अनुभव है । आवश्यक हुआ तो हम विदेशी सहयोग भी प्राप्त करेंगे ।

जहाँ तक श्रमिकों की समस्याओं का सम्बन्ध है। सलीम मर्चेन्ट पंचाट को अमल में लाया गया है। केवल तीन व्यक्तिगत मामले पड़े हुए हैं इनकी भी जाँच की जा रही है। हमने चार रुपये प्रति महीना की दर से वेतन में वृद्धि करने का अन्तरिम पंच फैसला दिया है।

जहाँ तक सांकेतिक हड़ताल का सम्बन्ध है, इसे अवैध समझा गया । इस प्रश्न की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति में श्री रघुनाथ सिंह, अध्यक्ष, श्री एन० के० भट्ट, संसद् सदस्य तथा श्री वेन्कटाचलम, श्रम-मन्त्रालय के श्रम अधिकारी शामिल थे । उन्होंने प्रबन्धकों के रवैये की सराहना की और हड़ताल की अवधि के लिए वेतन देने की माँग से सहमत नहीं हुए ।

परस्पर विरोधी मजदूर संघ बनाने के मामले की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है। यह बात स्वयं कार्मचारियों के हित में है कि उनकी एक यूनियन हो क्योंकि इस

प्रकार वे अपनी माँगों को प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। यदि कई यूनियनें में परस्पर झगड़े रहेंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे।

कम्पनी के चेयरमैन के बारे में यह जो कहा गया है कि वह किसी एक यूनियन का पक्षपात करते हैं; मैं उस पर गौर करूँगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि चेयरमैन को यूनियनों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति के बारे में सरकार का वर्तमान रुख यही है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को नहीं भेजा जाना चाहिए। यदि ऐसे अधिकारी हों भी तो उन्हें एक वर्ष के अन्दर बताना पड़ेगा कि वह कहाँ रहना चाहेंगे ?

**श्री विश्वनारायण शास्त्री** : सरकारी उपक्रमों का अभिप्राय अच्छा रोजगार उपलब्ध करना है और उसके लाभ देश तथा कर्मचारियों को मिलने चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि कर्मचारियों की सेवा-शर्तों तथा सेवा-सुरक्षा के मामले में सरकारी उपक्रम निजी उपक्रमों भी बुरे ही गये हैं। पंचाट की आठ बातों में से छः बातों पर तो अमल है, बाकी-दो बातों की क्या स्थिति है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह कि जिंक को किसी एजेन्ट के माध्यम से क्यों बेचा जाता है ?

**Shri Shinkre** (Panjim) : When I visited Johar Mines I noticed that there is dissatisfaction among the workers and it is affecting the working as well as production in these mines. I request the hon. Minister to send an all-party Parliamentary Commtitee there for having a comprehensive study of the situation and talk with the representatives of the trade unicns.

**Shri Ramavatar Shastri** : I want to know why Shri Raghunath Singh has been given the assignment of Chairmanship of the Hindustan Zinc Ltd. snspite of the fact that he is against the public sector undertakings. He is having his hand in party politics in the trade unicns and is trying to back the trade union sponsored by Jansangh. If it is so, I would like to know whether Government propose to remove such a chairman who is the root-cause of labour unrest, and if so, when he will be removed ?

**श्री एस० एस० कोठारी** :— एक ओर तो जिंक तथा सुपर-फासफेट का स्टाक जमा हो रहा है लेकिन दूसरी ओर जिंक तथा डायामोनियम फासफेट का आयात किया जा रहा है। यदि इनका आयात न किया गया होता तो सरकार 4 करोड़ रुपये बचा सकती थी। इस आयात से उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है और यह कारखाना 2 महीने के लिए बन्द भी पड़ा रहा है। क्या जिंक उत्पादन तथा आयात घटाने के बीच कोई तालमेल है ? अलमूनियम तथा केपेसिटर उद्योग के साथ भी यही स्थिति है। अतः सरकार जिंक तथा डायामोनियम के आयात में कटौती करने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि यह कारखाना अपनी पूरी क्षमता के अनुसार फिर से चालू हो सके और विदेशी मुद्रा बचायी जा सके ? सीसे तथा चाँदी का उत्पादन काफी घट गया है। अतः सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ? शेयर होल्डरों को जो हानि उठानी पड़ रही है उसके लिए उन्हें सरकार ने कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया है ? यह मुआवजा कब और कितना दिया जायेगा ?

**श्री जगन्नाथ राव** : मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकारी उपक्रम आदर्श संगठन होने चाहिए और उनमें रोजगार सम्बन्धी सुविधाएँ दी जानी चाहिए। परन्तु यह भी

सच है कि इस कारखाने ने अपना उत्पादन-कार्य जनवरी, 1968 में ही चालू किया है। अतः थोड़ी-बहुत आरम्भिक समस्याएँ जरूर होंगी। सुपर फास्फेट भारी मात्रा बिना बिका पड़ा है जिसके कारण उत्पादन घट गया है। जिंक सुपर-फास्फेट किसानों में लोकप्रिय नहीं है। हमने कृषि मन्त्री तथा उर्वरक निगम से बातचीत की है और वे अतिरिक्त स्टाक को खरीदने के लिए सहमत हो गये हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान भी सुपर-फास्फेट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने अब डायमोनियम फास्फेट का और अधिक आयात न करने का निश्चय किया है ताकि इस कारखाने तथा अन्य कारखानों के पास उपलब्ध सुपर-फास्फेट समूचे देश में प्रयोग में लाया जाये।

संसद् सदस्यों की समिति बनाने के बारे में मैं सहमत नहीं हूँ। जैसा कि पहले कह चुका हूँ इस कारखाने ने अपना उत्पादन-कार्य एक वर्ष पहले ही आरम्भ किया है। हम यत्न तो लागाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के उत्पादन-कार्य तथा कार्य-संचालन सुधार कैसे हो ?

जहाँ तक चेयरमैन को हटाने का प्रश्न है, सभी जानते हैं कि वह एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किये जाते हैं। उनकी कार्य-अवधि समाप्त हो जाने पर यह विचार किया जायेगा कि यह अवधि और बढ़ाई जाये अथवा नहीं।

सीसा तथा चाँदी का उत्पादन घट जाने का कारण यह कि है हमें घटिया किस्म की कच्ची धातु मिल रही है और उसमें सीसा तथा चांदी का पूरा तत्व नहीं है। सरकारी क्षेत्र में जिंक तथा सीसे का केवल एक ही कारखाना देश में है और देश में इसकी इतनी अधिक माँग है कि हमें आयात करना जरूरी हो जाता है। हम इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आयात में कटौती की जा सके।

जहाँ तक शेयरहोल्डरों को मुआवजा देने का प्रश्न है, यह कम्पनी मेटल कारपोरेशन की थी। पहले कुछ मुआवजा देने पर सहमत हो गई थी लेकिन इन लोगों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका पेश की जोकि न्यायालय ने अस्वीकार कर दी। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास पहुँच की। दलीलें हो चुकी हैं और निर्णय शीघ्र सुनाया जाने वाला है। जब देय मुआवजे के बारे में पता नहीं चलता तब तक मुआवजे की ठीक-ठीक रकम बताना कठिन है।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 1 अप्रैल, 1969/11 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday April 1, 1969/Chaitra 11, 1891 (Saka).**

---

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad—3.